लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

5th
LOK SABHA DEBATES

पाँचवाँ सत्र
[Fifth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये
Price : Two Rupees

NO.
DATE. 69(24)
14.12.72

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 18, शुक्रवार, 25 अगस्त, 1972/3 भाद्र, 1894 (शक)

No. 18, Friday, August 25, 1972/Bhadra 3, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
341. ऋण चुकाने में राहत	Relief in Debt Repayment	1—2
344. कलकत्ता से लंदन और पेरिस को एयर इण्डिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की व्यवस्था का प्रस्ताव	Proposal to arrange Air India International Flight from Calcutta to London and Paris ..	2—4
345. बिहार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar ..	5
346. पर्यटकों के लिये रेल-सड़क-विमान समुद्री यात्रा के लिए समेकित समय-सारणी	Integrated Time Table for Rail-Cum-Road-Cum-Air-Cum-Sea Travel for Tourists ..	5—6
347. अशोधित तेल की सप्लाई के स्रोतों और सरकारी तथा गैर सरकारी तेल शोधक कारखानों की विद्यमान क्षमता	Sources of Crude Supplies and Existing Capacities of Public and Private Refineries ..	6—10
350. राजस्थान में उदयपुर हवाई अड्डे का विकास	Development of Udaipur Aerodrome in Rajasthan	11
353. रक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों को बोनस देना	Payment of Bonus to the Civilian Employees working in Defence	11—12
355. राज्यों को विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋणों का उपयोग	Utilisation of loans from World Bank given to States ..	12—14

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
356. इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा घटिया मशीनी तेल का आयात तथा उसका रेलवे को बेचा जाना	Import of inferior Lubricant by I. O. C. and its sale to Railways ..	14—15
357. भूतपूर्व नरेशों के विदेशों में विदेशी मुद्राखाते	Ex-rulers holding Foreign exchange Accounts abroad ..	15—17
359. छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत धन संकलन के लिये ग्राम पंचायतों के सरपंचों के पुरस्कार	Award of Prizes to Sarpanchas of Gram Panchayats for securing Deposits under Small Saving Schemes ..	17—18
360. युद्ध-क्षतिपूर्ति की मांग के समर्थन में रणबीरसिंह पुरा जम्मू में निकाला गया जुलूस	Procession taken out to demand War Compensation at Ranvirsingh Pura, Jammu ..	18—19
351. गत 15 दिनों के दौरान मद्रास, दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता से इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों का विलम्ब से चलना अथवा रद्द किया जाना	Indian Airlines Flights from Madras, Delhi, Bombay and Calcutta delayed and cancelled during the last fifteen days	19—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
342. एकाधिकार आयोग द्वारा संयुक्त क्षेत्र के एककों को तरजीह दिया जाना	Preference given by Monopolies Commission to Joint Sector Units ..	21
343. बंगला देश को सहायता	Assistance to Bangladesh	21—22
348. ऋषिकेश में पर्यटकों के लिये बसों और आवास की कमी	Shortage of Buses and Accommodation for Tourist at Rishikesh	22
349. बम्बई में हालैंड के एक जहाज से निषिद्ध माल का पकड़ा जाना	Seizure of Contraband Goods from a Dutch Ship in Bombay ..	22—23
35. बैंकों में सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करने की योजना लागू करना	Scheme of Statistical Returns in Banks ..	23—24
354. बम्बई के निकट गहरे समुद्र में तेल की खोज से सम्बन्धित भूकम्पीय सर्वेक्षण	Seismic Surveys in the Bombay High Structures ..	24

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

358. पाकिस्तान द्वारा भारतीय जल तथा वायु सीमा का उल्लंघन	Violation of Indian Territorial Waters and Air Space by Pakistan	24

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3380. योजना पूंजी निवेश बोर्ड	Plan Investment Board ..	24—25
3381. दक्षिण पूर्व एशिया में रुपये के विनिमय मूल्य में गिरावट	Fall in Exchange Value of Rupee in South East Asia	25
3382. 35 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली औषधियां तथा औषध निर्माता कम्पनियां	Drugs and Pharmaceutical Firms in India which hold more than 25 percent Foreign Equity	25—26
3383. प्राकृतिक गैस की उपलब्धता तथा उसका प्रयोग	Availability of Natural Gas and its use ..	26
3384. उर्वरक संयंत्रों के लिये गैस का प्रयोग	Utilisation of Gas for Fertilizer Plants	26
3385. कलकत्ता से विदेशी विमान कम्पनियों के अन्य स्थान पर चले जाने से राजस्व तथा रोजगार के अवसरों में कमी की मात्रा	Extent of Reduction in Revenue and Employment Opportunities due to shifting of Foreign Air Companies from Calcutta	27
3386. उपेक्षित क्षेत्रों में दिये जाने वाले ऋण में कमी	Shortfall in Credit Advances to Neglected Sectors	27
3387. शाहजहांपुर आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरी में उत्पादन	Output of the Shahjahanpur Ordnance Clothing Factory	27—28
3388. स्टेट बैंक आफ इण्डिया की गिरिडीह शाखा को ऋण के लिये प्राप्त हुए आवेदन पत्र	Applications for Loan Received by Giridih Branch of State Bank of India ..	28
3389. जीवन निगम की आवास हेतु अग्रिम धन देने सम्बन्धी योजना का गिरिडीह, हजारी बाग में पालिसी होल्डरों पर लागू करना	Extension of L. I. C. Scheme of Advances for Housing to Policy Holders in Giridih, Hazaribagh	28—29
3390. बैंक आफ बड़ौदा में लिपिकीय पदों का भरा जाना	Filling up of Clerical posts in the Bank of Baroda ..	29

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

3391. केरल में शैक्षिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं के लिये विदेशों से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from Foreign Countries for Educational and Charitable Institution in Kerala ..	29—30
3392. भारतीय वायु सेना में 'रैंकरों' को पायलट का प्रशिक्षण देना	Pilot Training to Rankers in I. A. F. ..	30
3393. अधिकारियों और गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतन में अन्तर को दूर करना	Bridging the gap in the Pay of Officers and N. C. O. ..	30
3394. गुलमर्ग (कश्मीर) तथा केरल में कोवलम समुद्रीतट के लिये पर्यटन विकास योजनायें	Tourism Development Schemes for Gulmarg (Kashmir) and Kovalam Beach in Kerala ..	31
3395. कर्मचारियों को मिलने वाले उपदान पर आय कर की छूट	Grant of Exemption from Income-tax on Gratuity received by Employees ..	32
3396. पटना स्थित रक्षा लेखे के नियंत्रक के कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमें	Court Cases Instituted against the Employees of Controller of Defence Accounts, Patna ..	32
3397. आयल इण्डिया लिमिटेड तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दुलियाजान में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सुविधायें	Education Facilities by Oil India Limited and O and N. G. C. to the Children of Employees Working at Duliajan ..	32—33
3398. आयल इण्डिया लिमिटेड और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भू-स्वामियों को मुआवजा	Compensation to Land Owners by Oil India Limited and O. and N. G. C. ..	33
3399. सिगरेट और पत्ता तम्बाकू निर्माता विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में जांच कार्य	Enquiry into Foreign Tobacco leaf and Cigarette Manufacturing Companies ..	33—34
3400. चाय निर्यातकों को प्लाई वुड चेस्ट्स पर सीमा शुल्क की राशि का लौटाया जाना	Drawback of Custom Duty on Plywood Chests Granted to tea Exporters ..	34
3401. चाय चेस्ट्स पर सीमा शुल्क की राशि का लौटया जाना	Drawback of Custom Duty on Tea Chests ..	34—35
3402. चाय निर्यातकों पर आयकर निर्धारण	Assessment of Income-Tax on Tea Exporters ..	35

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			

3403. सेना सेवाओं में महिला डाक्टरों को प्राथमिकता देना	Preference to Lady Doctors in Armed Services	..	35—36
3404. उन उद्योगों व्यापारिक कम्पनियों के नाम जिनमें श्री आर० पी० गोयनका और उनके परिवार के सदस्यों के शेयर हैं	Industrial Business Establishments in which Shri R. P. Goenka and Members of his family hold Shares	..	36
3405. मसूलीपटनम स्थित आन्ध्र-सांइटिफिक कम्पनी का अधिग्रहण	Taking over of Andhra Scientific Company, Masulipatnam	..	36
3406. आलीराजपुर के एक व्यापारी द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर की चोरी	Evasion of Central Sales Tax by a Trader in Alirajpur	..	36—37
3407. 'लेसर' शस्त्रों का निर्माण	Manufacture of Laser Weapons	..	37
3408. औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	Consumer Price Index for Industrial Workers	..	37—38
3409. वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के लेखा कार्यालय में विदेशी मुद्रा की बचत	Saving of Foreign Exchange in Accounts Office of Indian Embassy in Washington	..	38
3410. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी स्वयं सेवक दल का जमाव	Concentration of Pak Volunteer Force in Occupied Kashmir	..	38—39
3411. मैसर्स इलेक्ट्रो कैमिकल्स वर्क्स लिमिटेड,बंगलौर का बन्द होना	Closure of M/s. Electro-Chemical Works Limited, Bangalore	..	39
3412. एयर इण्डिया तथा मलेशिया सिंगापुर एयरवेज के बीच भाड़े की पूल व्यवस्था	Revenue Pool Arrangement between Air India and Malaysia Singapore Airways	..	39
3413. पाकिस्तान से आये शरणार्थियों से बकाया ऋण की वसूली	Recovery of Outstanding Amount of Loan from Refugees from Pakistan	..	39—40
3414. बम्बई में उतरने वाले सुपरसानिक कनकार्ड विमान से वायु दूषण	Air Pollution due to Supersonic Concorde Aircraft which landed at Bombay	..	40—41
3415. कृत्रिम वर्षा के सम्बन्ध में परीक्षण	Experiments to create Artificial rain		41
3416. सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी गोष्ठी	Construction of Roads in Ladakh		42
3417. लद्दाख में सड़कों का निर्माण	Seminar on Public Undertakings	..	42

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3419. देहरादून में कोर्ट स्टाम्प पकड़े जाने के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां	Arrests in connection with Seizure of Court Stamps in Dehra Dun ..	43
3420. सरकारी उपक्रमों के लिये कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया	Procedure for Selection of Personnel for Public Undertakings ..	43
3421. प्रबन्ध अभिकरण समाप्त कर दिये जाने पर भी औद्योगिक गृहों पर उनका नियंत्रण	Control of Managing Agency on Industrial Houses after abolition of the system	44
3422. विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank	44
3423. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशी मुद्रा की बचत	Savings in Foreign Exchange by Oil and Natural Gas Commission	45
3424. कार्यकारी अधिकारियों द्वारा अपने बचाव के लिये आपराधिक कार्यवाहियों में कम्पनी की निधि का उपयोग	Use of Companies' funds by Executive Personnel for Defence in Criminal Proceedings	45
3425. इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड के एक डाउन स्ट्रीम यूनिट को फ्थेलिक एनहाइड्राइड को लाइसेंस देने में विलम्ब	Delay in issue of Licence to Phthalic Anhydride-A Down Stream Unit of Indian Petro Chemicals Limited	45—46
3426. 656 कंपनी ए० एस० सी० बिग्रेड के राशन लेखे में गबन	Misappropriation in the Ration Account of 656 Coy. ASC Brigade ..	46
3427. विदेशों से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from ForeignCountries	46—47
3428. एक औसत दर्जे के विदेशी पर्यटक के लिये भारत में सबसे अधिक आकर्षक स्थान	The most attractive place in India for an average Foreign Tourist ..	47
3429. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Resettlement of Ex-Army Personnel in Andaman and Nicobar Islands	48
3430. राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियन	Custodians of Nationalised Banks	48—50
3431. भारी संख्या में यात्रियों के ले जाने के लिये यात्री विमानों का चलाया जाना	Introduction of passenger planes for mass transportation	50
3432. वर्ष 1971-72 में इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़तालों की संख्या	Number of times employees of Indian Airlines and Air India resorted to strike during 1971-72 ..	50

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3433. कम आय वाले लोगों से आयकर वसूली	Realisation of Income-tax from lower Income Brackets ..	50—51
3434. औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा सरकारी वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जाना	Loans received by Industrial establishments from Government, Financial Institutions ..	51
3435. इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा 1966 में यू० के० से आयात की गई वेल्डिंग मशीन को लगाना तथा चालू करना	Erection and operation of welding machine imported by Indian Airlines from U. K. in 1966	51—52
3436. ईराक में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने में सहायता	Assistance in setting up a fertilizer plant in Iraq ..	52—53
3437. युवा चार्टर्ड एकाउंटेंटों की ओर से ज्ञापन	Memorandum from young Chartered Accountants ..	53
3438. उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिये उर्वरक कारखाने लगाने के सम्बन्ध में हुई प्रगति	Progress made to have more Fertilizer Factories to meet shortage of fertilizers ..	53
3439. भारत-पाक युद्ध के दौरान जालन्धर में सैनिक इंजीनिरों द्वारा घटिया माल की खरीद	Procurement of sub-standard goods by M. E. S. authorities at Jullundur during Indo-Pak war ..	53—54
3440. पठानकोट में क्वार्टरों का निर्माण	Construction of quarters at Pathankot ..	54
3441. संयुक्त साइफर ब्यूरो में कनिष्ठ अधिकारियों से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या	Number of Officers in the Joint Cipher Bureau drawing less pay than the Junior Officers ..	54
3443. बाबतपुर हवाई अड्डे पर कृषकों को उनकी भूमि वापस दिलाना	Restoration of land to cultivators at Babatpur Airport ..	55
3444. इण्डियन एयरलाइन्स के विमान ओवरहाल डिवीजन में एक स्वदेशी फ्लाइट रिकार्डर का विकास	Flight recorder indigenously developed at the Aircraft overhaul Division of Indian Airlines ..	55—56
3445. बड़े व्यापार-गृहों द्वारा करों का अपवंचन	Evasion of Taxes by Big Business Houses ..	56
3446. वार्षिकी जमा तथा सावधि जमा योजनाओं को बन्द करना	Discontinuation of Annuity Deposit and Fixed Deposit Schemes ..	56—57

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
3447. सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब	Delay in Execution of Public Sector Projects ..	57
3448. भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना	Setting up of Credit Guarantee Corporaton of India ..	57—58
3449. महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना	Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojna	58
3450. जापान एयरलाइन्स के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में मरने वालों के सामान की चोरी	Theft of belongings of Victims of Japanese Airlines Plane Crashed near Delhi ..	59
3451. वेज स्टैण्डर्ड को युक्ति संगत बनाने के बारे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में असंतोष	Discontentment among Central Government Employees regarding rationalisation of wage Standards	59
3452. मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नगर के कुटीर उद्योगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना	Loan advanced by Nationalised Banks to Cottage Industries of Burhanpur, M. P.	59—60
3453. मध्य प्रदेश में सहकारी समितियां	Co-operative Societies in MadhyaPradesh..	60
3454. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण	Loans advanced by nationalised Banks in Madhya Pradesh ..	60
3455. मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नगर को पर्यटन केन्द्रों की सूची में शामिल करने की मांग	Demand for inclusion of Burhanpur city in Madhya Pradesh in the list of Tourist Centres	60—61
3456. मध्य प्रदेश में आयकर निर्धारण सम्बन्धी विचाराधीन मामले	Pending cases in Income-Tax Assessment in Madhya Pradesh	61
3457. वर्ष 1971-72 में इंडियन एयरलाइन्स को हुई हानि	Loss suffered by Indian Airlines during 1971-72	61
3458. आसाम में सरकारी क्षेत्र में नायलोन टेक्सटाइल फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Nylon Textile Factory in the Public Sector in Assam	62
3459. यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा एकत्रित धनराशि	Amount Mobilised by Unit Trust of India	62—63
3460. पाकिस्तान के युद्ध बन्दियों के राशन और खेल-कूद पर व्यय	Expenditure on Rations and Games of Pak P. O. Ws	64

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3461. पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों को रेडियो पाकिस्तान सुनने की अनुमति	Permission to Pakistani Prisoners of War to Tune into Radio Pakistan ..	63
3462. पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों को जेब खर्च	Pocket Allowance to Pak P. O. Ws. ..	63—64
3463. पेट्रो-रसायन उद्योगों सम्बन्धी लाइसेंस नीति को उदार बनाने का प्रस्ताव	Proposal to Liberalise licensing policy for Petro-Chemical industries ..	64
3464. सेनाओं की वापसी	Withdrawal of Army	64
3465. देश में वन्य जीवन प्रधान पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये कार्यक्रम	Programme to develop wild life oriented Tourist centres in the country ..	64—65
3466. एयर इण्डिया के लिये नये तथा तेज गति वाले विमान खरीदने के बारे में निर्णय	Decision on purchasing new and faster planes for Air India	65
3467. विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के लिए दण्ड	Punishment for violation of Foreign exchange Regulations	65
3468. गवेषणा तथा विकास कार्यों पर प्रतिरक्षा व्यय	Defence expenditure on Research and development ..	66
3469. मध्य प्रदेश में दस लाख रुपये से अधिक की आय वाले व्यक्तियों के नाम बकाया आयकर	Arrears of Income-tax against individuals in Madhya Pradesh having an Income of more than Rs. 10 lakhs	66
3470. मध्य प्रदेश में कम्पनियां	Companies in Madhya Pradesh	66
3471. विदेशों से ऋण	Loans from Foreign Countries ..	66—67
3472. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	Branches of Nationalised Banks in Uttar Pradesh ..	67
3473. उत्तर प्रदेश के जौनपुर तथा इलाहाबाद जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	Branches of Nationalised Banks in Jaunpur and Allahabad districts of Uttar Pradesh ..	67
3474. विदेशों से भारतीय हथियारों के लिये अनुरोध	Request from other countries for Indian Arms ..	67—68
3475. तेल-शोधक उपकरणों के बारे में सोवियत संघ से बातचीत	Talks with U. S. S. R. on refinery equipments	68

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3476. विमान दुर्घटनाओं की जांच करने के लिये एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष व्यवस्था का गठन	Setting up of an independent and impartial machinery to investigate Air-craft Accidents ..	68
3477. उत्तर प्रदेश में ग्रामीण तथा नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank for rural and urban water supply schemes in U. P. ..	68—69
3478. राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की कमी	Shortage of personnel in nationalised Banks ..	69
3479. राष्ट्रीयकृत बैंकों के वार्षिक समारोह	Anniversary celebrations of nationalised Banks ..	69—70
3480. भारतीय उर्वरक निगम द्वारा द्रव अमोनिया को मिट्टी में सीधे डालने की योजना	Scheme for direct injection of liquid Ammonia into the soil by F. C. I. ..	70
3481. मीठापुर में टाटा फर्टीलाइजर प्रोजेक्ट के चालू होने में विलम्ब	Delay in the Commissioning of Tata Fertilizer project at Mithapur ..	70—71
3482. स्वदेश में मानक गन का उत्पादन	Indigenous Manufacture of Standard Gun	71
3483. लींडर श्रेणी के युद्धपोत बनाने में आत्मनिर्भरता	Self-sufficiency in Leander class of Frigates	71
3484. नारकोटिक्स विभाग में राजपत्रित पदों का भरा जाना	Filling up of gazetted posts in Narcotics department	71—72
3485. शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित आयुध कारखाने में आग का लगना	Fire in Ordnance Factory Shahjahanpur (Uttar Pradesh) ..	72
3486. शाहजहांपुर आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री में रक्षा सेनाओं के लिये घटिया स्तर के वस्त्रों का बनाया जाना	Below-standard garments made for defence services in the Shahjahanpur Ordnance Clothing Factory ..	72
3487. शाहजहानपुर आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री के दर्जियों द्वारा व्यापार के लिये असैनिक वस्त्रों का बनाया जाना	Tailors of Shahjahanpur Ordnance Clothing Factory making civilian garments for Trade ..	72—73
3488. मैसूर राज्य में सड़क पर्यटन विकास की योजना	Scheme for development of Road Tourism in Mysore state ..	73

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3489. पाकिस्तानी युद्धबन्दी शिविर, रांची में सुरंग खोदे जाने के बारे में जांच	Inquiry into the digging of tunnel in POW's camp, Ranchi	..	74
3490. एयर इण्डिया सेवा को आकर्षक बनाने के लिये कार्यवाही	Steps to make Air India Service attractive		74—75
3492. विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भारत में धन भेजना	Remittances by Indians living Abroad	..	75
3493. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा धन का वितरण	Distribution of Money by Industrial Development Bank of India		75—76
3494. विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ का विदेशों में भेजा जाना	Repatriation of profits by Foreign Companies		76
3495. पी० एल० 480 निधियां	PL-480 Funds	..	76—77
3496. विदेशी कम्पनियों के कार्यकरण की जांच के लिये समिति	Committee to enquire into the working of Foreign Companies		77
3497. रक्षा सैनिकों (कम्बेटेंट रैंक्स) को बढ़ी हुई दर पर पेंशन	Enhanced pension benefits to Defence Personnel (Combatant Ranks)	..	77—78
3498. आन्तरिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये योजना	Plan to encourage internal Tourism		78
3499. पर्यटकों के आकर्षण के लिये गोआ के तटीय क्षेत्रों का समेकित विकास करने की वृहद योजना	Master plan for an integrated development of Goa Beaches for destination Tourists	..	78—79
3500. तटवर्ती प्रदेश के साथ-साथ महत्वपूर्ण केन्द्रों पर पिकनिक स्थल बनाने का प्रस्ताव	Proposal to develop beach resorts at important centres along the coastline	..	79
3501. एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयर-लाइंस के लिये होल्डिंग कम्पनी की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up a Holding Company for Air India and Indian Airlines	..	79
3502. पूर्वी भारत में पाइप लाइन परि-योजना की स्थापना	Setting up of Pipeline project in Eastern India		80—81
3503. 'ताप्ती हाई' में तटदूर छिद्रण	Off shore drilling at Tapti High	..	81

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3504. डेटरजेंट अलकाइलेट और इथिलीन ग्लाइकौल परियोजनाओं की स्थापना के लिये गुजरात सरकार का प्रस्ताव	Proposal from Governmet of Gujarat for setting up detergent Alkylate and Ethylene Glycol Projects	..	81—82
3505. अशोधित तेल के विद्यमान मूल्य का निर्धारण	Determination of existing price for crude oil	..	82
3506. इण्डियन एयरलाइन्स के कलकत्ता से बम्बई जाने वाले कैराविल विमान में 27 मई, 1972 को बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति	Persons travelling without tickets in Calcutta—Bombay Caravelle of the Indian Airlines on 27.5.72.	..	82—83
3507. व्यापारी कम्पनियों में जीवन बीमा निगम का पूंजी निवेश	L.I.C's Investments in business concerns	..	83—85
3508. विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने लाभ विदेश भेजने सम्बन्धी भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिवेदन	R.B.I. Report on remittance of profits by Foreign Companies		85
3509. रक्षा पूर्ति विभाग द्वारा आयातित मदों के स्थान पर स्वदेशी मदों के लिये आर्डर दिया जाना	Placing orders for indigenous items in lieu of imported ones by the department of defence supplies		86
3510. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों पर ऋण	Borrowing of Central Government and States		86
3511. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में मालवीय समिति के सम्पूर्ण प्रतिवेदन का प्रकाशन	Release of full Report of Malaviya Committee on O. & N.G.C.	..	87
3512. राजस्थान के पश्चिमी भाग में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये जा रहे कार्य	Work being carried out by O. & N.G.C. on the Western part of Rajasthan	..	87
3513. ऋण जारी किया जाना	Floating of loan	..	87—88
3514. अशोक होटल, नई दिल्ली पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on Ashoka Hotel, New Delhi	..	88
3515. बम्बई में सोने की बिक्री	Selling of gold in Bombay	..	88—89

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3516. ब्रिटेन में रह रहे भारतीय नागरिकों द्वारा अवैध रूप से धन राशि स्वदेश भेजना	Illegal remittances by Indians living in Britain ..	89
3517. एच० एस०-748 (एवरो) विमान के चलाने से इण्डियन एयरलाइन्स को हुई हानि	Loss suffered by Indian Airlies due to operation of HS—748 (AVRO)	89—90
3518. ईरान द्वारा नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी के राष्ट्रीयकरण का भारत को अशोधित तेल की सप्लाई पर प्रभाव	Impact of nationalisation of national Iranian Oil Company by Iran on the supply of crude oil to India ..	90
3519. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Central Excise reorganisation Committee	90—91
3520. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के डिवीजन कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति	Posting of Administrative Officers in Divisional Offices of Central Excise department ..	91
3521. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में लेखा परीक्षा पार्टियों का गठन	Composition of Audit parties in Central Excise department ..	91—92
3522. विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल का कम आयात और उसका उत्पादन पर प्रभाव	Less import of crude oil by Foreign Oil Companies and its effect on production ..	92—93
3523. विमान दुर्घटनाओं के मामलों में शवों की पहचान कार्य के लिये लागू की गई आधुनिक पद्धतियां	Modern methods employed for Identification of bodies in the event of air accidents	93
3524. हल्दिया-बरौनी-कानपुर तेल पाइप-लाइन का पश्चिमी तट तक बढ़ाया जाना	Extension of Haldia—Barauni—Kanpur oil pipeline upto the West Coast	94
3525. आयकर विभाग में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारी	Class I and II Officers in Income-tax Department	94
3526. लघु आय वर्ग द्वारा अदा किये जाने वाले आयकर के निर्धारण के लिये योजना	Scheme for assessment of Income-Tax payable by small—Income group	94—97
3527. जीवन बीमा निगम की पूंजी	Capital of Life Insurance Corporation of India Violation of Indian	97—98

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3528. पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय सीमा का उल्लंघन	Violation of Indian border by Pakistani troops ..	98
3529. बैंकों की कार्यक्षमता	Working capacity of Banks ..	98
3530. बंगला देश द्वारा पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों पर खर्च की जा रही राशि का हिस्सा देना	Sharing expenditure of Pak P.O.W's. by Bangladesh	98—99
3531. बिहार में बेरोजगार इंजीनियरों को पेट्रोल पम्पों तथा गैस की एजेंसियां देना	Grant of agencies of petrol pumps and gas to unemployed Engineers in Bihar ..	99
3532. इण्डियन एयरलाइंस की एक स्थानीय बुकिंग एजेंसी द्वारा छात्रों को छूट देने के नाम पर धोखा-धड़ी	Bungling in the name of student concession by a local booking Agency of Indian Airlines ..	99
3533. इन्दौर में रोलिंग मिलों पर आय-कर निर्धारण	Assessment of Income Tax against Rolling Mills	99—100
3534. स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा जमा-कर्ताओं के लिये बनाई गई नई योजना	New scheme for depositors formulated by State Bank of India	100
3535. राज्यों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to ex-servicemen on Priority basis by States ..	100
3536. हाल के युद्ध में प्राप्त हुई सामग्री का स्वरूप और उस की मात्रा	Nature and quantity of War Material Captured during recent War ..	100
3537. लुधियाना से नई दिल्ली तक विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to start Air Service between Ludhiana and New Delhi	100—101
3538. भटिंडा, पंजाब में हवाई-अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to Construct an Airport at Bhatinda, Punjab	101
3539. भटिंडा (पंजाब) में छावनी के लिये भूमि अर्जन और भू-स्वामियों को दिया गया मुआवजा	Acquisition of Land for Cantonment at Bhatinda (Punjab) and Compensation Paid to Land-Owners ..	101
3540. कृषि योजनाओं के लिये विश्व बैंक से ऋण	Credit from World Bank for Agricultural Schemes ..	101—102

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3541. तेल क्षेत्रों से निकाले जा सकने वाले तेल की मात्रा	Quantity of Recoverable Oil Deposits	102
3542. पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों पर हुए व्यय का पाकिस्तान द्वारा भारत को भुगतान	Payment of Expenditure incurred on Pak P.O.Ws. to India by Pakistan ..	102
3543. रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति से गुमशुदा सैनिक कर्मचारियों के बारे में सूचना	Information from I.C.R.C. about Missing Personnel ..	102
3544. बैंकों में जमा राशियों में वृद्धि	Increase in Bank Deposits ..	103
3545. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, जबलपुर की सिविल लाइंस शाखा से लापता धन राशि	Amount found Missing from the Civil Lines Branch of the State Bank of India, Jabalpur ..	103
3546. जापान से प्राप्त नौवें 'येन' ऋण अवधि बढ़ाने के लिये करार	Agreement with Japan for Extension of Term of Ninth Yen Loan from that country	103—104
3547. राष्ट्रीयकृत बैंकों में गबन के मामले तथा ऋणों को बट्टे खाते में डाला जाना	Embezzlement Cases and Loans written off in Nationalised Banks	104
3548. आयकर सम्बन्धी अनिर्णीत मामलों का निपटारा न करने के कारण	Reasons for not disposing of pending cases of Income-tax ..	104
3549. बिहार में पर्यटन की दृष्टि से बौद्ध केन्द्रों के विकास का प्रस्ताव	Proposal to develop Buddhist Centres in Bihar from Tourist Point of view ..	104—105
3550. एयर इंडिया तथा इंडियन एयर-लाइन्स में विमान चालकों की भर्ती के लिये आयु सीमा घटाने का प्रस्ताव	Proposal to Reduce the Age Limit for Recruitment of Pilots in Air India and Indian Airlines	105
3551. विदेशों में जाने वाले छात्रों को विदेशी मुद्रा का नियतन	Allocation of Foreign Exchange to Students going Abroad	105—106
3552. राष्ट्र संघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की बैठक	Meeting of United Nations Economic Social Council	106—107
3553. सशस्त्र सेनाओं में भर्ती और क्षेत्रीय असंतुलनों तथा जातिगत नामों को हटाना	Recruitment in the Armed Forces and Removal of Regional Imbalance and Sectarian Names ..	107

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3554. कलकत्ता में अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्देशीय हवाई अड्डों की बिगड़ती हुई स्थिति	Deteriorating Condition of Calcutta International and Domestic Airports ..	107—108
3555. पश्चिम बंगाल में हल्दिया पत्तन पर पेट्रो-रासायनिक परियोजनाओं के निर्माण तथा विकास की स्थिति	Stage of Construction and Development of Petro-Chemical Projects at Haldia Port in West Bengal ..	108
3556. नयाछोर में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाना और उससे दो जवानों की मृत्यु	Firing by Pakistan in Naya Chhor and killing of Two Jawans	108—109
3558. कलकत्ता से सिलिगुड़ी जाने वाले विमानों की समय-सारणी	Time Schedule of Planes Flying from Calcutta to Siliguri	109
3559. डम डम से बागडोगरा तक की उड़ानें समय सारणी के अनुसार न होने के कारण दार्जिलिंग और नेपाल जाने वाले यात्रियों को असुविधा	Inconvenience caused to Passengers destined for Darjeeling and Nepal due to Non-Observance of Time-Table of Flights from Dum Dum to Bagdogra	109
3560. एकाधिकार आयोग का कार्यकरण	Working of Monopolies Commission ..	110
3561. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लेखे का परीक्षण	Auditing of Accounts of Public Sector Undertakings	110
3562. अजंता और एलोरा में पर्यटन सुविधायें न होना	Lack of Tourist facilities at Ajanta and Ellora ..	110—111
3563. छठे वित्त आयोग के मुख्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of Headquarters of Sixth Finance Commission ..	111
3564. औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अपनी सर्वेक्षण रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्य-वाही आरम्भ करना	Follow-up action initiated by I. D. B. on its Survey Reports ..	111—112
3565. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तकनीकी परामर्शदात्री सेवा की स्थापना	Setting up of Technical Consultancy Service by Industrial Development Bank of India ..	112
3566. वाणिज्यिक बैंकों की 'पृथक पृथक ब्याजदर योजना' के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लोगों को सहायता	Assistance to different categories of persons under differential interest rates scheme of Commercial Banks	112—113

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3567. गुलमर्ग (काश्मीर) की पर्यटन केन्द्र के रूप में घटती हुई लोकप्रियता	Gulmarg (Kashmir) declining in popularity as a tourist spot	..	113
3568. प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों को बदलना	Replacement of Primary Cooperative Societies	..	113—114
3569. आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में भूमि का उपयोग	Utilisation of land in Chittor District of Andhra Pradesh	..	114
3570. राष्ट्रीयकृत बैंकों के खर्चे	Expenses of Nationalised Banks	..	114
3571. राजस्थान को विशेष अनुदान	Special Grants to Rajasthan	..	115
3572. मंगलौर उर्वरक परियोजना को पूरा किया जाना	Completion of Mangalore Fertilizer Project	..	115
3573. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में पुनरीक्षण की समस्याओं को समन्वित करने के लिये तंत्र की स्थापना	Setting up of a machinery to coordinate problems of revision in pay and allowance of Central and State Government employees		115—116
3574. अतिकर के स्थान पर 'कैपिटल लेवी' लगाना	Replacement of Sur-tax by Capital Levy		
3575. पाकिस्तान द्वारा हथियारों की क्षतिपूर्ति	Replenishment of Armour by Pakistan	..	116
3576. वर्ष 1962-63 से पूर्व तथा बाद में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कार्य और अन्य देशों में आरम्भ किये गये उपक्रम	Performance of O&NGC before 1962-63 and after and ventures undertaken in other Countries	..	116—118
3577. सूखे के कारण राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States due to Drought	..	118
3578. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में कमी	Decline in credit advanced to Rural Sector by Nationalised Banks	..	118—119
3579. उत्तर प्रदेश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Banks in U. P.		119—120
ध्यान आकर्षण सूचना और स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Calling Attention Notice and Motion for Adjournment	..	120—121

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
रिजर्व बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता के कर्मचारियों की मांगें तथा इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया	Demands of employees of Reserve Bank of India, Calcutta and Government's reaction thereto	121—126
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	121,—122
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	121—126
दक्षिण रेलवे पर काडायानल्लूर के निकट रेल दुर्घटना के बारे में	Re. Railway accident near Kadayanallur on Southern Railway ..	127
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House ..	127
बिहार में सूखे के बारे में	Re. Drought in Bihar	128
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	128—129
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	129
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	129
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House—	
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report	130
पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति विधेयक	Antiquities and Art Treasures Bill ..	130—139
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	130
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	130
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai ..	130,—131
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga ..	131—132
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan	132
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	133
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi ..	133—134
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banmali Patnaik	134
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	134—135
खंड 2 से 33 और 1	Clauses 2 to 33 and 1	136—139
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	139

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक	Mines and Minerals (Regulation and Development) Amendment Bill	..	139—141
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider		139
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan		139—140
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder		140—141
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—		
सत्तरहवां प्रतिवेदन	Seventeenth Report	..	141
पश्चिम बंगाल की आर्थिक गतिरोध सम्बन्धी अविलम्बनीय समस्याओं के बारे में संकल्प—वापस लिया गया	Resolution re. Urgent Problems of Economic Stagnation of West-Bengal Withdrawn	..	141—151
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury		141—142
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee		142
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	..	142—143
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	..	143—144
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao		144—145
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya		145—146
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	..	146—147
श्री डी० पी० धर	Shri D. P. Dhar	..	147—149
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	..	150—151
बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में संकल्प	Resolution re. Problem of Unemployment	..	151—154
श्रीमती माया राय	Shrimati Maya Ray	..	151—154
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion—		
नगरों तथा कस्बों का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Cities and Towns	..	154—157
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	..	154—155
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh		156—157

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 25 अगस्त, 1972/3 भाद्र, 1894 (शक)

Friday, August 25, 1972/Bhadra 3, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ऋण चुकाने में राहत

+

*341. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक भारत को दी जा रही प्रतिवर्ष 1000 लाख पौण्ड की ऋण राहत को दुगना करने के लिए भारत सहायता सार्थसंघ के सदस्यों को मनाने का प्रयत्न कर रहा है ; और

(ख) क्या विश्व बैंक के सलाहकार, डा० एच० सी० कूम्ब्स के साथ भारत की ऋण चुकाने सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा की गई थी, और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). भारत की ऋण-शोधन सम्बन्धी समस्या पर डा० एच० कूम्ब्स के साथ विचार-विमर्श किया गया है जिन्हें विश्व बैंक ने, भारत सहायता संघ के देशों द्वारा चौथी आयोजना के अन्तिम दो वर्षों में दी जाने वाली ऋण सम्बन्धी राहत के बारे में सिफारिशें करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। उनकी सिफारिशों के आधार पर, सहायता-संघ द्वारा चालू वर्ष में दी जाने वाली ऋण-राहत की राशि के बारे में विश्व बैंक, सहायता संघ के अन्य देशों के साथ चर्चा कर रहा है।

श्री पी० गंगादेव : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम तैयार किया है कि आगामी तीन वर्षों में ऋणों की अदायगी कितनी होगी और साधनों की उपलब्धता तथा सहायता कितनी होगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटा ब्यौरा क्या है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आगामी दो वर्षों में सहायता करने वाले देशों को कुल मिलाकर लगभग 11,300 लाख डालर का भुगतान किये जाने का अनुमान है। मुख्य समस्या इस राशि का भुगतान करने में छूट प्राप्त करने की है। वास्तव में क्या स्थिति होती है, इसकी प्रतीक्षा करनी होगी। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि इस देनदारी को किन साधनों से पूरा किया जा सकता है। इस मामले पर और आगे विचार किया जायेगा।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सार्थसंघ के कुछ सदस्य देश उस सहायता में जिसका उन्होंने वचन दिया है वृद्धि करने के इच्छुक नहीं हैं, क्या सरकार ने उपरोक्त देशों के साथ ऋण के भुगतान की पुनर्व्यवस्था करने के बारे में कोई पत्रव्यवहार किया है ; यदि हां, तो सम्बन्धित देशों की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वास्तव में विश्व बैंक स्वयं इस मामले में रुचि ले रहा है और विभिन्न सदस्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है। डा० कूम्ब्स ने स्वयं दौरा किया था और इस समस्या के बारे में सदस्य देशों के साथ बातचीत की थी। वह हमारे पास भी आये थे और कुछ विचार विमर्श किया था। परन्तु यह ऐसा मामला है जिस पर निगाह रखनी होगी। हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, परन्तु साथ ही इसके लिये हम उन देशों के पीछे भाग नहीं सकते।

Shri Shrikishan Modi : May I know from the hon'ble Minister that in case the Government succeeds in getting a loan of 20 crores, from the World Bank, will they spend the loan of £ 10 crores in the backward areas and if not, the names of the schemes on which the said amount will be spent ?

Mr. Speaker : Such hypothetical questions cannot be allowed. Please ask a direct question.

Shri Shrikishan Modi : May I know how much loan has been taken from the World Bank, how much has been repaid and what is the balance that has yet to be paid ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं अनेक तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर के रूप में इन प्रश्नों के उत्तर दे चुका हूं। यदि वह उन कागजातों को देखें तो उन्हें अपेक्षित जानकारी मिल जायेगी। जहां तक प्रस्तुत प्रश्न का संबंध है, यह ऋण में छूट के सम्बन्ध में है कि हमको आगामी दो बर्षों में व्याज और मूलधनराशि को मिलाकर कितना ऋण चुकाना है। मैंने इस बारे में आंकड़े दे दिये हैं। यह लगभग 11,300 लाख डालर है।

कलकत्ता से लन्दन और पेरिस को एयर इण्डिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की व्यवस्था का प्रस्ताव

\+
*344. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया की कलकत्ता से लन्दन और पेरिस के लिये अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान की व्यवस्था करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). 3 नवम्बर, 1972 से एयर इण्डिया एक नयी उड़ान परिचालित करेगी जो कलकत्ता से प्रारंभ होगी तथा लंदन में समाप्त होगी । उड़ान के मार्ग-क्रम निम्न प्रकार होंगे :–

पश्चिम को जाते हुए—कलकत्ता-बम्बई-काहिरा-जेनेवा-पैरिस-लन्दन ।

पूर्व को आते हुए—लन्दन-जेनेवा-रोम-काहिरा-दिल्ली-कलकत्ता ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मंत्री महोदय से यह उत्तर प्राप्त करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है । इस मंत्रालय ने कई बार घोषणा की थी कि नागर विमानन विभाग कलकत्ता हवाई अड्डे के लिये भी इंटरनेशनल एयर टर्मिनल बिल्डिंग का हर सम्भव तरीके से उपयोग करेगा । यह दुर्भाग्य की बात है कि गत दो वर्षों में अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय विमानों का यातायात कई कारणों से कलकत्ता हवाई अड्डे पर बिल्कुल बन्द है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह जम्बो जेट उतारने के लिये कलकत्ता हवाई अड्डे का प्रयोग करने हेतु सभी सम्भव प्रयास करेंगे जिससे एयर इण्डिया तथा एयरलाइन्स के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा आरम्भ की जा सके ?

डा० कर्ण सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं द्विपक्षीय करारों के अधीन चलाई जाती हैं । यह सच है कि अनेक विदेशी विमान कम्पनियों ने अपने विमान कलकत्ता हवाई अड्डे पर ले जाना बन्द कर दिया है और इससे हमें निराशा हुई है । जहां तक हमारे मंत्रालय का सम्बन्ध है, हम इण्टरनेशनल एयर टर्मिनल बिल्डिंग का पूरा उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं । एक सुझाव यह था कि देश में जेट विमानों के लिये इसका उपयोग किया जाये । यह सुझाव मुझे भी पसन्द है क्योंकि काफी क्षमता फालतू है ; परन्तु इसके लिये इण्डियन एयरलाइन्स को अत्यधिक अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा ।

जहां तक जम्बो जेट विमानों का सम्बन्ध है, वे आजकल पश्चिम के मार्ग पर चलते हैं । जब ये विमान टोकियो को जाना आरम्भ करेंगे तब निश्चय ही जम्बो जेट कलकत्ता से होकर जायेंगे ।

श्रीमती माया राय : क्या मंत्री महोदय हमें आश्वासन देंगे कि जब इन विमानों की उड़ानें लंदन से कलकत्ता तक आरम्भ हो जायेंगी, तब यात्रियों को बम्बई में उतर जाने के लिये नहीं कहा जायेगा जिसका मुझे स्वयं अनुभव है ?

डा० कर्ण सिंह : इस विमान सेवा को कलकत्ता से चलाने और कलकत्ता में समाप्त करने का यही प्रयोजन है कि यात्रियों को बम्बई में उतर जाने को बिल्कुल नहीं कहा जाये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि दमदम पर निर्मित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यात्रियों की अनुपस्थिति के कारण ऐसा भुतहा भवन जैसा दिखाई पड़ता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस हवाई अड्डे के निर्माण पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गई है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि की जाएगी जिससे इस धन और इस टर्मिनल का उचित उपयोग हो ।

डा० कर्ण सिंह : जैसाकि मैंने बताया, हम एकपक्षीय रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विमानों की उड़ानों में वृद्धि नहीं कर सकते क्योंकि अन्य एयरलाइन्स अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार कार्य करती हैं । जहां तक एयर इण्डिया का सम्बन्ध है, इस बात पर विचार किया गया था कि कलकत्ता

से कोई उड़ान नहीं होती और इसी प्रयोजन के लिये यह नई विमान सेवा चलाई गई है, जो सीमान्त ही होगी, और मुझे आशा है कि इससे यातायात में वृद्धि होगी ।

श्री बी० के० दासचौधरी : कलकत्ता से पश्चिम को और कलकत्ता से पूर्व की ओर कितनी कितनी उड़ानें आरम्भ की जायेंगी ?

डा० कर्ण सिंह : आजकल कलकत्ता से तथा वहां तक हर सप्ताह कुल 110 अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें की जाती हैं । इसमें विदेशी विमानों की उड़ानें तथा एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा संचालित अनेक उड़ानें शामिल हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा उडानों का रद्द किया जाना एक आम बात हो गई है जिसके कारण यात्रियों को विशेषकर रात के समय बहुत असुविधा होती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी दूसरे प्रश्न की प्रतीक्षा कीजिये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह प्रश्न दमदम हवाई अड्डे के बारे में है । यह बात समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई है । मंत्री महोदय इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं । मेरा प्रश्न असम्बद्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप तर्क न दीजिये । यदि आप ही यह निर्णय कर लें कि यह प्रश्न असम्बद्ध है या नहीं तो यहां मेरी आवश्यकता ही नहीं है । मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं एक स्पष्टीकरण प्राप्त करने की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रतीक्षा कीजिये । एक और प्रश्न आने वाला है ।

श्री रणबहादुर सिंह . क्या मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि कलकत्ता से टोकियो तक विमान सेवा कब तक आरम्भ की जायेगी ।

डा० कर्ण सिंह : कलकत्ता और टोकियो के बीच अब भी 707 विमान द्वारा उड़ानें की जाती हैं । ये उड़ानें साप्ताहिक हैं । जम्बो जेट के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है, शायद वर्ष 1974 में यह सम्भव होगा ।

श्री त्रिदिब चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इस बात का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है कि अर्न्तराष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा कलकत्ता हवाई अड्डा उपयोग में न लाये जाने के क्या कारण हैं । क्या यह बात मानने योग्य है कि ट्रेवल एजेंसियों और अर्न्तराष्ट्रीय विमान कम्पनियों की कलकत्ता से हट कर उड़ानें करने या कलकत्ता से ऊपर उड़ानें करने की सांठगांठ है ?

डा० कर्ण सिंह : मेरे विचार में ऐसी कोई सांठगांठ नहीं है क्योंकि यह ट्रेवल एजेंटों के हित की बात है कि अधिक से अधिक लोग यात्रा करें क्योंकि उनको उतनी ही अधिक कमीशन मिलेगी । निःसन्देह इसके कारण बहुत से हैं । मेरे विचार में उनका वाणिज्यिक निर्णय इस बात पर आधारित है कि तीन या चार वर्ष से पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति काफी खराब है । मेरे विचार में इसका प्रभाव विदेशी विमान कम्पनियों पर भी पड़ा है । परन्तु मैं उनकी ओर से कुछ नहीं कहना चाहूंगा । यह मेरा अनुमान है ।

Financial Assistance to Bihar

*345. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Chief Miniter of Bihar has demanded that at the time of giving assistance to the States for the Fifth Plan, the Sixth Finance Commission should consider the financial position of the States and allocate financial aid to them in accordance therewith ; and

(b) if so, the reaction of Central Government thereto ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). बिहार सरकार से ऐसा कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसका उल्लेख प्रश्न में किया गया है। फिर भी, छठा वित्त आयोग अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत पांचवीं आयोजना अवधि के लिए केन्द्रीय करों तथा शुल्कों और सहायक अनुदानों में राज्यों के हिस्से के सम्बन्ध में सिफारिश करते समय निस्सन्देह राज्यों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखेगा।

Shri K. M. Madhukar : The Chief Minister of Bihar had raised this issue in the meeting of National Development Council and urged that financial assistance should be given to the backward states especially those whose financial position is not good. May I know whether Government accepts this suggestion ? Do Government propose to help the State Government of Bihar, keeping in view the famine conditions in that State ? I would also like to know whether Government have accepted the demand of the Chief Minister in the context of Fifth Five Year Plan.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह प्रश्न पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये सहायता के बारे में है। वास्तव में बिहार सरकार की ओवर ड्राफ्ट की अपनी समस्या है। निस्संदेह, वहां सूखे की समस्या है। वे जिन समस्याओं को ले कर हमारे पास आते हैं, हम उनको हल करने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु अब मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि कितनी सहायता दी जाती है और इस प्रयोजन के लिये छठे वित्त आयोग ने क्या तरीका अपनाया है।

Shri K. M. Madhukar : I wanted to know whether the Chief Minister of Bihar has demanded any assistance during the Fifth Five Year Plan and whether Central Government have agreed to give that assistance ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता परन्तु हाल ही में सूखे की स्थिति के लिये उन्होंने कुछ मांग की थी। केन्द्रीय सरकार का एक दल वहां गया था और उसने बिहार में सूखे की स्थिति के बारे में जो सिफारिशें की थीं, उन्हें स्वीकार कर लिया गया है।

Shri K. M. Madhukar : I had asked the demand made by the Chief Minister and the amount which is being given.

Mr. Speaker : This is a specific question and separate notice is required in this regard. It has no relevance with this question.

पर्यटकों के लिये रेल-सड़क विमान-समुद्री यात्रा के लिये समेकित समय-सारिणी

*346. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, पर्यटकों के लाभार्थ रेल-सड़क-विमान-समुद्री यात्रा के लिये कोई समेकित समय-सारिणियां निकालने का प्रयास किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयास का क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, नहीं। तथापि, रेल, सड़क तथा विमान सेवाओं के संबंध में सूचना पर्यटन विभाग द्वारा निकाली गयी विज्ञापन-पत्रिकाओं (इंसर्ट्स) में दी गयी है। पर्यटकों की सुविधा के लिये विभाग एक संक्षिप्त पर्यटक रेलवे समय-सारिणी भी निकालता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बी० वी० नायक : इससे पहले कि रेल-सड़क-विमान-समुद्री यात्रा के लिये समेकित समय-सारणी निकाली जाये, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे पास देश में सड़क सेवाओं के सम्बन्ध में कोई समय सारणी है, क्योंकि बस सेवा ऐसी सेवा है जो देश के आम लोगों को अधिकतम संख्या में ले जाती है तथा जो लोग रेल से यात्रा करते हैं, उनकी कुल संख्या से भी अधिक लोग बसों से यात्रा करते हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : प्रत्येक सड़क प्रणाली की समय सारणी है। पर्यटन विभाग की ओर से जब हम फोल्डर तथा छोटे पैम्फ्लेट निकालते हैं तो हम यह कोशिश करते हैं। इनमें उन क्षेत्रों में भी सड़क समय-सारणी रखी जाये।

श्री बी० वी० नायक : मुझे शंका है कि मंत्री महोदय को हाल ही के वर्षों में सड़क से यात्रा करने का अवसर नहीं मिला है। हमारे सड़क परिवहन का बड़ा भाग निजी गाड़ियां चलाने वालों के हाथ में है। जहां कहीं भी राज्य परिवहन अथवा सरकारी परिवहन प्रणाली है, वहां कम से कम हमें सड़क समय-सारणी की झलक मिलती है। अत: क्या यह देश में समूचे सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं। इस प्रश्न में हमारा यहां इन सभी के राष्ट्रीयकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। अच्छा हो, आप संगत प्रश्न करें।

श्री बी० वी० नायक : यह हमारी जनता के बड़े महत्व का प्रश्न है। यदि आप रेल तथा विमान सेवाओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ समय-सारणियां हैं परन्तु सड़क परिवहन में कोई समय-सारणी नहीं है। क्या इस सम्बन्ध में कुछ आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है? यह बहुत ही संगत प्रश्न है। यह जनता का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न श्री राज बहादुर को सम्बोधित कर सकते हैं। आपने यह बहुत अच्छा विचार बताया है। यह प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता।

अशोधित तेल की सप्लाई के साधन और सरकारी तथा गैर-सरकारी तेल शोधक कारखानों की विद्यमान क्षमता

*347. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के तेलशोधक कारखानों की विद्यमान क्षमता क्या है और उनका किस सीमा तक प्रयोग होता है ;

(ख) ये तेल शोधक कारखाने अशोधित तेल के लिए किन साधनों पर निर्भर करते हैं और उन पर गत तीन वर्षों में वर्ष वार कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ; और

(ग) चौथी तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना में इनके विस्तार संबंधी प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और इनकी अशोधित तेल की आवश्यकता को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) सरकारी क्षेत्र में वर्तमान क्षमता 13.3 मिलियन मीटरी टन है । यह 11.6 मिलियन मीटरी टन की मात्रा तक प्रयोग की गई है । इस वर्ष के अन्त से प्रारम्भ होने वाले ईराक से आयातित कच्चे तेल पर शेष एक मिलियन मीटरी टन क्षमता बरौनी तेल शोधक कारखाने में उत्तरोत्तर चालू की जा रही है । जब अगामी वर्ष के अन्त तक गुजरात के उत्तर में कच्चे तेल के क्षेत्रों से वृद्धि युक्त उत्पादन को अन्तिम रूप दिया जायेगा तब कोयली शोधनशाला पर शेष 0.7 मिलियन मीटरी टन क्षमता चालू हो जायेगी । गैर-सरकारी क्षेत्र को चार शोधनशालाओं की लाइसेंसकृत क्षमता केवल 5.075 मिलियन मीटरी टन थी । चालू वर्ष में उन्हें 7.55 मिलियन मीटरी टन तक परिचालन करने की अनुमति दी गई है ।

(ख) दिग्बोई नामक स्थान पर गैर-सरकारी क्षेत्र की शोधनशाला को शामिल करते हुए, देश में चार शोधनशालाएं पूर्णतया देशीय अशोधित तेल पर परिचालित हैं । पांच तटीय शोधनशालाएं, ईरान एवं दक्षिणी अरब से कच्चा तेल आयात कर रही हैं । गत तीन वर्षों में इन आयातों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :—

1969 में	94 करोड़ रुपये
1970 में	102 ,, ,,
1971 में	140 ,, ,,

(ग) एक विवरणपत्र संलग्न है ।

विवरण

चौथी एवं पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान शोधन क्षमता जिसे अब तक निश्चित रूप दिया गया है, के विस्तार के लिए योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

(i) कोचीन शोधनशाला : मार्च, 1971 में कोचीन शोधनशाला को अपनी क्षमता का प्रतिवर्ष लगभग एक मिलियन मीटरी टन तक विस्तार करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस स्वीकार किया गया था । इस प्रायोजना पर 5.11 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । 1973 में अतिरिक्त क्षमता के चालू होने की आशा है । इस संबंध में कच्चे तेल की सप्लाई आयात द्वारा पूरी की जायेगी ।

(ii) बरौनी शोधनशाला : यद्यपि शोधनशाला की क्षमता 3.2 मिलियन मीटर टन है ; किन्तु वह, असम तेल क्षेत्रों से पाइपलाइन की सीमित क्षमता के कारण प्रतिवर्ष 2.2 मिलियन मीटरी टन पर कार्य कर रही है । आयातित कच्चे तेल के शोधन द्वारा शोधनशाला को शेष क्षमता का प्रयोग करने का विचार है, क्योंकि मध्य पूर्व से उपलब्ध कच्चे तेल में अधिकांश तौर पर उच्च गन्धकीय अशोधित तेल है, इसलिए उच्च गंधकयुक्त अशोधित तेल को साफ करने के लिए शोधनशाला में कई संशोधन/

वृद्धियां की जा रही हैं । प्रायोजना पर 13.6 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है तथा इसके 1974 के मध्य तक पूर्ण होने की आशा है। ईराक से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल के प्रयोग द्वारा, शोधनशाला के अप्रयुक्त यूनिट के 1972 के अन्त तक चालू होने की आशा है। असम से उपलब्ध गंधक रहित कच्चे तेल की तुलना में इस अशोधित तेल में लगभग 20% गंधक है। इसके परिणामस्वरूप 1974 के मध्य तक संशोधन कार्यों की पूर्ति के स्थगित रहने तक तीसरा यूनिट केवल 0.7 मिलियन मीटरी टन की न्यूनतम क्षमता पर कार्य करेगा।

(iii) कोयाली शोधनशाला : यदि शोधनशाला की डिजायन क्षमता प्रतिवर्ष 3 मिलियन मीटरी टन है, पुनः मरम्मत की प्रक्रिया एवं मार्ग-अवरोधक कठिनाइयों को दूर करके, इस शोधनशाला की प्रतिवर्ष 4.3 मिलियन मीटरी टन तक क्षमता बढ़ाई गई है। शोधनशाला का सभी पहलुओं में विस्तार करने के प्रश्न की जांच करने के लिए, गठित कार्यकारी दल ने नवम्बर, 1971 में अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट को जांच की गई है और भारतीय तेल निगम को प्रतिवर्ष 5.5 मिलियन मीटरी टन शोधनशाला (जो देशीय अशोधित, तेल से अनुपूरित आयातित कच्चे तेल को साफ करने के लिए रूपांकित है) के विस्तार को एक संभाव्य रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।

(iv) हल्दिया शोधनशाला : पश्चिमी बंगाल में हल्दिया नामक स्थान पर प्रतिवर्ष 25 मिलियन मीटरी टन की क्षमता से एक शोधनशाला का निर्माण हो रहा है । इस परियोजना के 1973 के तीसरे चतुर्थांश तक चालू हो जाने की आशा है।

(v) उत्तर-पश्चिम शोधनशाला, मथुरा : मथुरा में स्थापित की जाने वाली शोधनशाला की क्षमता प्रतिवर्ष 6 मिलियन मीटरी टन होगी तथा यह देश में सबसे बड़ी शोधनशाला होगी। इस शोधनशाला की कच्चे तेल की आवश्यकताओं को आयात द्वारा पूरा किया जायेगा। आयात किए जाने वाले कच्चे तेल का कच्छ की खाड़ी, जहां पर एक अपतट "चेंगल वाई मोरिंग" सुविधा की व्यवस्था की जायेगी, से प्राप्त होगा। वहां से कच्चा तेल एक तट टरमिनल तक लाया जायेगा तथा फिर वहां से इसे एक पाइपलाइन द्वारा मथुरा स्थित शोधनशाला के स्थल तक लाया जायेगा। इस शोधनशाला से मोटर स्प्रिट, नैफ्था, हाई स्पीड डीजल आयल, मिट्टी का तेल, लाइट डीजल आयल, भट्टी को तेल (उर्वरकों के लिए संभरण सामग्री सहित), तरल पेट्रोलियम गैस और बिट्यूमेन के उत्पादन की आशा है। शोधनशाला प्रायोजना का एक विशेष लक्षण, अधिक मूल्यवान मिडिल डिस्टीलेट्स, जिनकी उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में बृहत एवं बढ़ती मांग है, को भारी अवशेष में परिवर्तन करने के लिए, एक मिलियन मीटरी टन हाइड्रोक्रैकर की व्यवस्था करना होगा। शोधनशाला के 1978 तक चालू हो जाने की आशा है।

(vi) बोंगईगांव शोधनशाला : सरकार ने असम में बोंगईगांव नामक स्थान पर एक डी० एम० टी०/पोलिएस्टर फाइबर पेट्रो-रसायन उद्योगसमूह सहित, एक मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल को साफ करने की एक शोधनशाला को स्थापित करने का निर्णय लिया है।

बोंगईगांव शोधनशाला, तेल एवं प्राकृतिक गैस-आयोग और आयल इंडिया लि० के कच्चे तेलों के मिश्रण को साफ करेगी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के तेल क्षेत्रों से बोंगईगांव तक इसके अतिरिक्त एक मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल के परिवहन के लिए, नाहर कटिया से वर्तमान आयल इंडिया पाइप लाइन की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। परियोजना के 1976 में चालू होने की आशा है ।

(vii) पांचवी योजना की प्रायोजनाएं : कोयाली विस्तार और उत्तर-पश्चिम तथा बोंगईगांव में स्थित नई शोधनशालाओं का निर्माण-कार्य एवं बरौनी शोधनशाला का संशोधन कार्य केवल पांचवीं

योजना अवधि में पूरा हो सकेगा। ईंधन नीति समिति की मौजूदा सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग द्वारा नियुक्त किए गए एक टास्क फोर्स के अन्तर्गत पांचवीं योजना अवधि के लिए अन्य योजनाएं विचाराधीन हैं।

2. कच्चे तेल की देशीय उपलब्धि तथा कुल आश्यकताओं के बीच पाये जाने वाले अन्तराल को आयातों द्वारा पूरा किया जायेगा।

श्री एस० आर० दामाणी : जहां तक तेलशोधन क्षमता का सम्बन्ध है, मेरे विचार में सरकार ने इसमें काफी प्रगति की है परन्तु जहां तक अशोधित तेल के उत्पादन का सम्बन्ध है, हम बहुत पीछे रह गये हैं। हम आज भी अन्य देशों से काफी मात्रा में अशोधित तेल को आयात कर रहे हैं जिसका मूल्य हमें विदेशी मुद्रा में चुकाना पड़ता है। हमारे खोज कार्यक्रम अब भी पीछे पड़े हुए हैं। कुछ समय पूर्व सरकार ने अशोधित तेल खरीदने तथा गैर-सरकारी तेलशोधक कारखानों को सप्लाई करने की पेशकश की थो। सरकार द्वारा उन्हें अशोधित तेल की सप्लाई करने के बारे में गैर-सरकारी तेल-शोधक कारखानों की सरकार के प्रति क्या प्रतिक्रिया है।

श्री एच० आर० गोखले : वास्तव में इसमें दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न खोज के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्य ने कहा है कि खोज कार्य पर्याप्त नहीं हुआ है। यह प्रश्न दूसरे प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है। इस बारे में मैं जो कुछ कह सकता हूं वह यह है कि हम ने 80 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है जो कि ऐसा साधारण लक्ष्य नहीं है, यद्यपि हम निश्चय ही अधिक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। अन्तर्देशीय तथा तट-दूर दोनों खोज के लिए प्रयास जारी है। जैसा कि सभा को ज्ञात है तट-दूर छिद्रण कार्य इस वर्ष के अन्त में अथवा अगले वर्ष के आरम्भ में जब मंच (प्लेटफार्म) तैयार हो जायेगा, आरम्भ किया जायगा। तब हम आशा करते हैं कि काफी मात्रा में तेल की खोज की जायेगी। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या कुछ गैर-सरकारी कम्पनियां सरकार द्वारा सप्लाई किए गए, न कि अपने द्वारा आयात किए गए, तेल के शोधन के लिए प्रयास कर रही हैं। मेरा विश्वास है कि प्रश्न का यही आशय है। ऐसे सभो प्रस्ताव सदैव ऐसी कठिन शर्तों के साथ किए जाते थे जिन्हें हमारे हितों को क्षति पहुंचे बिना हम स्वीकार नहीं कर सकते थे।

श्री एस० आर० दामाणी : सरकार ने तेलशोधक कारखानों को अशोधित तेल सप्लाई करने की पेशकश इसलिए की थी क्योंकि ये तेलशोधक कारखाने अपने मूल्य बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेलशोधक कारखाने प्रायः मूल्य बढ़ा देते थे, तब सरकार ने कहा, "नहीं, आप मूल्य नहीं बढ़ा सकते हैं, हम आपको अशोधित तेल सप्लाई करेंगे।" उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक उन विदेशी तेल कम्पनियों का सम्बन्ध है जिनके बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, गैर-सरकारी क्षेत्र में तीन तटवर्ती तेलशोधक कारखाने हैं। वे उन करारों पर दृढ़ हैं जिनमें यह व्यवस्था है कि वे अपना अशोधित तेल आयात करने के हकदार होंगे। हमें अपने उन सब प्रयासों में सफलता नहीं मिली है जो यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए थे कि हम उनके लिए अशोधित तेल का आयात करें।

श्री एस० आर० दामाणी : मन्त्री महोदय ने खोज कार्य का उल्लेख किया है। क्या अशोधित तेल की खोज के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम है।

श्री एच० आर० गोखले : मैं समझ नहीं सका। माननीय सदस्य का कार्यक्रम समय-बद्ध कार्य-क्रम से क्या तात्पर्य है ? किसके लिए ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने खोज के बारे में पूछा है कि क्या इसके लिए कोई चरणबद्ध कार्यक्रम, कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ?

श्री एच० आर० गोखले : जैसा कि सभा को ज्ञात है इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम है क्योंकि यहां पहले कई बार कहा जा चुका है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा रूसी विशेषज्ञों के एक संयुक्त दल ने इस प्रश्न की जांच की है। इसका प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध नहीं है अतः मेरे पास सही आंकड़े नहीं हैं। मुझे पता है कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पहले पांच वर्षों में हम लगभग 60 लाख से 70 लाख मीट्रिक टन तेल का पता लगा सकेंगे तथा बाद के पांच वर्षों में हम 130 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। वह संयुक्त सिफारिश उन सिफारिशों में से थी जिसे स्वीकार कर लिया गया है और क्रियान्वित किया गया है और इसकी सम्भावना है।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या सरकार को पता है कि विदेशी-मुद्रा की अनुपलब्धता के आधार पर बम्बई के एस्सो तथा बर्मा-शेल तेलशोधक कारखाने अशोधित तेल का कम मात्रा में आयात करके उत्पादन की प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया में लग गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रिय श्री राजा जी, यह प्रश्न संगत नहीं है . . .

श्री राजा कुलकर्णी : मैं इसे स्पष्ट करूंगा . . .

अध्यक्ष महोदय : आप वहां तक क्यों जा रहे हैं। प्रश्न तेलशोधक कारखानों की क्षमता के बारे में है। आप एस्सो, बर्मा-शेल आदि को बीच में ला रहे हैं। इसके बारे में आप अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राम सहाय पांडे : गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा जिन आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जाता है, उनके बारे में कदाचार को रोकने के लिए इन आवश्यक वस्तुओं का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया गया है। क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसके द्वारा उस अशोधित तेल के आयात को सरणीबद्ध किया जा सके, जिसका आयात इस समय गैर-सरकारी तेलशोधक कारखानों द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य तथा सभा को पता है कि जहां तक अशोधित तेल के आयात का सम्बन्ध है, जो इस समय गैर-सरकारी तेलशोधक कारखानों द्वारा किया जा रहा है, इसका आयात सरकार द्वारा सरकार के लिये उचित मूल्यों पर सुनिश्चित करने के लिए सरकार भी उतनी ही चिंतित है जितने माननीय सदस्य हैं। परन्तु, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं और मेरे विचार से फिर कहना पुनरावृत्ति ही होगी कि हमने 25 वर्ष की अवधि के लिए विदेशी तेल कम्पनियों के साथ करार कर रखे हैं जिनमें से पहला करार 1979 में किसी समय समाप्त होगा। जिसके परिणामस्वरूप वे उस लिखित खंड पर बल दे रहे हैं कि जहां तक अशोधित तेल का सम्बन्ध है, वे अपने तेलशोधक कारखानों में शोधन प्रयोजन के लिए अपने स्रोतों से अपना अशोधित तेल मंगाने के हकदार होंगे।

श्री राम सहाय पांडे : यह कठिन समस्या है। वे हकदार हो सकते हैं परन्तु जब वे कदाचार में लिप्त होते हों तो क्या सरकार करार को रद्द नहीं कर सकती ? सरकार एक सर्वोच्च प्राधिकरण है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया दूसरा अवसर मत लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बाजपेयी—अनुपस्थित। श्री मायावन—अनुपस्थित।

Development of Udaipur Aerodrome in Rajasthan

*350. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to further develop aerodrome at Udaipur (Rajasthan) ;

(b) whether the arrangements to provide adequate facilities to the foreign tourists do not exist at this aerodrome ; and

(c) whether the water cooler installed at this aerodrome is often out of order and no attention is paid to get it repaired ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir. Work relating to the extension of the terminal building has been sanctioned and a proposal for strengthening and extending of the runway etc. is under consideration.

(b) The present terminal building has the necessary facilities ; a restaurant, a passenger lounge and a tourist information desk manned by a state government tourist official.

(c) No, Sir.

Shri Lalji Bhai : May I know the amount earmarked for the construction work which is going on at present and time by which this will be completed ? The labour there is not paid according to the prescribed rates. These rates are not enterred in their presence. The Engineers and Overseers are having improper gains. May I know steps being taken by the Government to ensure that money is not spent wrongly ?

Dr. Karan Singh : As I have said in the reply that Rs. 78,000 have been sanctioned for the Terminal Building. It is hoped that this work will be completed by March 31, 1973. No amount has yet been sanctioned for the other work in regard to strengthening of runway. That is under consideration. So far as the third question asked by the hon. Member is concerned, we get our works done through the C. P. W. D. and their procedure which is conducted in the country will also be conducted there.

श्री एस० एम० बनर्जी : उनके नामों के सामने कुछ दरें तो लिखी जाती हैं परन्तु उसकी अदायगी उन्हें नहीं की जाती, यह एक गम्भीर मामला है ।

Dr. Karan Singh : That work has not still been started. How does the hon. Member know whether names are there or not ? The hon. Member is predicting. If he has any information, he may give that information in writing to me.

रक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों को बोनस देना

*353 **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी फेडरेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह रक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों को बोनस देने सम्बन्धी प्रश्न को बोनस अधिनियम के कार्यकरण पर पुनर्विचार करने के लिये गठित की गई समिति को निर्णयार्थ सौंप दें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित पत्र तुरन्त उपलब्ध नहीं है । तथापि, इस प्रश्न पर कि क्या रक्षा मंत्रालय के अधीन विभागीय उपक्रमों के कर्मचारी बोनस की अदायगी के पात्र हो सकते हैं, विचार किया जा रहा है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : 24 तारीख को हुई श्रम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में सभी वर्गों के उपस्थित सदस्यों द्वारा एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें श्रम मंत्रालय अर्थात श्रम मंत्री से मांग की गई थी कि मामले को सरकार के विचारार्थ भेज दिया जाना चाहिये । क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य का पता है । क्या सरकारी उपक्रमों तथा रक्षा मंत्रालय और श्रम विभाग में भेद भाव को दृष्टि में रखते हुये रक्षा मंत्रालय ने भी इस मामले का समर्थन किया है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि मैंने बताया कि मामला विचाराधीन है । श्रम विभाग मामले की छान-बीन कर रहा है । विभिन्न मंत्रालयों के पारस्परिक परामर्श समाप्त हो जाने के पश्चात वे मामले को मंत्रिमंडल के निर्णय के लिये मंत्रिमंडल के सामने लायेंगे । इसके बाद ही यह बताया जा सकता है कि हम मामले पर क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ।

राज्यों को विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋणों का उपयोग

*355. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को दिए गए विश्व बैंक ऋण अप्रयुक्त रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के ऋण अप्रयुक्त रहे हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन ऋणों के बारे में समय-समय पर राज्यों से कोई पूछताछ की है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) विभिन्न राज्यों की भूमिगत जल विकास, सिंचाई और कृषि यंत्रीकरण परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से लिए गए ऋणों में से अब तक 210 लाख डालर की रकम इस्तेमाल की गई है ।

(ख) ये ऋण उधार परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में पूरे होने वाले कार्यक्रम के अनुसार कई वर्षों में इस्तेमाल किए जाने होते हैं । इन ऋणों की 30.3 करोड़ डालर की रकम अभी निकाली जानी है ।

(ग) जी, हां ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुये हैं कि प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों के कारण सरकार विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋणों का उपयोग करने में असफल रही । यह बात कहां तक सच है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमें आशा है कि जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे ही ऋणों के उपयोग में वृद्धि होगी क्योंकि ऋणों के उपयोग के आरम्भिक चरणों में कुछ तैयारी करनी होती है और वास्तव में इसमें संस्थागत व्यवस्था तथा अन्य बातों की बहुत सी जटिलतायें हैं । परन्तु समय बीतने के साथ साथ उपयोग की गति में वृद्धि होगी ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में आने वाली मूल कठिनाइयां बतायी हैं । कृषि विकास कार्यों के लिये विश्व बैंक के 3240 लाख रुपये की राशि के ऋण मंत्रालय के पास 3 वर्ष तक अप्रयुक्त पड़े रहे । इसमें मूल कठिनाई जैसी कोई बात नहीं है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह मंत्रालय द्वारा धनराशि प्राप्त करने तथा राशि को चारों ओर वितरित करने का प्रश्न नहीं है । इस राशि को किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय करना होता है ।

प्रत्येक राज्य में कुछ राशि का व्यय किया जाना आवश्यक है। परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि उपयोग में वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिये वर्ष 1970-71 में 32 लाख रुपये को राशि का उपयोग किया गया, वर्ष 1971-72 में उपयोग की गई राशि 73 लाख हो गयी। इस वर्ष के दौरान हमने अभी तक 105 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया है। इस प्रकार उपयोग में वृद्धि हो रही है। परन्तु मुझे विश्वास है कि इसमें समय लगेगा। मैं ऐसा इस लिये कह रहा हूं कि धन राशि प्राप्त होते ही हम उसे व्यय करने की स्थिति में नहीं होंगे। इस परियोजना की भी कुछ शर्तें हैं कि यह राशि किस ढंग से व्यय की जानी चाहिये।

श्री प्रियरंजन दासमुन्शी : प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर मंत्री महोदय ने स्वीकारात्मक दिया है। क्योंकि मंत्रालय के पास इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है, अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन से राज्य अथवा कौन सा अकेला राज्य कृषि विकास के लिये दिये गये विश्व बैंक के ऋणों को तुरन्त उपयोग कर रहा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं किसी राज्य विशेष का नाम नहीं बता सकता क्योंकि स्थिति प्रत्येक राज्य में लगभग समान ही है, अतः सभी राज्यों की कठिनाइयां भी समान ही हैं। अधिकांश चुने हुये राज्यों के इस दायित्व को पूरा करना आरम्भ कर दिया है। उदाहरण के लिये सिंचाई परियोजनाओं के मामले में आन्ध्र प्रदेश और गुजरात के नाम मुख्य राज्यों के रूप में लिये जा सकते हैं। आन्ध्र प्रदेश में पोचाम्पद परियोजना पूरी की जानी है तथा गुजरात में कदाना परियोजना। जिस ठेकेदार को कदाना परियोजना का ठेका दिया गया था, वह इसे पूरा नहीं कर सका। अतः अब सरकार ने नये नोटिस दिये हैं तथा निविदायें मांगी हैं। किसी ने भी निविदा नहीं भेजी है। अतः सरकार ने इसे विभागीय कर्मचारियों से पूरा कराने का निर्णय किया है। इस सम्बन्ध में ऐसी कठिनाईयां सामने आती हैं। हमने राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाया हुआ है। मुझे आशा है माननीय सदस्य स्पष्ट रूप से राज्य का नाम बताने के मामले में मेरी कठिनाई को समझेंगे।

श्री पी० एम० मेहता : राज्यों द्वारा ऋणों की मांग करने सम्बन्धी प्रक्रिया क्या है ? क्या ऋणों की मांग के समर्थन में राज्यों को प्रस्तावित परियोजना भेजना आवश्यक नहीं है। यदि ऐसा करना आवश्यक है तो परियोजना ठीक प्रकार से तैयार क्यों नहीं की जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप ऋणों का उपयोग नहीं हो पाता है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्रश्न परियोजना की स्वीकृति के पश्चात धन राशि स्वीकृत कर दिये जाने के बाद की स्थिति के सम्बन्ध में है। प्रश्न यह उठता है कि इसे किस प्रकार कार्य रूप दिया जाये। प्रश्न यह नहीं पूछा गया है कि विश्व बैंक की स्वीकृति आदि के लिये परियोजना किस प्रकार उसके सम्मुख प्रस्तुत की जाये। इसकी तो बहुत लम्बी प्रक्रिया है, क्योंकि विश्व बैंक के विशेषज्ञ यहां आते हैं, केन्द्रीय सरकार के साथ बात चीत करते हैं, परियोजना का निरीक्षण करने जाते हैं, परियोजना प्रतिवेदन अथवा व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करते हैं तथा इसके पश्चात इस पर बात चीत की जाती है। अतः यह मामला बिलकुल अलग है। वर्तमान प्रश्न धन राशि स्वीकृत हो जाने के पश्चात की स्थिति तथा स्वीकृत राशि को उपयोग करने के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों के बारे में है और हम इस समय उसी पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री राम सहाय पांडे : विश्व बैंक के ऋणों के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि जब किसी परियोजना विशेष के लिये धन राशि स्वीकृत हो जाती है और इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो क्या हमें विदेशी मुद्रा के रूप में कुछ प्रभार देने पड़ते हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जब धन राशि का उपयोग ही नहीं किया जाता हैं तो भुगतान के रूप में राशि लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि धन राशियां वास्तविक व्यय के आधार पर प्राप्त होती हैं।

Dr. Laxmi Narain Pandeya : May I know whether the Ministry of Agriculture has instituted an inquiry in this regard or taken any action to institute it ? May I also know whether it is a fact that the condition of 20% investment by the farmers which they are not prepared to comply and the refusal of Mortgage Banks to increase their capacity are some of the reasons for the nonutilisation of these loans ?

Shri Yashwantrao Chavan : This also is a difficulty. You have rightly said that. There are certain difficulties in making straight payments. We are considering this matter, the matter has been taken up with A.R.C., the land mortgage Banks and the State Bank.

श्री सोम चन्द सोलंकी : क्या हम विश्व बैंक से पहले ऋणों के लिये आवेदन करते हैं और उसके पश्चात कार्यक्रम निश्चित करते हैं अथवा पहले कार्यक्रम बनाते हैं तथा धन राशि के उपयोग की व्यवस्था करते हैं और इसके पश्चात ऋणों के लिये आवेदन करते हैं।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : दोनों ही पद्धन्ति अपनाते हैं।

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा घटिया मशीनी तेल का आयात तथा उसका रेलवे को बेचा जाना

*356. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने गत तीन वर्षों में ओशियानिक पेट्रोलियम कम्पनी के माध्यम से भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित मानक से कुछ घटिया स्तर का मशीनी तेल बैंकाक तथा रूमानिया से आयात किया और इस तेल को भारतीय मानक संस्था के स्तर के अनुसार बता कर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम सें रेलवे को बेचा जिसके कारण रेलगाड़ियों के चलने की दक्षता में कमी आने के अतिरिक्त रेलवे को भारी हानि भी हुई ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सौदे के लिए सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है और यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो सरकार का विचार मामले की जांच कराने का है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : भारतीय रेलवे द्वारा अपेक्षित ऐक्सल तेल का आयात दोनों सरकारों के बीच हुए ट्रेड प्लान करार के उपबन्धों के अन्तर्गत रुपया मुद्रा भुगतान में सामान्य रूप से रूमानिया से किया जाता है। ये सभी आयातें मैसर्स पैट्रोएक्सपोर्ट जो रूमानिया सरकार की एजेंसी है, की मार्फत की जाती है। पिछले दो वर्षों में प्रतियोगी टेण्डर मंगवाने के बाद, बैंकाक से भी मैसर्स ओषनिक पेट्रोलियम कारपोरेशन की मार्फत कुछ आयातें की गई हैं। इस समय रूमानिया से मैसर्स पेट्रोलऐक्सपोर्ट की मार्फत आयातें की जा रही हैं। ओषनिक पेट्रोलियम कारपोरेशन की मार्फत बैंकाक से की गई आयातों में कोई भी ऐसी नहीं थी जो भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित मानक से घटिया स्तर या विभिन्न पाई गई हो। रूमानिया से आयात किये गये नौ प्रेषणों में से तीन का मानक स्तर भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित मानक से विभिन्न था। तथापि, ये सब सीमाओं में थी और इसलिये भारतीय रेलवे द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। न

ही आई० ओ० सी० और न ही पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, जिन के द्वारा यह सभी सप्लाई की जाती है, को रेलवे से इस बारे में क्षति अथवा हानि की कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या रुमानियां ने पेट्रोल निर्यात के माध्यम से जो माल तीन बार भेजा था, वह इण्डियन स्टेण्डर्ड इंस्टीट्यूट के विशिष्ट विवरण से घटिया है। यदि हां, तो क्या पेट्रोल निर्यात के साथ हानि का मामला उठाया गया है ? क्या यह बात रेलवे के ध्यान में लायी गयी है कि रुमानिया ने जो तेल सप्लाई किया है, वह इण्डियन स्टेण्डर्ड इंस्टीट्यूट के विशिष्ट विवरण से घटिया है परन्तु स्वीकार किया जा सकता है ?

श्री एच० आर० गोखले : मैंने बताया है कि कुछ माल विशिष्ट विवरण से घटिया है, परन्तु इन्हें स्वीकार किया जा सकता है। यह माल भारतीय तेल निगम और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से मंगाया गया है तो इन दोनों संगठनों ने और न ही रेलवे ने कोई ऐसा प्रश्न उठाया है कि यह माल घटिया है और इससे रेलवे का कार्यकरण प्रभावित हुआ है। हमने जो जांच कराई उससे भी यह पता चला है कि रुमानिया की किसी गलती के कारण ऐसा नहीं हुआ है, अपितु मार्ग में कुछ संदूषण हो गया है और थोड़े मात्रा के संदूषण के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या अखिल भारतीय तेल विक्रेता संघ ने कोई ज्ञापन दिया है जिसमें बहुत सी अनियमिततायें बतायी गयी हैं और क्या मंत्री महोदय का ध्यान इसकी ओर दिलाया गया है ? क्या इस ज्ञापन पर विचार किया गया है तथा उचित कार्यवाही की गई है ? उन्होंने विशेषतया यह आरोप लगाया है कि बहुत से विक्रेताओं से घटिया तेल को बढ़िया तथा बढ़िया को घटिया बताया गया है।

श्री एच० आर० गोखले : यह संगठन विशेष बहुत समय पहले से अभ्यावेदन देता रहा है। उन सभी पर विचार किया गया है तथा उचित समय पर उचित उत्तर दे दिया गया है।

भूत-पूर्व नरेशों के विदेशों में विदेशी-मुद्रा खाते

*357. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से भूत-पूर्व नरेशों के विदेशों में अभी भी विदेशी मुद्रा खाते तथा परिसम्पत्तियां हैं ; और

(ख) जिन भूत-पूर्व नरेशों ने विदेशों में अपने लेखों तथा परिसम्पत्तियों की घोषणा नहीं की है, जैसा कि सरकारी निदेशों के अन्तर्गत आवश्यक है, उनके विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ भूत-पूर्व नेरेशों की विदेशों में परिसम्पत्तियां हैं।

(ख) विनियमों के अन्तर्गत भूत-पूर्व नरेशों के अधिकार और दायित्व, अन्य नागरिकों के समान ही हैं। संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के लागू हो जाने के बाद, भूत-पूर्व नरेशों को इस वैधिक स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। जो वैधिक आवश्कताओं का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रबोध चन्द्र, क्या आप कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ? श्री बनर्जी।

श्री एस० एम० बनर्जी : संविधान में संशोधन करने के पश्चात भूत-पूर्व नरेशों के विरुद्ध उसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी जैसी विदेशी परिसम्पत्ति रखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक के विरुद्ध की जाती है। क्या विदेशों में भूत पूर्व नरेशों की कुल परिसम्पत्तियों का कोई मूल्यांकन किया गया है ? क्या यह भी सच है कि विदेशी मुद्रा के खातों के अतिरिक्त कलात्मक वस्तुयें, प्रतिमायें तथा हीरे आदि अन्य वस्तुयें भी विदेशों में रखने के लिये भेज दी जाती हैं, और क्या उन वस्तुओं का कोई मूल्यांकन किया गया है। यदि हां, तो सम्बद्ध भूतपूर्व नरेशों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : व्यक्तिगत मामलों में मूल्यांकन की वास्तविक राशि के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। परन्तु संविधान में संशोधन हो जाने के पश्चात से स्थिति बदल गई है। पहले स्थिति यह थी कि एक निश्चित तिथि से पहले जो कुछ भी उनके पास था, उसे उन्हें विदेशों में रखने का अधिकार था। परन्तु अब संविधान में संशोधन हो जाने के पश्चात से विदेशों में विदेशी मुद्रा खाते रखने के सम्बन्ध में स्थिति सभी भारतीयों के लिये समान हो गई है। इस आधार पर रिजर्व बैंक को कुछ निदेश तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे जायेंगे। मेरे विचार से गृह मंत्रालय भूतपूर्व नरेशों को इस स्थिति से अवगत कराने के सम्बन्ध में समाचार भेजेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : उनकी कुल परिसम्पत्ति क्या है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मूल्यांकन का ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच नहीं है कि विदेशी मुद्रा खातों के अतिरिक्त जयपुर अथवा उदयपुर आदि से भूतपूर्व नरेश अपनी कलात्मक वस्तुयें विदेशों में भेज रहे हैं और क्या इस बात के लिये उन पर निगाह रखी जाती है ? सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसमें कलात्मक वस्तुओं को भी सम्मिलित कर रहे हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : जी हां, भूतपूर्व नरेश इन्हें विदेशों में भेज रहे है (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखिये। श्री गोटखिंडे।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हमें ऐसा अश्वासन देगी कि ऐसे दोषी भूतपूर्व नरेशों को कोई अनुग्रह पूर्वक अनुदान, जो सरकार देना चाहती है, वह नहीं दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या विदेशी बैंकों में अपने जमा खातों की घोषणा करने का उत्तर-दायित्व नागरिकों पर है और यदि हां, तो क्या इन शासकों से सरकार को कुछ जानकारी मिली है कि उनके विदेशी बैंकों में कुछ खाते थे। दूसरे, क्या किसी शासक की विदेशी बैंकों से अपने धन को वापस लाने की अनुमति दी गई है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : बिना पूर्व-सूचना के मैं यह सब जानकारी नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि यह हर किसी के लिये आवश्यक है कि वह अपनी विदेशी मुद्रा की जानकारी दे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : परन्तु मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि उनके पास यह जानकारी नहीं है कि राजाओं का विदेशों में कितना धन है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मेरा अभिप्राय था कि इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री एस० ए० शमीम : यह सबको पता है कि अधिकांश शासकों ने देश से बाहर भारी विदेशी मुद्रा रखी गयी। क्या सरकार किसी अभिकरण द्वारा यह पता लगायेगी कि ऐसी कितनी विदेशी मुद्रा है। अथवा इसकी घोषणा करना शासकों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जायेगा कि वहां उनका कोइ धन है अथवा नहीं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : वैसे तो हम इन नरेशों से यह आशा करते हैं कि वे अपनी सम्पत्तियों की घोषणा करें। यदि हमें पता चले कि उन्होंने गलत सूचना दी है तो हम सदा कार्यवाही कर सकते हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि इस समय हमें अभी यहां से शुरुआत नहीं करनी चाहिए।

छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत धन संकलन के लिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों को पुरस्कार

*359. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के लिए धन संकलन में रत व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष राष्ट्रीय बचत पखवाड़े के दौरान अपने ब्लाक में अधिकतम धनराशि जमा करवाने वाले ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा प्रमुख को पुरस्कार देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों ने वर्ष 1971 के लिये देश में विभिन्न ब्लाकों के पुरस्कार विजेताओं का चयन कर लिया है ; और

(ग) क्या ऐसे सरपंच/प्रमुख को, जो एक राज्य में और पूरे देश में अधिकतम धन-राशि एकत्र करे, कोई विशेष पुरस्कार देने का भी विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अल्प बचतों की रकमें जुटाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकाधिक गैर सरकारी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 1971 से शुरू होने वाले अल्प बचत पखवाड़े में अधिकतम राशि एकत्र करने वाले ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा प्रमुख को 150 रुपये खण्ड के हिसाब से पुरस्कार देने की व्यवस्था की थी।

(ख) अधिकतर राज्य सरकारों ने विशेष अभियान की अवधि में परिवर्तन कर दिया था और इस तरह यह अभियान, राज्यों में 29 फरवरी 1972 तक की अलग अलग अवधियों के लिए चलता रहा। चुने गये पुरस्कार विजेताओं की संख्या के बारे में सभी राज्यों से अभी पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। केरल ने 23 और गुजरात ने 18 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया है।

(ग) 1971-72 की पुरस्कार योजना में किसी राज्य में, अथवा समूचे देश में अधिकतर राशि एकत्र करने वाले सरपंच/प्रमुख को विशेष पुरस्कार देने की व्यवस्था नहीं की गई थी।

श्री नारायण चन्द पाराशर : प्रश्न के भाग 'ग' के उत्तर के बारे में मै जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने राज्य में अथवा देश में सबसे अधिक धन एकत्र करने वाले सरपंच को पुरस्कार देने का विचार कर रही है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह अच्छा सुझाव है । मैं नहीं समझती कि सरकार को इस पर कोई आपत्ति होगी । हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे ।

Procession taken out to Demand War Compensation at Ranvirsingh Pura, Jammu

+

*360. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Dr. Laxmi Narain Pandeya :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that at Ranvirsingh Pura, Jammu, a procession including women was taken out on the 12th June, 1972, to demand war compensation ;

(b) if so, the nature of demands of the demonstrators ; and

(c) the reaction of Government thereto and the action taken in this regard ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). यह सूचित किया गया है कि 12 जून, 1972 को रणधीर सिंह पुरा में मांग करने के लिए एक जुलूस निकाला गया, कि दिसम्बर 1971 के संघर्ष के दौरान हुई क्षति के मुआवजे की अदायगी अथवा क्षति के उपशमंन के लिए पुनर्वास विभाग द्वारा मंजूर की गई योजनाओं का विस्तार किया जाए । किन्तु राज्य सरकार से, जो कि ऐसे दावों का फैसला करने तथा मुआवजे की अदायगी के लिए उत्तरदायी है, इस बारे में कोई प्रसंग प्राप्त नहीं हुआ है ।

Shri Jagannathrao Joshi : That the people residing in border areas have to suffer is not a new thing. There are rules for giving compensation to injured jawans and to the families of deceased jawans ; but the residents of border areas are left as hostages to fortune. Whenever war breaks out, their crops are destroyed. After the war, till the mine removing operation is completed, they suffer serious injuries. At the time of withdrawal of forces, the trucks destroy their crops. In these circumstances, to say that there is no information from the State Government ...**(interruption)**.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें ।

श्री जगन्नाथराव जोशी : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । मुझे उनकी बेसबरी समझ में नहीं आती है । सदस्यों पर नियंत्रण रखने के लिये अध्यक्ष महोदय यहां पर हैं ।

Mr. Speaker : I have been saying it for long that you are delivering a speech.

Shri Jagannathrao Joshi : Mr. Speaker, Sir, to leave the matter to the State Government and say that no information has been received from them is not proper. The Government should decide certain criteria. Will the hon. Minister give an assurance for compensation to the persons who have suffered and if not, the reasons therefor ?

Shri Vidya Charan Shukla : The criteria or rules for compensation have been brought to the notice of the State Government. The State Government have acted upon those rules and I would like to give the details to the hon. Member. But I may say that there are certain people who are interested in such conflicts.

The question raised is regarding the losses sustained by Ranbirsingh Pura, and I want to give details of compensation to be given as per criteria to the hon. Member. The damage occurred to the crops there was to the tune of Rs. 2,86,000 and out of that a sum of Rs. 2,85,000 has been paid. Thus, only Rs. 1000 remain to be paid. There were 1426 cases of occupation of vacant land for which Rs. 2,32,000 were to be paid and Rs. 60,000 have already been paid. What is under distribution or is being distributed, there is no dispute about that. This is the position. If processions are taken out inspite of that, the responsibility should not be thrown on the Government of India.

Dr. Laxminarain Pandeya : What is the number of families who have suffered during the war but have not been paid any compensation so far ? By what time you would be able to give them the compensation ? Would you be able to give the deadline ?

Shri Vidya Charan Shukla : This question was about Ranbirsingh Pura. If a specific question is asked for the total border area, the information would be supplied.

Dr. Laxminarain Pandeya : Please tell about Ranbirsingh Pura as to how many families have not yet been given any compensation and by what time it would be paid ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर वह दे चुके हैं ।

गत 15 दिनों के दौरान मद्रास, दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता से इण्डियन-एयर-लाइन्स की उड़ानों का विलम्ब से चलना अथवा रद्द किया जाना

*351. **श्री पीलू मोदी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 15 दिनों के दौरान मद्रास, दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता से इंडियन एयर लाइन्स की कितनी उड़ानें विलम्ब से की गयीं तथा कितने विलम्ब से की गईं ;

(ख) उनमें से कितनी उड़ानें यात्रियों को घंटों प्रतीक्षा कराके रद्द की गयीं और उड़ान-समय से कितनी देर बाद उनके रद्द करने की घोषणा की गई ; और

(ग) उड़ानों में विलम्ब के तथा उनके रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग). मैं सभा पटल पर एक विवरण रखती हूं ।

विवरण

(क) 25 जुलाई से 8 अगस्त, 1972 तक की अवधि के दौरान मद्रास, दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता से इंडियन एयरलाइंस की देरी से की गयी उड़ानों की संख्या नीचे दी गयी है :—

क्रम सं०	स्टेशन	देरियों का विस्तृत विवरण 15 मिनट से एक घंटे तक	61 मिनट से दो घंटे तक	दो घंटे से अधिक
1.	मद्रास	49	4	6
2.	दिल्ली	72	24	29
3.	बम्बई	131	22	21
4.	कलकत्ता	98	47	57
	योग :	350	97	113

कुल योग : 560

(ख) रद्द की गयी उड़ानों की संख्या :—

मद्रास से	**दिल्ली से**	**बम्बई से**	**कलकत्ता से**
1	6	7	31

(ग) देरियों तथा रद्द करने के कारण :—

क्रम सं०	कारण	मद्रास		दिल्ली		बम्बई		कलकत्ता	
		देरियां	रद्द की गयीं	देरियां	रद्द की गयीं	देरियां	रद्द की गयीं	देरियां	रद्द की गयीं
1.	इंजीनियरी	5	—	29	1	41	—	58	2
2.	वाणिज्यिक (खानपान, यातायात तथा सुरक्षात्मक जांच)	14	—	9	—	39	—	12	—
3.	परिचालन	—	—	3	—	5	—	14	—
4.	परिवहन	2	—	1	—	1	—	4	—
5.	मौसम	—	—	6	—	3	—	6	4
6.	परिणामी	32	1	56	—	59	1	76	5
7.	विविध	6	—	21	5	22	6	31	20
8.	विमान यातायात नियंत्रण (नागर विमानन महानिदेशालय)	—	—	—	—	4	—	1	—
	योग :	59	1	125	6	174	7	202	31

श्री पीलू मोदी : यदि मैं समय पर न आ गया होता तो मैं कठिनता से ही विवरण को पढ़ पाता ।

श्रीमान् जी, प्रायः बिना किसी कारण के विमानों के समय में देर हो जाती है । कल ही जब मैं कलकत्ता से आया तो एक निर्धारित उड़ान के लिये पर्याप्त यात्री नहीं थे । अतएव उन्होंने दो उड़ानों को एक साथ जोड़ दिया और इस प्रकार मुझे $1\frac{1}{2}$ घंटे की देरी हो गई । मैं समझता हूं कि सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं को इस प्रकार नहीं चलाया जाना चाहिए। उड़ानों के जोड़े जाने के बारे में मन्त्री महोदय को क्या कहना है और विभिन्न उड़ानों में देरी क्यों होती है?

डा० सरोजिनी महिषी : किसी भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान में, भले ही वह लाभप्रद हो अथवा अलाभप्रद ऐसा नहीं किया जाता है । हम इन उड़ानों को चालू करने के लिये वचनबद्ध हैं । यात्री हों अथवा नहीं, सेवाएं चालू रखी जाती हैं । मैं नहीं जानती कि माननीय सदस्य को किसी उड़ान के रद्द

किये जाने अथवा उसमें विलम्ब किये जाने के ठीक कारणों का पता है। मैं उनका पता लगाऊंगी। आम तौर पर सेवाओं को जोड़ा नहीं जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

एकाधिकार आयोग द्वारा संयुक्त क्षेत्र के एककों को तरजीह दिया जाना

*342. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग ने गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों के स्थान पर और अधिक संयुक्त क्षेत्र एककों के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाल ही में संयुक्त क्षेत्र के किन्हीं उपक्रमों के लिये स्वीकृति दी है; और

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) आयोग ने ऐसा कोई सामान्य अवलोकन नहीं किया है। एक विषय में, एक सदस्य ने, अपनी अल्पमत रिपोर्ट में, संयुक्त क्षेत्र की ओर प्रथम पत्र के रूप में, एक अन्य कम्पनी द्वारा धारित हिस्सों के खंड की वित्तीय संस्थानों के पक्ष में नियुक्ति का प्रस्ताव किया था।

(ख) तथा (ग). एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21 अथवा 22 के अन्तर्गत आने वाले विषयों में से, मै० सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के आवेदन-पत्र का एक नवीन कम्पनी जिसकी पूंजी संरचना, संयुक्त क्षेत्र की प्राकृति की होगी, के निर्माण के आधार पर, अनुमोदन किया है। मै० बांगुर ब्रादर्स लि० के एक आवेदन-पत्र को जो यद्यपि एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को नहीं भेजा गया था, इसी सिद्धान्त पर अनुपादित किया है। मै० कोमिन को विनानी जिंक लि० का एक आवेदन-पत्र जो भी यद्यपि एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग को निर्देशित नहीं किया गया था, इस शर्त के आधार पर निपटाया गया है कि यह, औद्योगिक विकास एवं आन्तरिक मंत्रालय द्वारा प्रेषित दिनांक 18 फरवरी 1970 की प्रेस टिप्पणी के अनुसार एक संयुक्त क्षेत्र की परियोजना होगी।

बंगला देश को सहायता

*343. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बंगला देश सरकार को सूचना दी है कि भारत बंगला देश में हाल में आरम्भ किये गए वार्षिक विकास कार्यक्रम में संसाधनों की सीमान्त कमी को पूरा करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा कितनी वार्षिक सहायता दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) बंगला देश सरकार से ऐसा कोई अनुरोध

प्राप्त नहीं हुआ है कि भारत को बंगला देश के वार्षिक विकास कार्यक्रम के संसाधनों में होने वाली कमी को पूरा करना चाहिये ।

(ख) बंगला देश की सहायता के लिए 1971-72 तथा 1972-73 में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

Shortage of Buses and Accommodation for Tourist at Rishikesh

*348. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether hundreds of Pilgrims who came to visit Badri-Kedarnath from all parts of the country during the month of May last had to wait for buses for as long as a week at Rishikesh and many of them lay stranded under the trees ;

(b) whether the shortage of buses and accommodation for tourists at Rishikesh during summer has been continuing for the last many years ; and

(c) the action being taken by Tourism Department in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). This year the opening date of the shrines at Badrinath, Kedarnath, Gangotri and Yamunotri fell on the same day resulting in a heavy rush of pilgrims at Rishikesh for about a week in May. The accommodation available at Rishikesh and nearby places, and the transport arrangements were thus greatly strained, but the situation eased after a week.

It is learnt from the State Government that the situation had not been so bad in the previous 3 years as was the case this year. But with the increase in pilgrim traffic each year, shortage in accommodation and transport will no doubt be increasingly felt. At present, besides the tourist bungalow at Hardwar constructed by the State Government with 50 per cent subsidy from the Central Department of Tourism, there are 3600 rooms in various dharamshalas at Rishikesh and Swargashram. The State Government also plans to construct two tourist bungalows, one each at Rishikesh and Rudraprayag, in addition to the tourist bungalow under construction at Deoprayag and the expansion of pilgrim sheds at Srinagar.

A Working Group for the development of tourism in the hill areas of U. P. has been set up by the Planning Commission. It has recommended to the State Government to prepare a master plan for the development of tourist facilities in the Badrinath region.

बम्बई में हालैंड के एक जहाज से निषिद्ध माल का पकड़ा जाना

*349. **श्री वी० मायावन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जुलाई, 1972 को बम्बई में हालैंड के एक जहाज से 17.5 लाख रुपये के मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). 14-7-72 को स्ट्रैट जाहोर नामक हालैंड के एक मोटर चालित जलयान से (भारतीय बाजार दर पर) लगभग 17.66 लाख रुपये मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया । इस संबंध में की गई जांच पड़ताल के आधार पर स्ट्रैट जाहोर नामक उक्त मोटर चालित जलयान में सवार किसी व्यक्ति विशेष को पकड़े गये निषिद्ध माल से संबद्ध करना संभव नहीं था, इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं की गई । परन्तु, उक्त जलयान

इस आधार पर पकड़ा गया था कि इसका प्रयोग तस्करी के माल के परिवहन के लिये किया गया था और उक्त जलयान बाद में 10 लाख रुपये की बैंक जमानत के साथ बंध पत्र पर छोड़ दिया गया था। जलयान के कप्तान, मुख्य अभियन्ता, एजेण्टों तथा मालिकों को कारण बताओ ज्ञापन जारी किये जा रहे हैं।

बैंकों में सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करने की योजना लागू करना

*352. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या देश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले मासिक विवरण की प्रणाली के स्थान पर सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करने की एक नई योजना लागू करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नई प्रणाली लागू की है जिसके अनुसार वाणिज्यिक बैंक सांख्यिकी विवरणी भेजेंगे।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त, 1972 से लागू की गयी सांख्यिकी विवरणी की नई प्रणालो की मुख्य-मुख्य बातें

(1) सांख्यिकी सूचना देने की प्रणाली को "आधारभूत सांख्यिकी विवरणी" (आ० सां० वि०) का नाम दिया गया हैं।

(2) इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक बैंकों की शाखाओं से उन पर अनावश्यक बोझ डाले बिना जमा के लिए प्राप्त की गयी रकमों तथा अग्रिमों के संबंध में लगातार सूचना प्राप्त करता रहेगा।

(3) नयी योजना के अन्तर्गत जमा रकमों तथा अग्रिमों के संबंध में बैंक की शाखाओं के द्वारा रिजर्व बैंक को वर्ष में दो बार आधारभूत सूचना देनी होगी।

(4) अब से पहले शाखाओं द्वारा सीधे रिजर्व बैंक को विवरणी प्रस्तुत की जाती थी तथा उसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध बैंक के मुख्य कार्यालय को भेजी जाती थी। नयी प्रणाली के अन्तर्गत शाखाएं अपनी विवरणियां प्रत्येक बैंक के मुख्य या प्रादेशिक कार्यालय को भेजेंगी और विवरणियों को एकत्रित करने तथा उसकी जांच करने की जिम्मेदारी उसी बैंक की होगी। बैंकों के मुख्य कार्यालय उन विवरणियों की पूर्णता की जांच करने के बाद उन्हें रिजर्व बैंक को भेज देंगे।

(5) कृषि विकास के सामाजिक-आर्थिक महत्व की दृष्टि से, दो विशेष विवरणियां—एक कृषि लिए दिये गये ऋण की मात्रा तथा स्तर के बारे में तथा दूसरी की गयी वसूली के सम्बन्ध में चालू की गयी हैं। ये विवरणियां बैंकों के मुख्य कार्यालयों को प्रस्तुत की जायेंगी।

(6) रिजर्व बैंक की प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां राज्यवार होंगी । बैंकों को भी, समय-समय पर होने वाली पूछताछ की पुष्टि के लिए, जिला-वार आंकड़े इकट्ठे करने की सलाह दी गयी है ।

(7) इस प्रणाली के अन्तर्गत, बैंकों के मुख्य कार्यालयों से, चुनी हुई वस्तुओं की प्रतिभूति पर दिये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में मासिक आंकड़े मांगने की भी व्यवस्था है ।

बम्बई के निकट गहरे समुद्र में तेल की खोज से सम्बन्धित भूकम्पीय सर्वेक्षण

*354. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कुओं की सही स्थिति का पता लगाने के लिये बम्बई के निकट गहरे समुद्र में तेल की खोज से सम्बन्धित विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरे कर लिये गये हैं ; और

(ख) जापान से चल-प्लेटफार्म प्राप्त होने के पश्चात् वहां छिद्रण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) इस क्षेत्र में प्रारम्भ में अन्वेषी कुओं की सीमित संख्या का व्यधन होगा । इनमें से किसी भी कुंए में अनुकूल भूगर्भीय परिस्थितियों के पाये जाने पर इस क्षेत्र की तेल की संभाव्यता की ओर खोज करने तथा तेल भंडारों की वाणिज्यिकता का मूल्यांकन करने के लिए कई और कुंए खोदने पड़ेंगे । यदि इससे वाणिज्यिक महत्व के तेल के भंडारों का पता चलता है तो तेल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में विकास कुंए खोदे जाएंगे ।

अतः इस समय इस बात का विश्वस्त रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इन संरचनाओं पर व्यधन कार्य किस अवधि में पूरा हो जायेगा, क्योंकि यह बात मुख्यतः अन्वेषी व्यधन से प्राप्त परिणामों तथा विभिन्न कुएं के व्यधन कार्य में लगने वाले समय पर निर्भर करेगी ।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय जल तथा वायु सीमा का उल्लंघन

*358. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1971 के युद्ध-विराम से लेकर अब तक पाकिस्तान द्वारा भारतीय जल तथा वायु सीमा का कितनी बार उल्लंघन किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : दिसम्बर, 1971 के युद्ध विराम से पाकिस्तान द्वारा भारतीय जल क्षेत्र सीमा के उल्लंघन की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ; भारतीय वायु सीमा उल्लंघन की संख्या दस है ।

योजना पूंजी निवेश बोर्ड

3380. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय योजना में सम्मिलित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए योजना पूंजी निवेश बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) देश में, राज्यवार, ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जिनका कार्य निर्धारित समय के अनुसार नहीं हो रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकारी क्षेत्र में निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक फोरम के रूप में सरकारी निवेश बोर्ड का गठन करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

दक्षिण पूर्व एशिया में रुपये के विनिमय मूल्य में गिरावट

3381. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी एशिया में रुपये का विनिमय मूल्य इस बीच गिर गया है ;

(ख) क्या यूरोपीय देशों में भी ऐसी ही प्रवृत्तियां हैं और यदि हां, तो विभिन्न स्थानों में इसके मूल्य में कितनी-कितनी कमी हुई है ; और

(ग) रुपये के विनिमय मूल्य में गिरावट का इन देशों से भारत के व्यापार दायित्वों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख). जी, नहीं । विदेशी मुद्रा के सभी अधिकृत लेन-देन सरकारी विनिमय दरों के अनुसार किये जाते हैं । विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विनियमों का उल्लंघन करके विदेशी मुद्रा के कभी-कभी और सीमित प्रकार के सौदों के कारण गैर-सरकारी दरों पर किये गये लेन-देनों को रुपये के बाह्य मूल्य के सूचक नहीं माना जा सकता ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

25 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली औषधियां तथा औषध निर्माता कम्पनियां

3382. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री भारत में औषधियां तथा औषध निर्माता कम्पनियों के बारे में 19 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6738 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न में मांगी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसको सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). 25 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली औषधियां तथा औषधों का निर्माण करने वाली फर्मों के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–3502/72**] लाभांश, रायल्टी, तकनीकी जानकारी फीस आदि के सम्बन्ध में इन

फर्मों द्वारा बाहर भेजे गये धन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	1969-70	1970-71
	रुपये	रुपये
लाभांश/लाभ	364,37,643	414,03,353
मुख्यालय व्यय	11,98,907	27,01,459
तकनीकी जानकारी	12,01,622	26,97,678
रायल्टी	94,95,272	17,73,425
कुल	483,33,444	485,75,915

प्राकृतिक गैस की उपलब्धता तथा उसका प्रयोग

3383. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय कुल कितनी प्राकृतिक गैस उपलब्ध है और कितनी मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है और इसका स्वरूप क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : प्राकृतिक गैस की वर्तमान उपलब्धता तथा उपयोग का अवलोकन 1972 के पहले छ: महीनों से सम्बन्धित निम्नलिखित आंकड़े से किया जा सकता है :—

अवधि	उत्पादन	उपयोग (मिलियन घन मीटरों में)
जनवरी/जून, 1972	786	453

इसका उपयोग उर्वरकों के उत्पादन, बिजली उत्पन्न करने, औद्योगिक ईंधन तथा तेल क्षेत्रों में दाब बनाये रखने के लिए संभरण सामग्री के रूप में किया गया था ।

उर्वरक संयंत्रों के लिए गैस का प्रयोग

3384. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उर्वरक संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस का प्रयोग करने की वांछनीयता पर विचार किया है जैसा कि ईराक सरकार विचार कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : उर्वरकों के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस को संभरण सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लाभ के बारे में सरकार को जानकारी है । वास्तव में, भारतीय उर्वरक निगम के नामरूप यूनिट में तथा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी, बड़ौदा में उर्वरक उत्पादन के लिए पहले ही प्राकृतिक/सम्मिलित गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है । नामरूप विस्तार योजना तथा इण्डियन फारमर्ज फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० द्वारा कलोल में स्थापित किए जाने वाले यूनिट में प्राकृतिक गैस की संभरण सामग्री के रूप में प्रयोग में लाने का भी विचार है । इन दोनों योजनाओं को इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है ।

कलकत्ता से विदेशी विमान कम्पनियों के अन्य स्थान पर चले जाने से राजस्व तथा रोजगार के अवसरों में कमी की मात्रा

3385. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता से विदेशी विमान कम्पनियों के अन्य स्थान पर चले जाने के कारण कलकत्ता हवाई अड्डे पर गत तीन वर्षों में राजस्व तथा रोजगार के अवसर किस हद तक कम हुये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : गत तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता विमानक्षेत्र पर नागर विमानन विभाग द्वारा उगाहा गया राजस्व निम्न प्रकार था :—

वर्ष	**राजस्व**
1969-70	1,01,00,565 रुपये
1970-71	1,04,94,418 रुपये
1971-72	95,39,327 रुपये

1971-72 में राजस्व में मामूली सी गिरावट मुख्य रूप से कलकत्ता से कुछ विदेशी एयरलाइनों द्वारा परिचालनों के स्थानान्तरित करने के कारण ही नहीं है ।

कुछ एयरलाइनों द्वारा परिचालनों को स्थानान्तरित करने के परिणामस्वरूप यद्यपि सम्बन्धित एयरलाइनों द्वारा नियुक्त कुछ कर्मचारियों की छंटनी हुई है, तथापि जहां तक नागर विमानन विभाग तथा भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र प्राधिकरण के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, रोजगार स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है ।

उपेक्षित क्षेत्रों में दिये जाने वाले ऋण में कमी

3386. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपेक्षित क्षेत्रों में दिये गये ऋण की प्रतिशतता में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

शाहजहानपुर आर्डनेस क्लोदिंग फैक्टरी में उत्पादन

3387. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन अवधि की स्थिति में शाहजहानपुर आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरी में उत्पादन की तुलना में आपातकालीन स्थिति से पूर्व के समय में अधिक था ; और

(ख) यदि हां, तो आपातकालीन स्थिति की घोषणा से 3 महीने पहले तथा 3 महीने बाद कितना-कितना उत्पादन हुआ ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् । वास्तव में, आपात स्थिति घोषित कर दिये जाने के उपरान्त उत्पादन बढ़ा है ।

(ख) सितम्बर 1971 से फरवरी 1972 के लिए उत्पादन का मासिक मूल्य इस प्रकार था :—

सितम्बर 1971	—	1.51 करोड़ रुपए
अक्तूबर 1971	—	0.79 करोड़ रुपए
नवम्बर 1971	—	0.89 करोड़ रुपए
दिसम्बर 1971	—	1.73 करोड़ रुपए
जनवरी 1972	—	1.75 करोड़ रुपए
फरवरी 1972	—	1.18 करोड़ रुपए

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की गिरिडीह शाखा को ऋण के लिए प्राप्त हुए आवेदन-पत्र

3388. **श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया की गिरिडीह शाखा को 10,000 रुपये तक के ऋणों के लिए वर्ष 1971 तथा 1972 में पृथक-पृथक कितने-कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) इनमें से कितने प्रार्थियों को ऋण दिए गए ;

(ग) इन ऋणों के वसूली सम्बन्धी नियम क्या हैं और क्या सभी स्थानों पर इन नियमों का पालन किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ). सम्भव सीमा तक सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

जीवन बीमा निगम की आवास हेतु अग्रिम धन देने सम्बन्धी योजना का गिरिडीह हजारी बाग में पालिसी होल्डरों पर लागू करना

3389. **श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवनबीमा निगम ने आवास हेतु अग्रिम धन देने सम्बन्धी अपनी योजना को जनवरी, 1971 में गिरिडीह (जिला हजारी बाग) के पालिसी होल्डरों पर लागू कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उस समय से लेकर अब तक ऋण के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) अब तक कितने आवेदन पत्रों का निबटान किया गया है और वास्तव में कितने आवेदन पत्रों पर अग्रिम धन दिया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जीवन बीमा निगम ने 'अपना घर बनाओ' योजना को (अपने पालिसीधारियों के लिए) गिरिडीह केन्द्र में नवम्बर, 1970 से लागू किया है ।

(ख) और (ग). इस केन्द्र से 31 मार्च, 1972 तक प्राप्त सात दरख्वास्तों में से जीवन बीमा निगम ने 99,000/– रुपये की ऋण दरख्वास्तें मंजूर की हैं और 73,000/– रुपये के ऋण वस्तुतः दे दिए हैं । एक दरख्वास्त नामंजूर की गयी ।

बैंक आफ बड़ौदा में लिपिकीय पदों का भरा जाना

3390. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिपिकीय पदों को भरने हेतु बैंक आफ बड़ौदा द्वारा दिए गए गत विज्ञापन के परिणाम-स्वरूप कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा कितने पद भरे गये ;

(ख) क्या ऊंची और अच्छी डिवीजन वाले कई स्नातकों/स्नातकोत्तर व्यक्तियों को लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर भी नहीं दिया गया ।

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और अभ्यर्थियों के चयन के आधार क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भर्ती प्रणाली में सुधार करने तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए एक 'कामन पूल' बनाने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग). पिछले विज्ञापन के उत्तर में बैंक आफ बड़ौदा को लगभग 85,600 आवेदन पत्र प्राप्त हुए । कोई भी पद भरा नहीं गया है, क्योंकि अभी तक चुनने की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है । लिखित परीक्षा के लिए बैंक ने, अनुमानित रिक्त पदों से पन्द्रह गुणा ज्यादा उम्मीदवारों को बुलाया था । अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के अवसरों की बात को ध्यान में रखते हुए बैंक ने उम्मीदवारों में से 60 प्रतिशत डिग्रीधारी उम्मीदवारों को और शेष गैर-ग्रेजुएट उम्मीदवारों को बुलाने का फैसला किया था । परन्तु, अनुसूचित जातियों/अनुसूचितआदिम जातियों के सभी उम्मीदवारों को, जिनके पास आवश्यक योग्यता थी, चाहे वे ग्रेजुएट थे या ग्रेजुएट न भी थे, लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था । चूंकि बैंक को ज्यादा उन स्नातकों की आवश्यकता थी, जिनके पास कृषि, वाणिज्य तथा कानून की योग्यता हो, इसलिए बैंक ने उन उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करना ही आवश्यक समझा, जो विज्ञान या कला विषयों की डिग्री लिये हुए थे । इसलिए यह बहुत सम्भव है कि कला अथवा विज्ञान जैसी संकायों में ज्यादा अच्छे नम्बरों वाले स्नातकों/स्नाकोत्तर योग्यता वाले कई व्यक्तियों को, लिखित परीक्षा के लिए न बुलाया गया हो ।

(घ) सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए एक सामान्य भर्ती अभिकरण स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

केरल में शैक्षिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं के लिए विदेशों से वित्तीय सहायता

3391. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ऐसी शैक्षिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं की सख्या तथा नाम क्या हैं जिसको विदेशों से वित्तीय सहायता मिलती है और उनको 1970-71 और 1971-72 में कितनी राशि की सहायता मिली ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन संस्थाओं को मिलने वाली सहायता का प्रयोग सरकार के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन संस्थाओं को मिलने वाली विदेशी धन के नियमन के लिए क्या कार्य-वाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) और (ग). इस समय भारत में विदेशी मुद्रा को आने से रोकने के लिए कोई कानून अथवा तन्त्र नहीं है। सामान्य तथा प्रामाणिक लेने-देनों को छोड़कर, विदेशी संस्थाओं, अभिकरणों अथवा व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली रकमों पर उपयुक्त प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से कानूनी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में, शीघ्र ही एक विधेयक संसद में पेश किया जायगा।

भारतीय वायु सेना में " रैंकरों " को पायलट का प्रशिक्षण देना

3392. **श्री वयालार रवि** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना में "रैंकरर्स" को पायलट का प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच में वायुसैनिकों को पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने की एक योजना पहले से है।

(ख) अपेक्षित अर्हताएं यह हैं कि वायुसैनिकों को 21 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए तथा मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा चुनाव हो जाने के उपरान्त, उन वायुसैनिकों को जो स्वास्थ्य परीक्षा में योग्य हैं, उन्हें फ्लाइट कैडेट के रूप में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तथा निर्धारित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरान्त उन्हें कमीशन प्रदान किया जाता है। जो प्रशिक्षण के दौरान सफल नहीं हो पाते हैं, उन्हें वायुसैनिक के रूप में प्रत्यावर्तित होने की अनुमति दे दी जाती है तथा यदि वह चाहें तो सेवा से मुक्त हो सकते हैं।

अधिकारियों और गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतन में अन्तर को दूर करना

3393. **श्री वयालार रवि** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रक्षा सेनाओं के अधिकारियों तथा गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतनमानों की वर्तमान असमानताओं को दूर करने का कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सशस्त्र सेनाओं के अफसरों तथा अफसर पद से नीचे के कार्मिकों की परिलब्धियों की संरचना जिसमें नकद तथा अन्य रूप से दिए जाने वाले लाभ और मृत्यु-सह-सेवानिवृति हित सम्मिलित हैं, पहले ही वेतन आयोग के विचाराधीन है।

गुलमर्ग (कश्मीर) तथा केरल में कोवलम समुद्रीकरण के लिये पर्यटन विकास योजनायें

3394. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलमर्ग (कश्शीर) तथा कोवलम समुद्री-तट (केरल) के लिए पर्यटन विकास योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इन योजनाओं पर केन्द्र ने अब तक कितनी राशि व्यय की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) गुलमर्ग की, जिसका चौथी योजना के दौरान एक हिम-क्रीड़ा बिहार स्थल के रूप में विकास किया जा रहा है तथा कोवालम की जिसका कि एक समुद्रतटीय बिहार स्थल के रूप में विकास किया जा रहा है, पर्यटन विकास सम्बन्धी योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

गुलमर्ग

(i) टंगमर्ग से गुलमर्ग तक सड़क ।

(ii) एक आकाशीय यात्री रज्जु-मार्ग, एक कुर्सीनुमा-लिफ्ट और स्की-लिफ्टों का लगाना ।

(iii) एक हिम क्रीड़ा व पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना ।

(iv) बर्फ हटाने की व्यवस्था ।

(v) स्की, पर्वतारोहण एवं बर्फ हटाने के उपस्कर की खरीद ।

(vi) एक केन्द्रतापित होटल ।

(vii) गुलमर्ग के लिये एक 'मास्टर-प्लान' जो 10 वर्षों की अवधि के दौरान किये जाने वाले इसके विकास को दर्शायेगी ।

कोवालम

(i) 100 कमरों का एक होटल ।

(ii) 40 कुटीरें ।

(iii) समुद्रतट सेवा केन्द्र ।

(iv) एकखुला रंगमंच ।

(v) एक योनव-पालिश केन्द्र ।

(vi) जल-क्रीड़ाओं का विकास ।

(ख) 30-6-1972 तक गुलमर्ग परियोजना पर 51.01 लाख रुपये और कोवालम परियोजना पर 31.87 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

कर्मचारियों को मिलने वाले उपदान पर आय कर की छूट

3395. **श्री चन्द्र शेखर सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किये गये उपदान संदाय विधेयक के अन्तर्गत, कर्मचारियों को उनके सेवा-मुक्त होने पर मिलने वाले उपदान पर कर से छूट देने के लिये, सरकार का विचार इससे सम्बद्ध आय कर नियम में ऐसा संशोधन करने का है कि कर्मचारियों को उपदान के रूप में मिलने वाली अधिक से अधिक 20 माह के वेतन की राशि यदि कभी उपदान की वर्तमान कर मुक्त राशि अर्थात् 24,000 से अधिक हो जाती है तो उस पर भी आय कर से छूट दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो संशोधन विधेयक संसद में कब तक पुरःस्थापित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

पटना स्थित रक्षा लेखे के नियंत्रक के कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमे

3396. **श्री चन्द्र शेखर सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रक्षा लेखे के नियंत्रण, पटना के कर्मचारियों के विरुद्ध कितने मुकदमें दायर किये गये और इसमें कितने कर्मचारी अर्न्तग्रस्त थे ;

(ख) कितने मुकदमें निपटाये गये और कितने अभी बकाया हैं ; और

(ग) ये मुकदमें किन अपराधों के आरोप में दायर किये गये थे ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पिछले तीन वर्षों में पटना स्थित रक्षा लेखा नियन्त्रक ने अपने किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया । परन्तु सिविल प्राधिकारियों ने अपने एक कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाया था। अन्य व्यक्तियों द्वारा अथवा उनके कहने पर कर्मचारियों के खिलाफ चलाये गये मुकदमों की संख्या के बारे में तत्काल सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित मुकदमें का निपटान हो गया है । अन्ततः कर्मचारी बरी कर दिया गया ।

(ग) भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना ।

आयल इंडिया लिमिटेड तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा डुलियाजान में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सुविधाएं

3397. **श्री रोबिन काकोटी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया लि० और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम में डुलियाजान, मनान तथा नरिया में अपने कर्मचारियों के बच्चों को क्या सुविधाएं दी गई हैं ; और

(ख) आयल इंडिया लि०, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय तेल निगम तथा आसाम तेल कम्पनी द्वारा अलग अलग अपने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक कितनी राशि खर्च की जाती है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आयल इंडिया लिमिटेड और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भू-स्वामियों को मुआवजा

3398. **श्री रोबिन काकोटी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिलों में आयल इंडिया लिमिटेड और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कुल कितने एकड़ भूमि अर्जित की गई है ;

(ख) कितने परिवारों को पूरा मुआवजा दिया गया है और कितने परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ; और

(ग) इन परिवारों को अब तक मुआवजा न देने के क्या करण हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) इन जिलों में आयल इंडिया लिमिटेड और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्रमशः 1,145 एकड़ तथा 1320.006 एकड़ भूमि अर्जित की गई है ।

(ख) और (ग). आयल इंडिया लि० ने 1342 मालिकों (पट्टेदारों) को मुआवजा दिया है और 16 मालिकों के मुआवजे से संबन्धित मामले लंबित पड़े हैं क्योंकि उनके मामले न्यायाधीन हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान रोक दिया गया है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग भूमि सीधी खरीद से और राज्य सरकार की मार्फत भी अर्जित करता है । राज्य सरकार की मार्फत अर्जित की गई भूमि के लिए राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकन कर लेने के तुरन्त बाद, मुआवजे की पूरी रकम संबन्धित पार्टियों को देने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा राज्य सरकार के पास जमा कर दी जाती है । तेल तथा प्राकृतिक गैस द्वारा 273 भूमि मालिकों से सीधी बातचीत से भूमि अर्जित की गई थी और उन्हें पूरा मुआवजा दिया गया था ।

सिगरेट और पत्ता तम्बाकू निर्माता विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में जांच कार्य

3399. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तम्बाकू की पत्ती तथा सिगरेट उद्योग भारतीय पत्ता तम्बाकू विकास कम्पनी, वजीर सुल्तान तम्बाकू कम्पनी और इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी में विदेशी एकाधिकारवादियों की एकाधिकारवादी तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा के सम्बन्ध में तम्बाकू उत्पादकों तथा सम्बद्ध हितों से प्राप्त होने वाले ज्ञापन के पश्चात सरकार ने एकाधिकार आयोग से मामले की जांच करने के लिये कहा है ; और

(ख) क्या एकाधिकार आयोग ने अपना जांच कार्य पूरा कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को, सिगरेटों के 27 उपभोक्ताओं से, इण्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड तथा वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध कुछ निर्बन्धनकारी एवं एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाते हुए एक शिकायत प्राप्त हुई थी । निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित शिकायतें, आयोग द्वारा जांच निदेशक को, प्राथमिक जांच के लिये भेज दी गई हैं ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

चाय निर्यातकों को प्लाई वुड चेस्ट्स पर सीमा-शुल्क की राशि का लौटाया जाना

3400. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय की भारी मात्रा में पैक करने के लिये प्रयोग में आने वाले 'प्लाईवुड' चेस्ट्स पर लगे सीमा-शुल्क की राशि किन शर्तों तथा किस दर पर चाय निर्यातकों को वापिस की जाती है ;

(ख) यह राशि किस प्रयोजन हेतु लौटाई जाती है ; और

(ग) 1969-70 और 1971-72 में निर्यात पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्लाईवुड पेनल्स पर कितनी धनराशि वापिस की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) प्रतिअदायगी की मंजूरी, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 तथा धारा 76 और सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी, नियमावली, 1971 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दी जाती है । प्लाइवुड फलकों से बनी चाय की सम्पूर्ण पेटी पर प्रतिअदायगी की वर्तमान दर, चाय की पेटी के पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति 100 वर्गमीटर पर 138.20 रुपये है ।

(ख) प्रतिअदायगी, निर्यात किये जाने वाले माल को, उसमें इस्तेमाल की गई सामग्रियों पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क के भार से, राहत देने के लिये दी जाती है, ताकि विश्व की मंडियों में हमारे निर्यातमाल अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बन सकें ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

चाय पर सीमा-शुल्क की राशि का लौटाया जाना

3401. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, चाय निर्यातकों को चाय निर्यात पर उत्पादन शुल्क में छूट के अतिरिक्त पूरे प्लाईवुड चेस्ट्स पर सीमाशुल्क की कुल कितनी धनराशि वापस की गई ;

(ख) क्या केवल भारतीय-मानक संस्थान के मानकों के अनुसार निर्मित प्लाइवुड चेस्ट्स पर, जैसाकि चाय (वितरण तथा निर्यात) नियंत्रण आदेश में अपेक्षित है, ही शुल्क वापिस किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन चाय निर्यातकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनके निर्यात व्यापार लाइसेंसों को चाय बोर्ड द्वारा इस कारण रद्द कर दिया गया बताते हैं कि उन्होंने अमरीका को घटिया प्लाइवुड चेस्ट्स में भारी मात्रा में चाय निर्यात की थी जैसाकि 19 जून, 1972 के हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड में 'न्यू थ्रेट्स टू टी एक्सपोर्ट' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार में बताया गया हैं ।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) प्रतिअदायगी की मंजूरी इस शर्त के अधीन नहीं की जाती है कि पेटियों का निर्माण भारतीय मानक विशिष्टियों के अनुसार किया जाना चाहिए ।

(ग) यह सच है कि एक चाय निर्यातकर्ता का लाइसेंस, अध्यक्ष, चाय बोर्ड द्वारा, जो लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी है, इस आधार पर रद्द किया गया है कि उसने चाय (वितरण तथा निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1957 के उपबंधों का उल्लंघन किया है । निर्यातकर्ता ने अपने लाइसेंस के रद्द किये जाने के विरुद्ध अपील की है जो सरकार के विचाराधीन है ।

चाय निर्यातकों पर आय कर निर्धारण

3402. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय निर्यातकों के एक वर्ग द्वारा चाय की गैर-सरकारी खरीद का उचित रिकार्ड न रखने की प्रथा पर, जैसाकि 19 जून, 1972 के हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड में "न्यू थ्रेट्स टू टी एक्सपोर्ट" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार में बताया गया है, सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने हेतु कि ऐसे निर्यातकों पर आय कर का उचित निर्धारण हो, सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) उल्लिखित समाचार देख लिया गया है ।

(ख) आवश्यक जांच-पड़ताल की जायगी और कानून के अन्तर्गत अपेक्षित समुचित कार्यवाही की जायगी ।

सेना सेवाओं में महिला डाक्टरों को प्राथमिकता देना

3403. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना सेवाओं में महिला डाक्टरों की संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या नियुक्तियां करने तथा पोस्टिंग करने के मामले में सेना सेवाओं में महिला डाक्टरों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है और यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 275

(ख) नियुक्ति के मामले में महिला डाक्टरों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती। तथापि, उनकी पोस्टिंग के बारे में अधिकतर ऐसे प्रतिष्ठानों में तैनात किया जाता है जैसे सशस्त्र सेना अस्पतालों में परिवार कक्ष, रोगी-कक्ष, स्टेशन रोगी क्वार्टर्स आदि।

उन उद्योगों, व्यापारिक कम्पनियों के नाम जिनमें श्री आर० पी० गोयनका और उनके परिवार के सदस्यों के शेयर हैं

3404. **श्री लालजी भाई :**
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन औद्योगिक और व्यापारिक कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनमें कलकत्ता के उद्योगपति श्री आर० पी० गोयनका तथा उनके परिवार के सदस्य शेयरधारी हैं?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मसूलीपटनम स्थित आन्ध्र-साइंटिफिक कम्पनी का अधिग्रहण

3405. **चौधरी राम प्रकाश :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मसूलीपटनम स्थित आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार ने जून, 1972 में आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी, मसूलीपटनम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अधीन, पहले ही अपने हाथ में ले लिया है।

यह इसलिए हुआ क्योंकि कम्पनी वित्तीय कारणों से, नवम्बर, 1971 से बन्द थी और देश में वैज्ञानिक उपकरणों के लिए सैनिक तथा असैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन फिर से चालू करना आवश्यक समझा गया था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कम्पनी में, संयंत्र तथा मशीनरी और तकनीकी कर्मचारी सम्बन्धी दोनों ही आवश्यक अन्तः शक्तियां थीं।

Evasion of Central Sales Tax by a Trader in Alirajpur

3406. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a person who had evaded Central Taxes to the tune of lakhs of rupees was arrested in Alirajpur, District Jhabua in Madhya Pradesh on the 11th July, 1972 ;

(b) whether the documents seized by the Police and the Income-tax Officers are fake ;

(c) whether some Income-tax Officers are also involved in the said racket ;

(d) whether investigations are proposed to be conducted by some Special Officer keeping in view the importance of the case ; and

(e) whether some more similar cases have also come to light ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). No, Sir. One truck loaded with unmanufactured tobacco was apprehended by the Octroi Inspector, Alirajpur, District Jhabua in Madhya Pradesh on the 11th July 1972 under the Municipal Act for misdeclaring the goods as 'onions' in the octroi pass. Subsequently the truck, the goods and some Central Excise documents were seized under the Central Excises and Salt Act on the 12th July 1972. On verification the seized Central Excise documents were found to be fake.

(c) and (d). No officer of Income-tax Department has been found involved in this case. Further investigations in the matter are being made by a senior officer of the Central Excise Department.

(e) Not so far.

'लेसर' शस्त्रों का निर्माण

3407. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री समर गुह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि अमरीका ने एक ऐसे 'लेसर' शस्त्र का निर्माण किया है जिसके समक्ष परम्परागत सेनाऐं तथा अण शस्त्र बेकार हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या देश की रक्षा के लिये सरकार का विचार ऐसे शस्त्र बनाने का है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अमरीका में 'लेसर' शस्त्र प्रणाली के विकास की सरकार को जानकारी है परन्तु सरकार को यह जानकारी नहीं है कि अमरीका ने एक ऐसा 'लेसर' शस्त्र विकसित किया है जिसके सामने परम्परागत सारी सेनाएं तथा अणु शस्त्र बेकार हो जाते हैं।

(ख) सेना के उपयोग में 'लेसर' को अन्तः शक्ति के प्रति सरकार पूर्णतया जागरूक है।

(ग) लेसर जात प्रणालियों के विकास पर हमारे रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने जांच सम्बन्धी कुछ प्रश्न पहले ही हाथ में ले लिए हैं और अगले कुछ वर्षों में हमारी गतिविधियों का विस्तार होने जा रहा है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3408. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 238 तक पहुंच गया है ;

(ख) क्या गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों के अनुसार श्रमिकों को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता मिलेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिये जो अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अभी उपलब्ध है वह 1972 के जून मास के लिये 244 (आधार 1949=100) है। उसी मास के लिये 12 महीने की औसत 237.08 थी।

(ख) और (ग). संभवत:, "श्रमिक" पद का आशय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से है। यदि ऐसा ही है तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में पिछली वृद्धि 1.9.68 से अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1949=100) की 12 महीने की औसत 215 पर पहुंचने पर, गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों के अनुसार दी गयी थी। बाद में, सूचकांक की 12 महीने की औसत 218 तक पहुंचने पर, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर, अन्तरिम राहत और 228 तक पहुंचने पर अतिरिक्त अन्तरिम राहत मंजूर की गयी थी। वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसी अतिरिक्त समीक्षा का प्रश्न तब उठेगा जब सूचकांक की 12 महीने की औसत 238 तक पहुंच जायगी ।

वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के लेखा कार्यालय में विदेशी मुद्रा की बचत

3409. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के लेखा कार्यालय में व्यय में अपने आप कमी कर देने के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की अच्छी खासी बचत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) 1971-72 में लगभग 13,600 डालर।

पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में पाकिस्तानी स्वयं सेवक दल का जमाव

3410. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काश्मीर में इस समय दो लाख स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार कीं क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में एक वालंटियर सेना के प्रशिक्षण के बारे में सरकार को सूचना है।

(ख) हमारी रक्षा योजनाओं का पुनरीक्षण करते समय पाकिस्तान में हुई सभी सम्बन्धित गतिविधियों पर विचार किया जाता है।

Closure of M/s. Electro-Chemical Works Limited, Bangalore

3411. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the firm Messrs. Mysore Electro-Chemical Works Limited, Bangalore has been closed ;

(b) if so, the number of labourers thrown out of employment as a result thereof ; and

(c) whether Government have taken a decision to take over this firm and if so, the time by which it will be taken over by Government ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes Sir.

(b) Approximately 400.

(c) The proposal for take over of the firm by the Government was considered and has been dropped.

एयर इण्डिया तथा/मलयेशिया-सिंगापुर एयरवेज के बीच भाड़े की पूल व्यवस्था

3412. **श्री पी० के० देव :**
श्री भोला मांझी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया तथा मलयेशिया-सिंगापुर एयरवेज के बीच भाड़े की पूल व्यवस्था थी ;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था की प्रमुख बातें क्या थीं ; और

(ग) क्या यह व्यवस्था अब समाप्त हो गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इस समय एयर-इंडिया की मलेशिया-सिंगापुर एयरवेज के साथ राजस्व पूल व्यवस्था कायम है। इसके अन्तर्गत भारत से सिंगापुर के लिये और सिंगापुर से भारत के लिये उठाये गये यातायात से प्राप्त राजस्व को इन दो विमान कम्पनियों द्वारा एकत्रित करने और आपसी सहमति के आधार पर बांटने की व्यवस्था है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान से आये शरणार्थियों से बकाया ऋण की वसूली

2413. **श्री जे० माता गौडर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से आये शरणार्थियों पर अक्टूबर, 1971 के अन्त में 2620 ऋण खातों पर कब से 2.68 करोड़ रुपया के ऋण बकाया हैं ;

(ख) ऋणों को वसूल करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ;

(ग) पुनर्वास, वित्त प्रशासन विभाग के कर्मचारियों पर, जो केवल वसूली विभाग के रूप में काम कर रहे हैं, कितना व्यय हो रहा है ;

(घ) उपर्युक्त मामलों में आंशिक अथवा पूर्ण छूट देकर बकाया राशि का निपटारा करने के लिए क्या कसौटी अपनाई गई है ; और

(ङ) अब तक कितनी राशि का आंशिक अथवा पूर्ण छूट देकर निपटारा किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अधिकांश ऋण 1948 से 1951 के बीच और कुछ ऋण 1951 से 1958 के बीच भूतपूर्व पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये गये थे।

(ख) और (घ). ऋणों की अवधि 15 वर्ष से अधिक की नहीं थी, वे सामान्यतया 12 वार्षिक किस्तों में देय थे। समय पर अदायगी न करने की स्थिति में ऋण भू-राजस्व की बकाया रकमों के समान वसूल किए जा सकते हैं। जहां बकाया रकमों की पूरी की पूरी वसूली संदिग्ध होती है उन मामलों में बकाया रकमों को निपटाने के लिए कुछ इकट्ठी रकम लेकर समझौता कर लिया जाता है। समझौते के लिए कितनी रकम हिसाब में ली जायेगी इसका निर्णय ऋणकर्ताओं / गारण्टीकर्ताओं की अदायगी करने की क्षमता को हिसाब में लेने के बाद, प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर मुख्यतः इन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है :—

(1) जहां वसूली की कार्रवाई से ऋणकर्ता / गारण्टीकर्ता को परिहार्य कठिनाई होने की सम्भावना हो और / या जिसमें अत्यधिक समय, श्रम और व्यय लगता हो।

(2) जहां दैवी विपत्तियों और / या अन्य कारणों से ऋणकर्ता / गारण्टीकर्ता की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।

(3) जहां वसूली का स्रोत केवल गृह सम्पत्ति की बिक्री हो, चाहे वह बंधक रखी गयी हो अथवा नहीं, जो केवल रिहाइश के लिए इस्तेमाल की गयी हो और इस बिक्री के परिणास्वरूप ऋणकर्ता को घर खाली करना पड़ता हो जिसके कारण उसे भारी संकट सामना करना पड़ता हो।

(4) ऐसे मामले में, जिसमें मूलधन की वसूली हो गयी हो और ऋणकर्ता से और वसूली सम्भव न हो, ब्याज की वसूली के लिये सामान्यतः अकेले गारण्टीकर्ता के विरुद्ध कार्रवाही नहीं की जाती है।

(ग) पुनर्वास वित्त प्रशासन के कार्यालय का वर्ष 1971-72 का खर्च 3.81 लाख रुपये था।

(ङ) 30 अप्रैल, 1972 की स्थिति के अनुसार कुल मिलाकर 6.24 करोड़ रुपये के ऋणों के लिये कहीं आंशिक रूप से या कहीं पूरी छूट देकर 3.42 करोड़ रुपये पर समझौता कर लिया गया है।

बम्बई में उतरने वाले सुपरसानिक कनकार्ड विमान से वायु दूषण

3414. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नया सुपरसानिक कनकार्ड विमान भारत के ऊपर से उड़ा था और बम्बई में उतरा था ;

(ख) क्या कनकार्ड को भारत के ऊपर से उड़ने की अनुमति देते समय वायु दूषण तथा ध्वनि और उसके प्रभावों की समस्याओं पर विचार कर लिया गया था ; और

(ग) क्या यह कनकार्ड विमान भारत के ऊपर अतिस्वन गति से उड़ा था ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। कनकार्ड सुदूर पूर्व और आस्ट्रेलिया जाते हुये तथा वहां से वापसी पर आते हुये बम्बई में उतरा था।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

कृत्रिम वर्षा के सम्बन्ध में परीक्षण

3415. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री प्रभूदास पटेल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृत्रिम वर्षा कराने के सम्बन्ध में परीक्षण किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार किन-किन स्थानों पर ; और

(ग) सरकार को, विशेषतया सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, इन परीक्षणों में कहां तक सफलता मिली है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). 1957 से 1966 तक के मानसून मौसमों के दौरान, यादृच्छिक आधार पर, वर्षा के कृत्रिम उद्दीपन में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयोग किये गये :—

दिल्ली ——	दिल्ली राज्य
आगरा ——	उत्तर प्रदेश
जयपुर ——	राजस्थान
मुन्नार ——	केरल

महाराष्ट्र के पूना क्षेत्र में तथा तमिल नाडु में मद्रास क्षेत्र में शीघ्र ही मेघ वपन प्रयोग भी प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) दिल्ली, आगरा, जयपुर तथा मुन्नार में किये गये प्रयोगों से यह पता चला कि कृत्रिम मेघ-वपन किये हुए क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा उन क्षेत्रों से 20 प्रतिशत अधिक थी जहां यह वपन नहीं किया गया था।

परन्तु, मेघ-वपन से ऐसे समय में वर्षा नहीं करायी जा सकती जबकि सामान्यतया वर्षा न होती हों, यद्यपि इससे ऐसी परिस्थितियों में वर्षा की मात्रा में 10 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है जहां वर्षा अन्यथा संभावित हो।

Construction of Roads in Ladakh

3416. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to chalk out a special programme for planning and constructing roads in Ladakh to provide cheap and easy means of travelling and transportation of goods ; and

(b) if so, the salient features of the programme, the time by which it would be implemented and the amount of financial assistance proposed therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) So far as Ministry of Defence and Border Roads Development Board are concerned, there is no proposal to chalk out a special programme for planning and constructing roads in Ladakh to provide cheap and easy means of travelling and transportation of goods.

(b) Does not arise.

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी गोष्ठी

3417. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में एक गोष्ठी हुई थी ;

(ख) इस गोष्ठी में की गयी विभिन्न सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या इस गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया था कि सभी सरकारी एककों को अपने उत्पादों के उचित मूल्य निर्धारित करने चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत नयी दिल्ली में जुलाई 27 से 29 तक आयोजित सरकारी क्षेत्र के निष्पादन सम्बन्धी गोष्ठी की ओर है। गोष्ठी का आयोजन मुख्यरूप से एक गैर-सरकारी निकाय द्वारा किया गया था।

(ख) और (ग). गोष्ठी में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया था :—

(i) वैज्ञानिक परियोजना निर्धारण की आवश्यकता ;

(ii) स्पष्ट वित्तीय तथा अन्य उद्देश्यों का सुनिश्चित करने की आवश्यकता ;

(iii) उचित निष्पादन बजट सम्बन्धी तकनीकें अंगीकार करना ;

(iv) सामाजिक लक्षों का अभिज्ञान और परिमाणन ;

(v) बढ़ते हुए घाटों की समस्या ;

(vi) वास्तविकता पर आधारित मूल्य निर्धारण करने की नीतियों की आवश्यकता।

(घ) सरकारी उपक्रमों के निष्पादन पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकारियों का आपस में विचारों तथा अनुभवों का आदान प्रदान करना गोष्ठी का तात्पर्य था। गोष्ठी के निष्कर्षों पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उचित ध्यान दिया जाएगा।

देहरादून में कोर्ट-स्टाम्प पकड़े जाने के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां

3419. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में 10 लाख रुपये के मूल्य के कोर्ट-स्टाम्प पकड़े जाने पर 28 जुलाई को कोई गिरफ्तारियां की गई थीं, और यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

सरकारी उपक्रमों के लिये कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया

3420. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों के चयन की दोषपूर्ण प्रक्रिया भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के असन्तोषजनक कार्य निष्पादन का एक कारण है ; और

(ख) क्या इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गयी है और यदि हां, तो समिति के निदेशपद क्या हैं और समिति द्वारा निकाले जाने वाले निष्कर्ष कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सर्वसाधारण रूप से यह कहना ठीक नहीं होगा कि सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों का चयन दोषपूर्ण है और उसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के कार्य में बाधा पड़ रही है। किसी उद्यम में प्रबन्धक वर्ग के छोटे पदों के लिये कर्मचारियों का चयन करना पूर्णतः उस उद्यम की जिम्मेदारी है और उच्च पूर्णकालिक कार्यकारी अधिकारियों के पदों को भरने में भी सम्बद्ध उद्यम के उन्हीं कर्मचारियों को अधिमान्यता दी जाती है जिन्हें उद्यम का ज्ञानऔर अनुभव होता है। फिर भी प्रबन्धकीय अधिकारी नीति के विभिन्न पहलुओं पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा है। इस संदर्भ में भर्ती के अलावा, प्रबन्ध संगठन प्रबन्धकीय प्रोत्साहन और प्रबन्ध विकास आयोजनाओं जिनमें भर्ती की बातें, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्य आवर्तन, व्यवसाय आयोजन उत्तराधिकार आयोजनाएं आदि शामिल हैं, जैसे मामलों से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है यह आशा है। कि जब इन प्रस्तावों पर सरकार के अन्तिम निर्णयों को लागू कर दिया जाएगा तब एक अधिक सुदृढ़ प्रबन्धकीय अधिकार नीति का उद्गम होगा। इन मामलों को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए सरकार द्वारा कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है तथा उक्त प्रयोजन के लिए कोई विशेष समिति नियुक्त नहीं की गयी है।

प्रबन्ध अभिकरण समाप्त कर दिये जाने पर भी औद्योगिक गृहों पर उनका नियंत्रण

3421. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध अभिकरण समाप्त कर दिये जाने के दो वर्ष पश्चात भी बहुत से औद्योगिक गृहों पर व्यवहार में दूसरे रूपों में वैसा ही केन्द्रीय कृत नियंत्रण तथा प्रबन्ध जारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख). सरकार ने पहले ही इस प्रकार की प्रथा को अभिग्रहण कर लिया है और इस कमी को बन्धित करने के लिए, आवश्यक उपबन्ध, कम्पनी (संशोधन) विधेयक 1972, जो लोक सभा में 11 अगस्त, 1972 को प्रस्तुत किया गया था, के खंड 15 में पुनः स्थापित कर दिये गये हैं। कथित विधेयक के पृष्ठ 36 पर, खण्ड 15 के विषय में अनुच्छेदों, पर टिप्पणियां इस प्रस्तावित संशोधन के कारणों का स्पष्टीकरण करती हैं।

विश्व बैंक से ऋण

3422. **श्री फतहसिंहराव गायकवाड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को अब तक विश्व बैंक से कुल कितनी राशि के ऋण प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कितनी राशि के तथा कितने प्रतिशत ऋण अभी तक अपयुक्त हैं ;

(ग) ऋणों को पूर्णतया उपयोग में न लाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) विश्व बैंक की निधियों से किन-किन परियोजनाओं का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से वित्तीय पोषण किया गया है और ऐसी किस किस परियोजना की प्राप्ति असंतोषप्रद है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) भारत को विश्व बैंक से अब तक 111.142 करोड़ डालर के और विश्व बैंक से सम्बद्ध उदार शर्तों पर ऋण देने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ नामक संस्था से 176.125 करोड़ डालर के ऋण प्राप्त हुए हैं।

(ख) पहली अगस्त 1972 की स्थिति के अनुसार, विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों में से 10.869 करोड़ डालर की रकम और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋणों में से 56.428 करोड़ डालर की रकम इस्तेमाल नहीं की गई है। यह प्रतिशत क्रमशः 9.8 और 32 बैठती है।

(ग) ऋणों का उपयोग उन कार्यक्रमों/परियोजनाओं को विभिन्न चरणों में पूरा किए जाने की समय-सूची के अनुसार किया जाता है जिनके लिए सहायता प्राप्त की गई होती है।

(घ) कुछ कृषि ऋण परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति आशा से अपेक्षाकृत कम रही है लेकिन इनको कार्यान्वित करने के संबंध में संगठनात्मक एवं प्रक्रिया विषयक समस्याएं अब हल हो चुकी हैं और आशा है कि निकट भविष्य में ऋणों का इस्तेमाल तेजी से होने लगेगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशी मुद्रा की बचत

3423. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आठ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत की है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ; और

(ग) क्या आयोग ने ऐअर ट्यूब कलच असैम्बली का देश में ही विकास कर लिया है जिसका पहले रूस से आयात किया जा रहा था ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) उन उपकरणों, औजारों तथा फालतू पुर्जों, जिनका अब तक आयात किया जा रहा था, के देश में स्थापित तथा प्राप्त किये जाने से।

(ग) जी हां।

कार्यकारी अधिकारियों द्वारा अपने बचाव के लिये आपराधिक कार्यवाहियों में कम्पनी की निधि का उपयोग

3424. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री पीलू मोदी :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशक तथा प्रबन्धकीय अधिकारी अपने विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियों में अपनी रक्षा के लिये कम्पनी की निधि का उपयोग कर सकते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख). कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 201 के उपबन्ध, जो इस मामले से सम्बन्धित हैं, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

इंडियन पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड के एक डाउन स्ट्रीम यूनिट पथेलिक एनहाइड्राइड को लाइसेंस देने में विलम्ब

3425. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री फतहसिंहराव गायकवाद :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड के एक डाऊन स्ट्रीम यूनिट अर्थात् पथेलिक एन-हाइड्राइड को लाइसेंस जारी करने में विलम्ब में निगम को वार्षिक 85 लाख रुपये हानि होने की संभावना है ;

(ख) लाइसेंस जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) पथेलिक एनहाइड्राइड के उत्पादन में वृद्धि होने से भारतीय पेट्रो-रसायन निगम द्वारा आर्थो-जाइलीन के उत्पादन के असंक्रमण के कारण, निगम को अपने उत्पादन के कुछ अंश का अन्य तरीकों से प्रयोग को मालूम करने और/अथवा इसका निर्यात करना पड़ेगा। निगम को इन खातों में वसूली में हानि हो सकती है जबकि अन्यथा प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता है। इस संबंध में सही स्थिति का तभी पता लग सकता है जबकि निगम द्वारा उत्पादन प्रारंभ हो जाता है और इसके उत्पादन की मात्रा तथा इस उत्पादन एवं पथेलिक एनहाइड्राइड आदि के उत्पादन के बीच टाइम-लाग का पता चल जाता है।

(ख) भारतीय पेट्रो-रसायन द्वारा उत्पादन किए जाने वाली आर्थो-जाइलीन का चार यूनिटों द्वारा प्रयोग किए जाने की संभावना है। एक यूनिट के संबंध में, जिसे पहले ही एक औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया है, आई० पी० सी० एल० द्वारा पेश किए गए आर्थो-जाइलीन की विशिष्टियों का उपभोग करने के लिए वर्तमान प्लांट में संशोधन करने हेतु प्रमुख सामग्री के आयात के संबंध में एक प्रार्थनापत्र विचाराधीन है। एक दूसरी पार्टी को, जिनके विदेशी के सहयोग प्रस्ताव और सी जी प्रार्थनापत्र पर सरकार द्वारा अनुमति दी गई है, एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया जा रहा है।

अन्य दो पार्टियों के, जिन्हें, आशयपत्र दिए गए हैं, विदेशी सहयोग प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) पथेलिक एलहाइड्राइड यूनिटों की शीघ्रता से स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय अपनाए जा रहे हैं।

656 कंपनी ए० एस० सी० ब्रिगेड के राशन लेखे में गबन

3426. **श्री के० मालन्ना** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 656 कम्पनी ए० एस० सी० ब्रिग्रेड के राशन खाते में पाये गये एक लाख रुपये के गबन के मामले की जांच इस बीच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). मामले की अभी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। उनसे रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात, सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विदेशों से वित्तीय सहायता

3427. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक भारत को विदेशों से देशवार कुल कितनी विदेशी सहायता मिली है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इसी अवधि के दौरान मिली सहायता की तुलना में यह कितनी है ; और

(ग) विदेशी सहायता पर निर्भरता खतम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) सरकार, विदेशी ऋणों पर हमारी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन की नीतियां अपना कर पहले अधिक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता पर लगातार जोर दे रही है।

विवरण

चालू वर्ष में, अब तक कुल 834.7 लाख डालर की सहायता के लिए निम्नलिखित देशों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं :—

कनाडा	462.5 लाख डालर
डेनमार्क	57.0 लाख डालर
स्वीडन	106.0 लाख डालर
नीदरलैंड	209.2 लाख डालर

2. पिछले तीन वर्षों में इन देशों के साथ हस्ताक्षरित करारों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख डालर)

	1969-70	1970-71	1971-72
कनाडा	280.2	277.4	499.4
डेनमार्क	—	—	—
स्वीडन	—	—	50.0
नीदरलैंड	—	—	138.1

एक औसत दर्जे के विदेशी पर्यटक के लिये भारत में सबसे अधिक आकर्षक स्थान

3428. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक औसत दर्जे के विदेशी पर्यटक के लिये भारत में सबसे अधिक आकर्षक स्थान कौन सा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : यह राय का प्रश्न है। तथापि, नवम्बर, 1968 से अक्तूबर, 1969 के दौरान किये गये एक नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में से सर्वाधिक संख्या (60%) दिल्ली आने वालों की थी।

अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

3429. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास कार्य में अब तक प्रगति हुई है ;

(ख) उनके पुनर्वास के संदर्भ में उन्हें क्या क्या सुविधायें दी गई हैं ; और

(ग) वहां पुनर्वासित भूतपूर्व सैनिकों की राज्यवार संख्या क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). 1969-70 में एक योजना के अन्तर्गत 100 भूतपूर्व सैनिकों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में बसाया गया था। भूमि इस प्रकार से आवंटित की गई थी :—

अधिकारी	—	25	एकड़
जे०सि०ओ०	—	15	एकड़
ओ० आर०	—	10	एकड़

इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई थी :—

(1) मूल निवास स्थान से द्वीप समूह तक परिवहन सरकारी व्यय पर,

(2) प्रथम वर्ष अनुमोदित मात्रा में मुफ्त राशन तथा दूसरे और तीसरे वर्ष क्रमशः 75% तथा 50% मात्रा में मुफ्त राशन।

(3) एक वर्ष के लिए प्रारम्भ में 2500 रुपए बीजों, खाद तथा कीटाणु नाशक इत्यादि के लिए अनुदान रूप दिए गए।

(4) कृषि उपस्करों, पशुओं आदि को खरीदने के लिए 3000 रुपये का अनुदान दिया गया इसकी पूर्ति कृषि विभाग के द्वारा माल रूप में की गई थी।

(5) घरेलू उपस्करों तथा बर्तनों आदि को खरीदने के लिये अधिकतम 2500 रुपए का अनुदान दिया गया।

(6) मकानों के निर्माण के लिए 5000 रुपये का अनुदान दिया गया ; इसके निर्माण होने तक अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई थी।

कालोनी में आन्तरिक सड़कों की व्यवस्था, जल पूर्ति, औषधालय तथा स्कूल इत्यादि जैसी अन्य सुविधाओं के लिए अण्डमान प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई थी।

सब बसने वाले पंजाब के थे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियन

3430. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियनों के नाम क्या हैं ;

(ख) उनमें से कितने कस्टोडियन राष्ट्रीयकरण से पूर्व सम्बन्धित बैंकों के प्रबन्धक संवर्ग के हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के उच्च प्रबन्धक अधिकारियों का एक बैंक से दूसरे बैंक में तबादला किया जा सकता है ; और

(घ) क्या उनके संवर्ग में कोई तबादले किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 7 (5) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो राष्ट्रीयकरण के पहले बैंक का अध्यक्ष था, वह राष्ट्रीयकरण पर स्वत: उस बैंक का अभिरक्षक बन गया था । राष्ट्रीयकरण के बाद चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों में से नौ बैंकों के अभिरक्षकों में परिवर्तन हुए हैं और चार नये अभिरक्षक सम्बद्ध बैंकों में से ही हैं ।

(ग) और (घ). राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धकीय कर्मचारियों का एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानान्तरण नहीं होता । लेकिन, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत एक राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी को सरकार द्वारा किसी दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक का अभिरक्षक अथवा अधिनियम के अनुसार तैयार की गयी योजना के अधीन प्रबन्ध या पूर्ण कालिक निदेशक नियुक्त किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । राष्ट्रीयकरण के बाद नियुक्त किए गये दो अभिरक्षक रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं और दो अन्य पहले से रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक में काम करते थे ।

विवरण

चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के वर्तमान अभिरक्षकों के नाम

क्रम सं०	बैंक का नाम	अभिरक्षक का नाम
1.	सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	श्री वी० एन० अडारकर
2.	बैंक आफ इण्डिया	श्री जे० एन० सक्सेना
3.	पंजाब नेशनल बैंक	श्री पी० एल० टंडन
4.	बैंक आफ बड़ौदा	श्री वी० डी० ठक्कर
5.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	श्री वी० आर० देसाई
6.	कनारा बैंक	श्री के० पी० जे० प्रभू
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	श्री बी० के० दत्त
8.	देना बैंक	श्री आर० ए० गुलमोहम्मद
9.	सिण्डीकेट बैंक	श्री के० के० पै

क्रम सं०	बैंक का नाम	अभिरक्षक का नाम
10.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	श्री पी० एफ० गुहा
11.	इलाहाबाद बैंक	श्री बी० के० मुकर्जी
12.	इण्डियन बैंक	श्री जी० लक्ष्मी नारायणन
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	श्री सी० वी० जोग
14.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	श्री आर० एन० चट्टूर

भारी संख्या में यात्रियों के ले जाने के लिये यात्री विमानों का चलाया जाना

3431. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम रफ्तार वाले ऐसे यात्री विमान चलाने का है जो कम किराये पर भारी संख्या में यात्रियों को ला ले जा सकें ; और

(ख) क्या ऐसा करना देश में विद्यमान विमान निर्माण क्षमता तथा नागरिक उड्डयन में उपलब्ध तकनीकी जानकारी के अन्तर्गत सम्भव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Number of times employees of Indian Airlines and Air India resorted to strike during 1971-72

3432. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the number of times the employees of Indian Airlines and Air India resorted to strike during 1971-72 and the amount of loss suffered as a result thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : While there has been no strike during 1971-72, certain sections of employees stopped work for short periods or adopted go slow tactics to press their demands. It is not possible to assess the loss suffered as a result thereof.

Realisation of Income-tax from Lower Income Brackets

3433. **Shri Lalji Bhai :**
Dr. Laxminarain Pandeya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of persons who paid Income-tax under the lowest slab of Income-tax during the last three years, year-wise, along with the amount realised from them ;

(b) the expenditure incurred on the process of realisation of the said Income-tax ;

(c) whether Government have under consideration any scheme to exempt the assessees in

this category from Income-tax and to concentrare their efforts on realising Incomc-tax from higher classes ; and

(d) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The information regarding the number of persons who paid Income-tax under the lowest slab of Income-tax during the last three years and the amount realised from them is not readily available. However, this information for the year 1967-68 is available on the basis of the All India Income-tax Statistics 1967-68 which is as follows :

No. of assessees	Total tax in thousands of rupees
3,70,569	33,504

(b) Separate particulars of expenditure incurred for collecting taxes from assessees in different categories or different income slabs are not maintained. The total expenditure, however, relating to all the direct taxes for the last three years is as under :

Financial Year	Expenditure (In crores of Rupees)
1969-70	16.16
1970-71	19.44
1971-72	21.04 (Provisional)

(c) and (d). There is no scheme under consideration of the Government to exempt the category of assessees the Hon'ble Member has in view. However, the collection of income-tax from higher classes is already receiving special attention.

Loans Received by Industrial Establishments from Government Financial Institutions

3434. **Shri Lalji Bhai :**
Dr. Laxminarain Pandeya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the first 30 industrial establishments together with the names of their Managing Directors, which received maximum amount of loan from Government Financial Institutions, other than Banks, during the last three years ; and

(b) the amounts received by them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent available.

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा 1966 में यू० के० से आयात की गई बेल्डिंग मशीन को लगाना तथा चालू करना

3435. **श्री पीलू मोदी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा आयात की गई बेल्डिंग मशीन के बारे में 18 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5355 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 में यू० के० से आयात की गई बेल्डिंग मशीन जो सांताक्रुज हवाई अड्डे पर

पड़ी है, को लगाने और चालू करने सम्बन्धी तकनीकी जानकारी प्राप्त हो गई है, और यदि हां, तो कब ;

(ख) यह जानकारी मिलने में इतने विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह मशीन अब लगा दी गई और यदि हां, तो कब ; और

(घ) क्या उपरोक्त प्रश्न संसद् में पूछे जाने के बाद, इस मशीन को वर्कशाप के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया था और तरपाल से ढक कर रख दिया गया है और इसका कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां, वर्ष 1967 के अन्त में ।

(ख) आरंभ में दिया गया 'डाटा' अपूर्ण था । अतः निर्माताओं से और अधिक स्पष्टीकरण मांगना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप विलम्ब हुआ ।

(ग) संस्थापन एवं परिचालन सम्बन्धी अनुदेशों के प्राप्त हो जाने पर मशीन को टाटा हैंगर के पश्चिम-पार्श्व में स्थित वेल्डिंग-शाप में लगा दिया गया था । दुर्भाग्यवश इस हैंगर की इलेक्ट्रिकल पावर केबल, जो 1946 में बिछाई गई थी, इस मशीन के लिये अपेक्षित अतिरिक्त पावर लोड के लिये अपर्याप्त पायी गई ।

बाद में जब टाटा हैंगर के पूर्वी-पार्श्व में स्थित इलेक्ट्रिकल ओवरहाल-शाप के लिये उच्च-शक्ति की नई केबल बिछाई गई तो मशीन को वहां स्थानान्तरित किया गया । इस क्षेत्र में अधिकतम अनुमोदित मांग-भार 200 कि०वा० है जिसके लिये प्रतिमास प्रति किलोवाट के लिये 11 रुपये की दर नियत है और इस सम्बन्ध में वास्तविक रूप से व्यय किये गये 'पावर' की गणना नहीं की जाती है । बम्बई उपनगर विद्युत प्रदाय कम्पनी से चाहा था कि यदि 'स्पाट वेल्डिंग मशीन' को स्थायी रूप से पावर मेन से जोड़ा जाता है तो वह इस भार-मांग को 200 से बढ़ा कर 400 कि० वा० कर देंगे । इसका अर्थ होता कि मासिक विद्युत बिल में तत्काल 2,200/–रुपये की वृद्धि हो जाती और यह महसूस किया गया कि इस मशीन के अंशकालिक उपयोग के लिये 2,200/–रुपये मासिक की अदायगी फजूलखर्ची होगी ।

नये हैंगर काम्प्लेक्स में उच्च वोल्टता सप्लाई से 645 कि० वा० की भार-मांग रखी गयी है । इण्डियन एयरलाइन्स को नये हैंगर काम्प्लेक्स में विद्युत भार उपलब्ध हो जाने पर इस मशीन को स्थायी रूप से इस विद्युत-भार से जोड़ना संभव होगा ।

(घ) अन्यथा, उक्त मशीन को संसद् में प्रश्न हो जाने के उपरान्त वर्कशाप के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व में बदला नहीं गया था । रक्षा के उद्देश्य से मशीन को तरपाल से ढक कर रखा गया है ।

ईराक में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने में सहायता

3436. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत का दौरा करने वाले एक ईराकी तेल प्रतिनिधि मंडल ने ईराक में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने में भारत की सहायता के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और किस सीमा तक सहायता करना स्वीकार किया गया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). हाल ही में भारत का दौरा करने वाले ईराकी प्रतिनिधि मंडल ने ईराक में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की रुचि व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच इस बारे में कुछ विचार विमर्श हुआ है। ईराकी प्रतिनिधि मंडल, जो पिछले कुछ दिनों भारत में था, के साथ कुछ और बातचीत भी की गई थी। जिस समय इसका उत्तर दिया जाएगा, वे जा चुके होंगे।

युवा चार्टर्ड एकाउंटेंटों की ओर से ज्ञापन

3437. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फोरम ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें यह मांग की गई है कि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इण्डिया के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए और उर्वरक कारखाने लगाने के सम्बन्ध में हुई प्रगति

3438. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उर्वरकों की कमी पूरा करने और अन्य देशों से आयात कम करने के लिए देश में और उर्वरक कारखाने लगाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : इस समय 11 नई परियोजनाएं कार्यान्वियनाधीन हैं और तीन वर्तमान यूनिटों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इन सब को मिलाकर नाइट्रोजन के उत्पादन के लिए क्षमता में 21.55 लाख मीटरी टन तक वृद्धि हो जायेगी। अतिरिक्त उर्वरक क्षमता स्थापित करने से सम्बन्धित कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है। ये वर्तमान यूनिटों में अनुकूलतम उत्पादन के लिए उठाए जा रहे उपायों के अतिरिक्त हैं।

भारत-पाक युद्ध के दौरान जालन्धर में सैनिक इंजीनियरी सेवा के अधिकारियों द्वारा घटिया माल की खरीद

3439. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 में भारत-पाक युद्ध के समय जालन्धर स्थित सैनिक इंजीनियरी सेवा के अधिकारियों ने घटिया किस्म का कुछ माल खरीदा था ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ; और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ख) क्या खरीदा गया ऐसा सारा माल उपयोग में लाया जा चुका है, और यदि हां, तो कैसे और क्यों ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) एक जांच बिठा दी गई है और इसके परिणाम की प्रतीक्षा है ।

(ग) दिसम्बर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, संक्रिया सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए थोड़ी मात्राओं को छोड़ अधिकांश सामान यूनिटों को दिया गया था ।

पठानकोट में क्वार्टरों का निर्माण

3440. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट में डांगूपीर के निकट कुछ रिहायशी क्वार्टर निर्माणाधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये क्वार्टर पठानकोट के हवाई अड्डे की सीमा के बिल्कुल समीप हैं ; और

(ग) इन क्वार्टरों के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) जी हां, श्रीमन् ।

(ग) लगभग 42,31,000.00 रुपए ।

संयुक्त साइफर ब्यूरो में कनिष्ठ अधिकारियों से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या

3441. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त साइफर ब्यूरो में कितने अधिकारी उसी वेतनमान में अपने से कनिष्ठ अधिकारियों से कम वेतन पा रहे हैं ; और

(ख) वरिष्ठ, अधिकारियों को उनसे अधिक वेतन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यह विषमता दूर करने में कितना समय लगेगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सात ।

(ख) वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन का संरक्षण करने और इस प्रकार की असंगति की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपाय विचाराधीन हैं ।

बाबतपुर हवाई अड्डे पर कृषकों को उनकी भूमि वापस दिलाना

3443. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाबतपुर हवाई अड्डे की पुनः सीमाबंदी के पश्चात् वर्ष 1969 में फालतू भूमि कृषकों को पुनः वापस दिलाने का निर्णय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे क्रियान्वित किया जा चुका है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कृषकों को उनकी भूमि कब तक वापस दे दी जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नागर विमानन महानिदेशक ने निर्णय किया था कि बाबतपुर विमानक्षेत्र के कच्चे धावन-पथ के निकट की भूमि को (जोकि परिचालन के प्रयोजन के लिये लगायी गयी बाड़ के पुनः संरेखण के परिणामस्वरूप फालतू हो गयी थी) खेती के लिये दे दिया जाए।

(ख) और (ग). खेती के अधिकारों के लिये 8 अगस्त, 1972 को की जाने वाली प्रस्तावित नीलामी को कुछेक सप्ताहों के लिये स्थगित कर दिया है जिससे कि उसमें दिलचस्पी रखने वाले कृषक एक सहकारी समिति बना सकें जो नीलामी में भाग ले सकें।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमान ओवरहाल डिवीजन में एक स्वदेशी फ्लाइट रिकार्डर का विकास

3444. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के विमान ओवरहाल डिवीजन में एक स्वदेशी फ्लाइट रिकार्डर विकसित किया गया है ;

(ख) क्या इसकी पूर्ण रूप से जांच की गई है और इसे ठीक पाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा बचाने के लिये सरकार का विचार इसका निर्माण करने का है ; और

(घ) क्या एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के प्रत्येक यात्री विमान में इस उपकरण को लगाया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। फ्लाइट डेटा रिकार्डर एक आयातित उपस्कर है परन्तु एफ–27 विमान पर इसके प्रतिस्थापन का डिजायन इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा तैयार किया गया है।

(ख) एफ—27 विमान पर इसका प्रतिस्थापन सफलतापूर्वरक पूरा कर लिया गया है, तथा नागर विमानन महानिदेशक द्वारा उसकी परीक्षा व अनुमोदन किया जा चुका है।

(ग) प्रतिस्थापन प्रणाली का डिजायन स्थानीय तौर पर तैयार करने से कुछ विदेशी मुद्रा की बचत की गयी है।

(घ) इण्डियन एयरलाइन्स के सभी बोइंग 737 तथा कारवेल विमानों पर फ्लाइट डेटा रिकार्डर पहले से ही लगे हुए हैं। एच० एस०—748 तथा एफ—27 विमानों पर भी इसे लगाने का कार्य क्रमशः प्रगति पर है।

बड़े व्यापार-गृहों द्वारा करों का अपवंचन

3445. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े व्यापार-गृह करोड़ों रुपये के करों का अपवंचन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). कर-अपवंचन की समस्या तथा उसको रोकने के उपायों की वांचू समिति द्वारा जांच की जा चुकी है और उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सदन-पटल पर रखी जा चुकी है। उसकी कुछ सिफारिशों को पहले ही से, वित्त अधिनियम 1972 में शामिल कर लिया गया है तथा अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

वार्षिकी जमा तथा सावधि जमा योजनाओं को बन्द करना

3446. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सावधि जमा योजना तथा पन्द्रह-वर्षीय वार्षिकी सार्टिफिकेट योजना को बन्द कर दिया गया है क्योंकि वे अब जनता में लोकप्रिय नहीं रहीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके लोकप्रिय न होने के कारणों के विश्लेषण के लिये कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी, हां। 31 जुलाई 1971 को कारबार समाप्त होने के समय से स्थिर जमा योजना के अन्तर्गत जमा की रकमें स्वीकार नहीं की जाती हैं। 15-वर्षीय वार्षिकी पत्रों की बिक्री पहली सितम्बर, 1971 से समाप्त कर दी गई थी।

(ख) और (ग). उपर्युक्त दोनों योजनाओं को बंद करने का निश्चय करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इनकी समीक्षा की गई थी और इस विषय पर केन्द्रीय राष्ट्रीय बचत सलाहकार मण्डल की बैठक में भी विचार किया गया था। पंचवर्षीय स्थिर जमा योजना के अन्तर्गत कोई अधिक रकम प्राप्त नहीं हुई थी और इसके अन्तर्गत प्राप्त होने वाली रकम में बराबर कमी होते जाने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। सम्भवतः इसका कारण 16 मार्च 1970 से पंचवर्षीय डाकघर सावधि जमा योजना का शुरू किया जाना था जिस पर $7\frac{1}{4}$ प्रतिशत वार्षिक (कर-योग्य) की ऊंची दर से ब्याज मिलता है। अतः स्थिर जमा योजना को बंद करने का निश्चय कर दिया गया। ऊंची दरों के ब्याज वाले कई अन्य बचत पत्रों के उपलब्ध होने और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निदेशों पर ऊंची दरों पर

ब्याज दिए जाने के कारण 15-वर्षीय वार्षिकी पत्रों की लोकप्रियता समाप्त हो गई थी। चूंकि पिछले कुछ वर्षों में, सरकार को इस योजना के अन्तर्गत किए गए निवेशों से अधिक रकम की अदायगी करनी पड़ी थी, इसलिए इस योजना को पहली सितम्बर, 1971 से बंद करने का निश्चय किया गया।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब

3447. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के निदेशों के अनुसार औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं सम्बन्धी अनेक व्यवहार्यता प्रतिवेदनों की जांच की गई है और सरकार द्वारा सरकारी परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) प्रधान मंत्री के निर्देश के अनुपालन में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब और उसके परिणामस्वरूप बजट में की गयी व्यवस्था में हुई कमी के कारणों का वित्त मंत्रालय में अध्ययन किया गया था।

(ख) सरकारी परियोजनाओं में विलम्ब के महत्वपूर्ण कारण ये पाये गये थे :—

(1) इस्पात जैसी दुर्लभ सामग्री की कमी ;

(2) देशी उपकरणों की देरी से सुपुर्दगी ;

(3) सिविल निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति ;

(4) श्रमिक असंतोष ;

(5) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से देसी उपकरणों की खरीद, परामर्शदात्री करारों को अन्तिम रूप दिये जाने तथा विदेशी मुद्रा से खरीदे जाने वाले उपकरणों की खरीद में प्रक्रिया सम्बंधी विलम्ब।

(6) निवेश के सम्बन्ध में निर्णय कर लिये जाने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने में विलम्ब।

भारतीय ऋण गारन्टी निगम की स्थापना

3448. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय विशिष्ट सीमाओं के अन्दर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिये भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड की स्थापना की है और उक्त निगम ने अपनी तीन नई योजनायें आरंभ कर दी हैं ;

(ख) क्या भारतीय ऋण गारंटी निगम (सेवा सहकारी संस्थायें) गारंटी योजना 1971 नामक योजना के अधीन आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र की राज्य अथवा केन्द्र की निगम शाखायें ही इसमें शामिल हो सकेंगी ;

(ग) क्या अन्य राज्यों को भी इस योजना से कोई लाभ होगा ; और

(घ) क्या सरकार का विचार शेष सरकारों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में जमा बीमा अधिनियम को लागू करने को राजी करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों के छोटे-छोटे ऋण-कर्ताओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में यदि कोई जोखिम आए तो उसके लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु रिजर्व बैंक ने सरकार के परामर्श से भारतीय ऋण गारंटी निगम नामक एक संस्था स्थापित की है । उक्त निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन 14 जनवरी, 1971 को निगमित किया गया था और उसे 29 जनवरी 1971 से कारोबार शुरू करने का प्रमाण-पत्र दिया गया था । अपने कार्य के पहले वर्ष के दौरान निगम ने अलग-अलग तीन गारंटी योजनाएं चालू कीं ।

(ख) जी, हां । "भारतीय ऋण गारंटी निगम (सेवा सहकारी संस्थाएं) गारंटी योजना 1971" शीर्षक योजना के अन्तर्गत, देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अलावा, योजना में भाग लेने की हकदार अन्य ऋण संस्थाएं उन राज्यों के राज्यीय और केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं जिन्होंने जमा बीमा निगम अधिनियम 1961 को अंगीकार कर लिया है । इस समय केवल आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और संघीय राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव ही ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 को अंगीकार किया है ।

(ग) अन्य राज्य भारतीय ऋण गारंटी निगम (सेवा सहकारी संस्थाएं) गारंटी योजना, 1971 में भाग लेने के तभी हकदार होंगे जब वे सम्बद्ध राज्य विधान सभाओं द्वारा बनाये गये उपयुक्त कानूनों द्वारा जमा बीमा निगम अधिनियम 1961 को अंगीकार कर लेंगे ।

(घ) जमा बीमा निगम अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार जमा बीमा का क्षेत्र केवल उन्हीं राज्यों के सहकारी बैंकों तक बढ़ाया जा सकता है जो अपने वर्तमान सहकारी कानूनों में कतिपय संशोधन कर लें । यह प्रश्न अनेक राज्यों के विचाराधीन है ।

महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना

3449. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना चलाई है ;

(ख) क्या इस योजना के अनुसार संगठनों और महिला कार्यकर्ताओं को उनके माध्यम से एकत्र किए गये धन पर कमीशन दिया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो कितना कमीशन दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) प्राप्त की गई और समय-समय पर डाक घरों में जमा करवाई गई रकमों पर 2.25 प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाता है।

जापान एयरलाइन्स के दिल्ली के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में मरने वालों के सामान की चोरी

3450. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**
श्री पी० के० देव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के निकट जून, 1972 में जापान एयरलाइन्स के दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में मारे गये यात्रियों के सामान की चोरी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने अपराधियों को पकड़ लिया है ;

(ग) क्या इन चोरियों में कुछ पुलिस कर्मचारियों का भी हाथ था ; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार ने इस संबंध में कुछ प्रेस रिपोर्टें देखी हैं परन्तु जांच-पड़तालों से उनमें कोई सार नहीं पाया गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

Discontentment among Central Government Employees regarding Rationalisation of Wage Standards

3451. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether keeping in view the growing discontentment among the employees, the Central Government have considered the desirability of rationalising their wage-standards ensuring equal pay for equal work to all the employees whether they are in banks or in State service or in public undertakings ; and

(b) if so, the time by which a final decision would be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). The Third Pay Commission is currently engaged in a review of the present structure of the emoluments of Central Government employees and would presumably take into account all relevant factors for finalising their recommendations. The wage structure of the employees of banks and public sector undertakings is based on different considerations with reference to factors such as their conditions of service, various awards of wage boards and bilateral agreements between the employees and employers etc. As regards the State Government employees, the level of their emoluments and conditions of service are the concern of the respective State Governments.

Loan advanced by Nationalised Banks to Cottage Industries of Burhanpur, M. P.

3452. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the nationalised banks advanced loans to the cottage industries of Burhanpur city in Madhya Pradesh at lower rate of interest during the last three years ; and

(b) if so, the amount of loans thus advanced and the rate of interest ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) and (b). The information is being collected to the extent feasible and will be laid on the Table of the House.

Co-operative Societies in Madhya Pradesh

3453. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Co-operative Societies functioning under the State Bank of India in Madhya Pradesh ; and

(b) The amount of loans given to them during the last year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) and (b). State Bank of India has financed 81 primary agricultural credit societies to the extent of Rs. 24.78 lakhs during Kharif 71 and Rabi 1971-72 as at the end of March, 1972 in Madhya Pradesh.

Loans advanced by Nationalised Banks in Madhya Pradesh

3454. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced by the nationalised banks in Madhya Pradesh State during the last one year ; and

(b) the amount of loans advanced for industrial, transport and agricultural purposes, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) The outstanding advances of nationalised banks in Madhya Pradesh as on 31st March, 1972, were Rs. 58.48 crores.

(b) It is presumed that the hon'ble Member desires to know the position in regard to loans to hitherto neglected sectors only. The position as on last Friday of March, 1971, is set out below :

		(Rs. in crores)
1. Agriculture	..	
(a) Direct Finance	..	4.45
(b) Indirect Finance		2.00
2. Small Scale Industries		6.96
3. Road Transport	..	2.41
	Total :	15.82

Demand for inclusion of Burhanpur City in Madhya Pradesh in the List of Tourist Centres

3455. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a demand has been made to include in the list of tourist centres Burhanpur City, which is an ancient city and is also of archaeological importance ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No such suggestion appears to have been received in the Department of Tourism.

(b) Does not arise.

Pending Cases in Income-tax Assessment in Madhya Pradesh

3456. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1834 on the 11th August, 1972 regarding the pending cases of Income-tax and state the total amount involved in the Income-tax cases pending in Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : There were 1,33,574 Income-tax assessments pending in Madhya Pradesh charge on 1.4.1972. The amount of Income-tax involved in these cases can be known only after the completion of the assessments.

वर्ष 1971-72 में इण्डियन एयरलाइन्स को हुई हानि

3457. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 में इण्डियन एयरलाइन्स को हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स की कमियां दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 4.55 करोड़ रुपये। इस हानि के प्रमुख कारण ये थे :—

(i) पाकिस्तानी आक्रमण के कारण विमान सेवाओं का अस्त-व्यस्त होना।

(ii) ईंधन तथा अन्य परिचालन लागतों के मूल्य में वृद्धि होना।

(iii) वेतन समझौतों के परिणामस्वरूप वेतनों में काफी वृद्धि होना।

(iv) पाकिस्तानी प्रदेश के ऊपर से उड़ान से बचने के लिये अधिक लम्बे चक्कर वाली उड़ानों के कारण अतिरिक्त व्यय तथा काबुल के लिये उड़ानों का बन्द किया जाना।

(v) विमानों के बलात् अपहरण तथा युद्ध के जोखिमों के प्रतिकार स्वरूप बीमा दरों में वृद्धि होना।

(ग) विमानों के उपयोग में वृद्धि करने, यातायात की अभिवृद्धि करने तथा जहां सम्भव हो मितव्ययिता करके व्यय में कमी करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

आसाम में सरकारी क्षेत्र में नायलोन टैक्सटाइल फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव

3458. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सरकारी क्षेत्र में नायलोन टैक्सटाइल फैक्टरी लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस समय यह प्रस्ताव किस अवस्था में है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). प्रतिवर्ष 2100 मीटरी टन नाइलोन फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए असम राज्य में एक नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के बारे में, 29 दिसम्बर, 1971 को असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन को एक आशयपत्र जारी किया गया था। इस प्रायोजना का पूंजी-व्यय 7 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रायोजना के लिए प्रमुख सामग्री का मूल्य लगभग 6.25 करोड़ रुपये है। आयातित प्रमुख सामग्री लगभग 60% होगी। ये केवल प्रारंभिक आंकड़े हैं और जब पार्टी प्रमुख सामग्री के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करेगी, तब इस संबंध में ब्यौरे उपलब्ध होंगे। इस प्रायोजना में विदेशी सहयोग निहित है। इस प्रायोजना के कार्यान्वयन में निगम का कम्पनी में न्यूनतम साम्य शेयर 26% होगा और वे एकाकी सबसे बड़े अंश-धारी होंगे।

(ग) विदेशी सहयोग आदि के संबंध में प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा एकत्रित धनराशि

3459. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया अपने आठ वर्षों के कार्यकाल में अब तक केवल 100 करोड़ रुपये ही एकत्रित कर सका है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 30 जून, 1972 को समाप्त हुए ट्रस्ट के पहले आठ वर्षों में लगभग 119 करोड़ रुपये के यूनिटों की बिक्री हुई। पुनः क्रय (अर्थात ट्रस्ट को बेचे गए यूनिट) को हिसाब में लेने के बाद, 30 जून, 1972 की स्थिति के अनुसार यूनिटों की शुद्ध बिक्री की रकम 105 करोड़ रुपया बैठती है।

(ख) 1964 में ट्रस्ट की स्थापना मुख्य रूप से छोटे और मध्यम आय वर्गों को कम से कम जोखिम और उचित लाभ वाले विश्वस्त शेयरों में निवेश का अवसर प्रदान करके उनकी बचतों की रकमों को जुटाने के उद्देश्य से की गई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट जनता की बचतों के निवेश के कई माध्यमों में से एक हैं। शुरू के वर्षों में यूनिटों में निवेश से यूनिटधारियों को होने वाली 1000 रुपये तक की आय पर कर से एकमात्र रियायत के सम्बन्ध में यूनिटों को जो अद्वितीय स्थान प्राप्त था, वह पहली अप्रैल, 1971 के बाद से समाप्त हो गया। जब कर से मिलने वाली यह रियायत बैंकों में

जमा रकमों, भारतीय कम्पनियों के शेयरों, राष्ट्रीय बचत-पत्रों और अन्य निर्दिष्ट निवेशों से होने वाली आय पर दी जाने लगी । जनवरी, 1971 में बैंक दरों में वृद्धि करने और मार्च, 1970 में राष्ट्रीय बचत पत्रों पर आकर्षक दरों पर ब्याज देने के कारण भी यूनिटों के प्रति आकर्षण कम हो गया। 1965-67 में कुछ उद्योगों पर मन्दी के कारण आर्थिक दबाव पड़ने, देश के विभिन्न भागों में दो वर्ष तक लगातार सूखा पड़ने और पाकिस्तान के साथ हुई दो लड़ाइयों का भी यूनिटों की बिक्री पर प्रभाव पड़ा है ।

पाकिस्तान के युद्ध बन्दियों के राशन और खेलकूद पर व्यय

3460. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1972 तक पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों के राशन पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ख) युद्ध बन्दियों को सप्लाई किये गये खेलकूद के सामान पर कितना व्यय हुआ है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 30-6-1972 तक 1,02,05,000 रुपये ।

(ख) सुख-सुविधाओं पर 28,000 रुपये जिसमें 30-6-1972 तक खेलों के लिए उपस्करों की लागत भी सम्मिलित है ।

उपर्युक्त (क) और (ख) में दिये गये व्यय में सेना कार्मिकों और असैनिकों दोनों को दिये गये राशन तथा सुख-सुविधाओं का खर्च सम्मिलित है ।

पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों को रेडियो पाकिस्तान सुनने की अनुमति

3461. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को रेडियो पाकिस्तान सुनने की अनुमति दी गई है जबकि पाकिस्तान में भारतीय युद्ध बन्दियों को इस प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं ; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों का पाकिस्तान रेडियो के समाचार बुलेटिन सुनने की अनुमति दी जाती है । रैडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है कि पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दियों को आल इण्डिया रेडियो सुनने की सुविधाएं उपलब्ध हैं । यह मामला रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति के समक्ष उठाया गया है ।

पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को जेब खर्च

3462. **कुमारी कमला कुमारी :**
श्री के० सूर्यनारायण :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान युद्धबन्दियों को नियमित रूप से जेब खर्च मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो जून, 1972 तक युद्धबन्दियों को जेब-खर्च देने पर कुल कितना व्यय किया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) हमारे अधिकार में सेना कार्मिकों तथा असैनिकों को जेनेवा समझौते के अनुसार दिये गये भत्तों पर 30-6-72 तक 67,29,000 रुपये का व्यय हो चुका है ।

Proposal to Liberalise Licensing Policy for Petro-Chemical Industries

3463. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to liberalise the licensing policy in regard to Petro-Chemical industries in view of the shortage of Petro-Chemical products ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) and (b). It has been decided—as a part of general policy—to consider cases for fuller utilization of capacity in specified fields. Generally speaking, a long-term view of product requirements is taken while considering establishment of new capacity and, in certain cases, licensing of capacity is not restricted by demand constraints.

Withdrawal of Army

3464. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Banamali Patnaik :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether arrangements for the withdrawal of troops under Simla Agreement have been made ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). Discussions are still under progress between the representatives of the Chiefs of Indian and Pakistan Armies on the details of implementing the clauses of the Simla Agreement relating to military matters.

Programme to Develop Wild Life Oriented Tourist Centres in the Country

3465. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri K. Mallanna :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out any programme to develop wild life oriented tourist centres in the country ;

(b) if so, the locations thereof ;

(c) whether Government propose to send a team to African countries for making a study in this regard ; and

(d) if so, when ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) To facilitate the development of wild life tourism in the country, the Department of Tourism has and is extending assistance to selected National Parks and Wild Life Sanctuaries etc.

(b) Among centres that have been or are being considered for such assistance are :

1. Kaziranga Wild Life Sanctuary (Assam)
2. Kanha National Park (Madhya Pradesh)
3. Corbett National Park (Uttar Pradesh)
4. Gir Wild Life Sanctuary (Gujarat)
5. Periyar Wild Life Sanctuary (Kerala)
6. Bharatpur Wild Life Sanctuary (Rajasthan)
7. Sariska Wild Life Sanctuary (Rajasthan)
8. Mudumalai Wild Life Sanctuary (Tamil Nadu)
9. Bandipur Wild Life Sactuary (Mysore)
10. Dandeli Wild Life Sanctuary (Mysore)
11. Karnala Bird Sanctuary (Maharashtra)
12. Nal Sarover Bird Sanctuary (Gujarat)
13. Kaleswar Wild Life Sanctuary (Haryana)
14. Jaldapara Wild Life Sanctuary (West Bengal)
15. Nehru Zoological Park, Hyderabad (Andhra Pradesh)

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Decision on Purchasing New and Faster Planes for Air India

3466. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state whether it has been decided by Government not to purchase new and faster planes for Air India till the airlines starts showing sufficient profit ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : No, Sir. Air-India has no plans to purchase any more aircraft during the current Plan period.

Punishment for Violation of Foreign Exchange Regulations

3467. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared any comprehensive code under which persons indulging in anti-social and economic crimes like smuggling, evasion of taxes, embezzlement of foreign exchange could be awarded stringent punishment ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). A suggestion for evolving a common code dealing comprehensively in one place with all social and economic offences, has been received from the Law Commission. The Wanchoo Committee has also made certain suggestions for dealing effectively with offences pertaining to tax evasion. All these suggestions, along with Law Commission's other recommendations, including those providing for deterrent punishment for crimes like tax evasion and smuggling etc., are currently under examination.

Defence Expenditure on Research and Development

3468. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri M. S. Purty :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state the percentage of defence expenditure incurred on research and development during last year ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : Nearly 1.5% of the total Defence expenditure was spent on Defence R&D work during 1971-72.

Arrears of Income-tax against Individuals in Madhya Pradesh having an Income of more than Rs. 10 lakhs

3469. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of persons in Madhya Pradesh having an income of more than Rs. 10 lakhs and against whom arrears of Income-tax are outstanding ; and

(b) the date since when the said arrears are outstanding and the steps being taken by Government to realise them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). The information regarding the assessees in Madhya Pradesh having an income of more than Rs. 10 lakhs on the basis of the lastest completed assessment during the financial year 1971-72 and against whom arrears of Income-tax were outstanding as on 31.3.1972, is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Companies in Madhya Pradesh

3470. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state the number of Companies registered under the Companies Act functioning in Madhya Pradesh at present and the number of industries being run by them ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : As on 31.3.1972, 414 companies limited by shares and registered under the Companies Act, were at work in Madhya Pradesh. The industrial activities in which these companies were mainly engaged were (i) Agriculture and Allied Activities—13 companies ; (ii) Mining and Quarrying—12 ; (iii) Processing and Manufacture—Food stuffs, Textiles, etc.—70 ; (iv) Processing and Manufacture—Metals and Chemicals, etc.—78 ; (v) Processing and Manufacture—Not elsewhere classified—45 ; (vi) Construction and Utilities—17 ; (vii) Commerce (Trade and Finance)—120 ; (viii) Transport, Communication and Storage—38 (ix) Community and Business services—3 and (x) Personal and other Services—18.

Loans from Foreign Countries

3471. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of loan received till date by India from foreign countries for its developmental programmes ;

(b) the amount of interest paid by Government on the loans taken during the financial years 1969-70, 1970-71 and 1971-72 separately ; and

(c) the per capita share of the interest payable on the loans taken so far ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) The total amount of loans received by the Government of India till 30th June, 1972 (i.e. value of the loan agreements signed) is Rs. 10,698 crores out of which the amount utilised is Rs. 9291 crores.

(b) The amount of interest paid by the Government of India during the years 1969-70, 1970-71 and 1971-72 is Rs. 155.26, 162.66 and 177.13 crores respectively.

(c) The per capita share of interest payable by the Government of India during 1972-73 on the loans taken so far is Rs. 3.32.

Branches of Nationalised Banks in Uttar Pradesh

3472. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of Branches of the Nationalised Banks in the various Districts of Uttar Pradesh at present ; and

(b) the District-wise number of new branches proposed to be opened in the State during the financial year 1972-73 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) and (b). The attached statement gives the desired information. **[Placed in Library. See No. LT. 3503/72].**

Branches of Nationalised Banks in Jaunpur and Allahabad Districts of Uttar Pradesh

3473. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of branches of the nationalised banks functioning in Jaunpur and Allahabad Districts of Uttar Pradesh ; and

(b) the amount of loans advanced by the nationalised banks to the small farmers and for the development of small scale industries during the financial year 1971-72 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) As on 30th June, 1972, the position in regard to the number of offices of public sector banks, including nationalised banks, operating in Jaunpur and Allahabad districts was as follows :

	Offices of State Bank of India	Offices of nationalised banks	Total for public sector banks
Jaunpur ..	7	5	12
Allahabad ..	20	22	42

(b) The information is being collected to the extent possible and will be laid on the Table of the House.

Request from other Countries for Indian Arms

3474. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some countries have made requests to Government for the supply of Indian arms and ammunition for their armies ; and

(b) if so, the nature thereof and Government's reaction thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) It is the policy of the Government of India to be as helpful to all friendly countries, as possible. Details regarding requests made to us or of the action taken by us in the matter of supply of Defence Stores to foreign countries cannot be disclosed.

तेल शोधक उपकरणों के बारे में सोवियत संघ से बातचीत

3475. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल-शोधक उपकरणों के बारे में, जुलाई, 1972 में सोवियत संघ के साथ कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). भारतीय तेल निगम तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के विशेषज्ञों के एक दल ने इस बारे में जुलाई, 1972 में रूस का दौरा किया था। ब्यौरों को बताना जनहित में नहीं है।

विमान दुर्घटनाओं की जांच करने के लिये एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष व्यवस्था का गठन

3476. **डा० रानेन सेन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान दुर्घटनाओं की जांच करने के लिये भारत में कोई स्वतंत्र तथा निष्पक्ष व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). विमान दुर्घटना जांच की वर्तमान व्यवस्था सन्तोषजनक रही है। तथापि, दुर्घटना-जांच शाखा को नागर विमानन महा-निदेशालय से अलग करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण तथा नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

3477. **डा० रानेन सेन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रामीण तथा नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की तथा कितनी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) क्या विश्व बैंक ने इसके लिए सहायता देना स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के कुछ जिलों में ग्रामीण जलपूर्ति की व्यवस्था करने और कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ के नगरों के लिए जलपूर्ति तथा जल निकासी की एक बृहत आयोजना तैयार की है और इन

परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का सुझाव दिया है। ये प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की कमी

3478. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है ;

(ख) क्या इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का विस्तार करने में बाधा पड़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) कुछ सीमा तक यह प्रतिबन्ध का कार्य कर रहा है।

(ग) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने नियुक्ति के कार्यक्रम को बढ़ाया है और अपने प्रशिक्षण क्रियाकलापों का पुनः-रूपांकन कर रहे हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के वार्षिक समारोह

3479. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 19 से 25 जुलाई, 1972 तक राष्ट्रीयकरण की तीसरी वर्ष गांठ मनाई थी ;

(ख) क्या बैंक आफ बड़ौदा ने अपना वार्षिक समारोह परम्परागत रूप में 'उपेक्षित क्षेत्र' पर नए सिरे से ध्यान देने के रूप में मनाया और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या था ; और

(ग) क्या दिल्ली स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों का विचार अल्प साधनों वाले स्वयंनियोजित व्यक्तियों की सूची तैयार करने तथा उनकी सहायता करने के लिए "बहुमुखी सेवा एजेंसी" आरम्भ करने का है ; यदि हां, तो किस प्रकार ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) बैंक आफ बड़ौदा ने, बैंक-राष्ट्रीयकरण का सप्ताह भर का तीसरा वार्षिकोत्सव इस बात पर जोर देते हुए मनाया कि समाज के कमजोर वर्गों, अर्थात् नगरीय क्षेत्रों में सामान्य आमदनी वाले, स्व-नियोजित लोगों को और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और केवल गुजारा करने वाले किसानों के लिए ऋण की उपलब्धि की व्यवस्था ठीक ढंग से की जानी चाहिए। उसी के अनुसार, बैंक की सभी शाखाओं को, खुदरा व्यापारियों, छोटे कारीगरों, स्व-नियोजित व्यक्तियों तथा उपेक्षित क्षेत्रों में अन्य लोगों को 19 जुलाई, 1972 को, अथवा वार्षिकोत्सव मनाये जाने वाले सप्ताह के दौरान, अग्रिमों का

वितरण करने की दृष्टि से उनके अग्रिमों के कम से कम पांच प्रस्तावों पर अवश्य कार्यवाही करनी चाहिए थी। किसानों को ऋण देने से संबंधित गहन क्षेत्र पद्धति के अनुसार, बैंक की विभिन्न शाखाओं ने 980 गांव पहले से ही निर्धारित कर दिये थे। बैंक-राष्ट्रीयकरण का वार्षिकोत्सव मनाये जाने के कार्यक्रम के अंग के रूप में, सम्बद्ध शाखाओं को, इन केन्द्रों में अग्रिमों के कम से कम दो या तीन प्रस्तावों पर कार्यवाही करने के लिए कहा गया था, ताकि उनके सम्बन्ध में 19 जुलाई या सप्ताह के दौरान वितरण की व्यवस्था की जा सके।

(ग) यद्यपि दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, एक ऐसा अकेला समेकित "बहु-सेवा अभिकरण" स्थापित करने के बारे में कोई आम फैसला नहीं हुआ है, जो सभी बैंकों की सेवा व्यवस्था करे, तथापि बैंक आफ इंडिया ने एक अभिकरण की स्थापना की है जिसका नाम "बैंक आफ इंडिया की नयी उद्यम-कारिता विकास योजना है"। इस योजना अभिकरण को इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि उससे खास तौर पर छोटे पैमाने के क्षेत्र में उद्यम कर्तृत्व की भावना की वृद्धि की जाय तथा छोटे उद्यमकर्ताओं को, खास तौर पर, तकनीकी उद्यमकर्ताओं आदि को सामूहिक सहायता दिलाई जा सके अथवा उसकी व्यवस्था की जा सके। भारतीय राज्य बैंक ने हाल ही में नई दिल्ली में, छोटे पैमाने के उद्योगों के संघों के मण्डल के सहयोग से एक परामर्शदात्री कार्यालय भी शुरू किया है। यह परामर्श-दात्री कार्यालय, खास तौर पर, उन नये उद्यमकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है, जो कि छोटे पैमाने के उद्योग धन्धों को स्थापित करने में पूरी रुचि रखते हैं।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा द्रव अमोनिया को मिट्टी में सीधे डालने की योजना

3480. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने द्रव अमोनिया को मिट्टी में सीधे डालने के लिए एक पैकेज योजना को अन्तिम रूप दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). भारतीय उर्वरक निगम ने भूमि के अन्दर निर्जल अमोनिया के प्रत्यक्ष इन्जेक्शन के लिए एक प्रायोगिक योजना तैयार की है। निगम का अपने एककों की सीमा के अन्दर स्थित फार्मों में योजना को कार्यान्वित करने का विचार है ; जहां निर्जल अमोनिया को उतार-चढ़ाव और एकत्र करने संबंधी सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। गेहूं, गन्ना और धान जैसी तीन मुख्य फसलों पर इसका पुरीक्षण उत्पादन किया जायेगा।

मीठापुर में टाटा फर्टीलाइजर प्रोजेक्ट के चालू होने में विलम्ब

3481. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीठापुर स्थित टाटा फर्टीलाइजर प्रोजेक्ट के चालू होने में और विलम्ब होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). मीठापुर में एक फर्टिलाइजर संयंत्र स्थापित करने के लिये मैसर्स टाटा केमिकल्स लि० को 25-7-1970 को एक आशय पत्र दिया गया था। इसकी वैधता की अवधि अब 20 नवम्बर, 1972 तक बढ़ा दी गई है। आशय में जैसे अनुबद्ध था, कम्पनी से विस्तृत वित्त सम्बन्धी प्रस्तावों तथा अन्य ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है। अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि परियोजना में उत्पादन कब शुरू होगा।

स्वदेश में मानक गन का उत्पादन

3482. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे युद्धपोतों के लिये अपने देश में एक 'मानक गन' का डिज़ाइन तैयार करने तथा उनका उत्पादन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : हमारे युद्धपोतों के लिए किसी मानक गन का अभी तक स्वदेशी विकास नहीं किया गया है क्योंकि यह लागत-सार्थक नहीं होगी।

लींडर श्रेणी के युद्धपोत बनाने में आत्म-निर्भरता

3483. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत लींडर श्रेणी के युद्धपोत बनाने की वर्तमान गति के अनुसार कब तक आत्म निर्भर हो जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : भारतीय नौसेना ने मैसर्स मेजागांव डॉक लिमिटेड को छः लींडर क्लास फ्रिगेट का आर्डर दिया है जो निर्माणाधीन हैं। इनमें से एक पहले ही दे दिया गया है और अन्य तीन निर्माण के विभिन्न चरणों में है। नौसेना को इस प्रकार के जहाजों की आगे की सभी आवश्यकताओं को भी मैसर्स मेजागांव डॉक लिमिटेड पूरा करेगा।

Filling up of Gazetted Posts in Narcotics Department

3484. **Dr. Laxminarain Pandeya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Gazetted posts in the Narcotics Department are filled up by appointment of Officers of the Excise Department ;

(b) whether a demand has been made by the All India Opium Employees Association that transfers may not be made to the Narcotics Department ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The Class I Gazetted Posts in Narcotics Department are borne on the cadre of Indian Customs and Central Exice Service Class I and are, therefore, manned by the officers of that Service. The Class II gazetted executive posts in the Narcotics Department are filled partly by promotion of the Class III executive officers of that Department and partly by transfer of Superintendents of Central Excise Class II, from the Central Excise Department. The Class II gazetted ministerial posts are filled exclusively by promotion of the Class III Ministerial officers of Narcotics Department.

(b) The Association have represented that the Class II posts in the Narcotics Department should be manned by officers of that Department only.

(c) This is being examined.

शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित आयुध कारखाने में आग का लगना

3485. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित आयुध कारखाने में आग लग गयी थी जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्ति घायल हो गये थे तथा भारी हानि उठानी पड़ी ; और

(ख) क्या उस घटना की उचित जांच की गयी थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) 1971 के दौरान, 28-12-71 को शाहजहांपुर की क्लोदिंग फैक्टरी की काटन टीजिंग शाप में आग लग गई थी। किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई और हानि का मूल्यांकन 1260.76 रुपए किया गया।

(ख) जी हां, श्रीमन्। जांच से पता चला कि आग सांयोगिक थी और जांच बोर्ड द्वारा सुझाए गए उपचारी उपायों को अब क्रियान्वित कर दिया गया है।

शाहजहानपुर आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरी में रक्षा सेनाओं के लिए घटिया स्तर के वस्त्रों का बनाया जाना

3486. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहानपुर आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरी में रक्षा सेनाओं के लिये बनाये गये वस्त्र अपेक्षित स्तर के नहीं होते हैं और उन्हें बतौर रियायत ही स्वीकार कर लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1971 से दिसम्बर, 1971 तक इस प्रकार की कितनी रियायतें दी गईं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शाहजहानपुर आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री के दर्जियों द्वारा व्यापार के लिये असैनिक वस्त्रों का बनाया जाना

3487. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहानपुर आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्री के कुशल दर्जी तथा क्राफ्ट्समैनों को व्यापार के लिये असैनिक वस्त्र तैयार करने पर लगाया जाता है तथा जो कर्मचारी इतने कुशल नहीं हैं उनसे रक्षा कर्मचारियों के वस्त्र बनवाए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कारीगरों से रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के वस्त्र न बनवाये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी नहीं श्रीमन् । दर्जी ग्रेड के कार्मिकों को सिविलियन वस्त्रों के व्यवसाय कार्य के साथ साथ रक्षा कार्मिकों के वस्त्रों के निर्माण कार्य पर, विशिष्ट कार्यों के लिए अपेक्षित कुशलता के आधार पर नियोजित किया जाता है ।

मैसूर राज्य में सड़क पर्यटन विकास की योजना

3488. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर: क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर राज्य में सड़क पर्यटन के विकास के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का सारांश क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सड़क द्वारा पर्यटन की अभिवृद्धि के लिये सरकार ने उन सड़क मार्गों पर, जहां पर्यटक यातायात का काफी आधिक्य है, शिविर-स्थल तथा मोटल स्थापित करने की एक योजना प्रारम्भ की है ।

मैसूर सरकार ने शिविर-स्थलों के लिये 5 तथा मोटलों के लिये 3 स्थानों का सुझाव दिया है जो निम्न प्रकार हैं :—

शिविर-स्थल	मोटल
1. बेलगांव	1. बीजापुर
2. अमृतेश्वर	2. पारावंते
3. चित्रदुर्ग	3. बेलूर
4. बांदीपुर	
5. बन्नेरघाटा	

प्रारम्भ में दो शिविर-स्थल स्थापित करने का प्रस्ताव है, एक बेलगांव तथा एक बन्नेरघाटा में । मैसूर सरकार से इन प्रायोजनाओं के लिये प्राक्कलन भेजने का अनुरोध किया गया है, जो अभी प्राप्त होने हैं ।

अखिल-भारतीय आधार पर चुने हुए केन्द्रों पर मोटल स्थापित करने के लिये योजना के ब्यौरे राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये जा रहे हैं ।

पाकिस्तानी युद्धबन्दी शिविर, रांची में सुरंग के खोदे जाने के बारे में जांच

3489. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री सतपाल कपूर :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित युद्धबन्दी शिविर में ईंधन के काम आने वाली लकड़ियों के ढेर के नीचे खुदी पाई गई सुरंग की जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है और क्या इसकी जिम्मेदारी नियत की गई है और कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जांच के परिणामस्वरूप, परिस्थितियों और युद्धबंदियों द्वारा किए गये प्रयत्नों का पता लगा लिया गया है और उसके फलस्वरूप उपयुक्त उपचारी उपाय किए जा रहे हैं । क्योंकि शिविर के कर्मचारियों की ओर से कोई दोष नहीं पाया गया, अतः उनके विरुद्ध कोई कारवाई नहीं की गई ।

एयर इण्डिया सेवा को आकर्षक बनाने के लिये कार्यवाही

3490. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटक भारत आते या यहां से जाते समय एयर इण्डिया की अपेक्षा बी० ओ० ए० सी० तथा अन्य विदेशी विमान सेवाओं को पसंद करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात के कारणों की जांच की है ; और

(ग) क्या एयर इण्डिया सेवा को अधिक आर्कषक बनाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं जिस से विदेशी पर्यटक एयर इण्डिया के विमानों से यात्रा करें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर-इण्डिया, बी० ओ० ए० सी० तथा अन्य विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा वर्ष 1971 के दौरान वाहित यातायात के आंकड़े नीचे दिये गये हैं जिनसे ज्ञात होगा कि यातायात-बाजार में काफी महत्वपूर्ण अंश एयर-इण्डिया ने प्राप्त किया :—

	भारत को	भारत से
एयर-इण्डिया	1,23,457	1,34,084
बी० ओ० ए० सी०	32,758	38,903
अन्य विदेशी विमान कम्पनियां	1,71,334	1,97,451

(उपरोक्त आंकड़ों में भारत और पड़ोसी देशों, अर्थात् बर्मा, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान, के बीच वाहित यातायात को शामिल नहीं किया गया है ।)

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां। पर्यटन विभाग के सहयोग से एयर-इण्डिया ने भारत के लिये और अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिये यूरोप (यू० के० सहित) और संयुक्त राज्य अमरीका में संयुक्त प्रोत्साही प्रयत्नों की व्यवस्था की है।

एयर-इण्डिया ने अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात संघ के माध्यम से विश्व के अनेक भागों से छूट प्रदान करने वाले अनेक प्रोत्साही तथा 'समूह-यात्री' (ग्रुप इन्क्लूसिव) किराये प्रारंभ करवाये। इसके अतिरिक्त, एयर-इण्डिया उड़ान के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाओं में उच्चतम स्तर बनाये रखने के लिये हमेशा प्रयत्नशील रहती है।

विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भारत में धन भेजना

3492. **श्री पम्पन गौडा**: क्या **वित्त** मंत्री विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भारत में धन भेजने के संबंध में 7 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2235 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विदेशों में रह रहे भारत प्रवासियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से भेजे गये धन को प्राप्त करने वाले कितने व्यक्तियों का पता चला है तथा कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इस समस्या के समाधान हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) विदेशों से अनधिकृत स्रोतों के माध्यम से प्रेषित राशियां प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं, उनकी संख्या के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायगा।

(ख) कानून सम्बन्धी वर्तमान उपबन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ वैधानिक उपायों के बारे में विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रवर्तनतंत्र भी लगातार सतर्क रहता है और जब उसे किसी मामले की सूचना मिलती है, तब वह उस पर आवश्यक कार्रवाई करता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा धन का वितरण

3493. **श्री पम्पन गौडा :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने गत तीन वर्षों में राज्यवार कुल कितना धन वितरित किया है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र को किस आधार पर धन वितरित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख). सामान्यतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लघु क्षेत्र के एककों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं देता। यह बैंक ऋण प्रत्याभूति योजना के अन्तर्गत आने वाले एककों के लिए बैंकों अथवा राज्य वित्तीय निगमों द्वारा दिए गए ऋणों की पुनः वित्त-व्यवस्था करता है।

पिछले तीन वर्षों में विकास बैंक द्वारा छोटे पैमाने के एककों को ऋण के रूप में स्वीकृत और वितरित की जाने वाली पुनर्वित्त सहायता का राज्य-वार विभाजन संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3504/72**]

विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ का विदेशों में भेजा जाना

3494. **श्री श्यामनन्दन मिश्र**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले लाभ में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) नीचे दी गई सारणी में, लाभों और लाभांशों के रूप में पिछले तीन वर्षों में बाहर भेजी गई रकमों का ब्योरा दिया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लाभ	लाभांश
1968-69	13.00	30.3
1969-70	12.7	31.4
1970-71	13.1	43.5

1971-72 के सम्बन्ध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

यद्यपि लाभों के रूप में भेजी गई रकमों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई हैं, लेकिन 1970-71 में लाभांश के रूप में भेजी गई रकमों में पहले के दो वर्षों की तुलना में काफी वृद्धि हुई है।

(ख) लाभांशों के रूप में बाहर भेजी जाने वाली रकमों में हुई पर्याप्त वृद्धि का कारण विदेशी स्वामित्व वाली तेल कम्पनियों के प्रेषणीय दायित्वों का अधिक होना और कुल विदेशी नियंत्रित रुपया कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांशों में वृद्धि होना है।

पी० एल० 480 निधियां

3495. **श्री श्यामनन्दन मिश्र**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात आरम्भ हुए तब से पी० एल०-480 निधि की बजट खातों में कितनी धनराशि दिखाई गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): 1956 से, जब से पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किया जाना शुरु हुआ है, बजट में 30 जून 1972 की स्थिति के अनुसार पी० एल० 480 की निधियों की जमा खाते में दिखाई गई कुल रकम 2305 करोड़ रुपये बैठती है।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

		(करोड़ रुपयों में)
1. भारत सरकार द्वारा प्राप्त ऋण	—	1411
2. —तदेव— अनुदान	—	337
3. भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेशित पी० एल० 480 निधियां	—	243
4. परिवर्तनीय मुद्रा ऋण के अन्तर्गत पी० एल० 480 आयात (इनके सम्बन्ध में रुपयों में रकमें जमा नहीं करवानी पड़तीं)	—	314
	जोड़ :	2305

विदेशी कम्पनियों के कार्यकरण की जांच के लिए समिति

3496. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में विदेशी कम्पनियों के कार्यकरण की जांच करने हेतु एक समिति के गठित करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार मे क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां। सरकार को कुछ विदेशी नियंत्रित कम्पनियों द्वारा अत्यावश्यक वस्तओं से भिन्न वस्तुएं तैयार करके और उन्हें बेच करके अधिक रकमें बाहर भेजने के विषय में एक संसद सदस्य से पत्र प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्य ने भारत में विदेशी कम्पनियों के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक छोटी समिति के गठन का भी सुझाव दिया है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

रक्षा सैनिकों (कम्बेटैंट रैंक्स) की बढ़ी हुई दर पर पेंशन

3497. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1968 से 30 नवम्बर, 1969 तक की अवधि में सेवानिवृत्त रक्षा सैनिकों (कम्बेटैंट रैंक्स) को बढ़े हुए दर पर पेंशन के लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं जो मंहगाई भत्ते को मंहगाई वेतन बना देने के परिणामस्वरूप मिलने चाहिये थे और जो 1 दिसम्बर, 1969 से सेवानिवृत्त सैनिकों को दिये गये थे जब कि इन सैनिकों पर भी पेंशन देने के लिये आर्मी पार्ट 1 और 2 के पेंशन विनियम लागू होते हैं ;

(ख) क्या यह अनुपातिक सूत्र नहीं है जिससे इन सैनिकों को पेंशन की बढ़ी हुई दरों का केवल आधा लाभ दिया गया है और पेंशन की पूरी तदर्थ तथा अस्थायी वृद्धि को कम कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो छोटे ओहदों पर काम करने वाले सेवानिवृत्त रक्षा सैनिकों को होने वाली हानि को दूर करनें के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (ग). सेवा कार्मिकों के बारे में पेंशन संबंधी लाभ के लिए मंहगाई भत्ते का एक अंश मंहगाई वेतन के रूप में मान लेने के लिए आदेश असैनिक आदेशों पर आधारित हैं। सैनिक कर्मचारियों की तरह, अफसर पद से नीचे के सेवा कार्मिकों को उनकी परिलब्धियों में मंहगाई वेतन की निम्नांकित प्रमात्रा जोड़कर समय-समय पर मंजूर की गई तदर्थ बढ़ोत्तरी के बिना, सर्विस पेंशन की गई है :

(1) पहली दिसम्बर 1968 को अथवा उसके पश्चात् परन्तु पहली दिसम्बर 1969 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के बारे में मंहगाई वेतन का आधा ; और

(2) पहली दिसम्बर, 1969 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पूरा मंहगाई वेतन ;

यदि किसी मामले में, पेंशन की संशोधित दर तदर्थ बढ़ोत्तरी के साथ पेंशन की वर्तमान दर से कम है, तो पेंशनभोगी परिवृत्ति अवार्ड पाने का पात्र है।

आन्तरिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये योजना

3498. **श्री भोला मांझी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया है ;

(ख) क्या देश के अन्दर पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी, नहीं। पर्यटन के लिये आवश्यक आधारभूत उपादानों का निरन्तर विस्तारव सुधार किया जा रहा है। युवा होस्टलों, पर्यटक बंगलों, स्वागत केन्द्रों, आखेट पशुशरण स्थानों पर विश्रामगृहों, तथा शिविर स्थलों का निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने होटलों के निर्माण, और पर्यटक परिवहन गाड़ियों की खरीद के हेतु ऋण देने के लिये निधियां भी आवंटित की हैं। यह सभी पर्यटर्न सुविधायें स्वदेशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों को उपलब्ध हैं।

पर्यटकों के आकर्षण के लिये गोआ के तटीय क्षेत्रों का समेकित विकास करने की बृहद् योजना

3499. **श्री भोला मांझी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या सरकार ने पर्यटकों और पर्यटक दलों के लिये तटीय क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु एक वृहद् योजना बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वृहद् योजना के कब तक बनाये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) सरकार के अनुमान के अनुसार गोआ के तटीय क्षेत्रों के पूर्ण विकास के बाद वहां पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या के लगभग कितनी हो जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । पर्यटक यातायात की और अधिक वृद्धि करने के लिये गोवा में समुद्रतटीय बिहारस्थल सुविधाओं को विकसित करने का प्रस्ताव है । विकास सम्बन्धी मास्टर प्लान बनाने के लिये शीघ्र ही एक समुद्रोतटीय बिहार विकास सर्वेक्षण किया जाएगा ।

(ग) सर्वेक्षण पूरा हो जाने तथा मूल्यांकन कर लेने के पश्चात् ही गोवा की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या के बारे में अनुमान लगाना सम्भव होगा ।

तटवर्ती प्रदेश के साथ साथ महत्वपूर्ण केन्द्रों पर पिकनिक स्थल बनाने का प्रस्ताव

3500. **श्री भोला मांझी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती प्रदेश के साथ साथ महत्वपूर्ण केन्द्रों पर पिकनिक स्थल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने स्थल बनाये जायेंगे और वे कहां कहां पर होंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । त्रिवेन्द्रम के निकट कोवालम को एक समुद्रतटीय बिहारस्थल के रूप में विकसित करने के अलावा, जिसका कि काम पहले से ही चालू है, गोवा का दूसरे प्रमुख समुद्रतटीय बिहार स्थल के रूप में विकास करने के लिए चयन किया गया है । महाबलीपुरम में भी आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है ।

एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के लिये एक होल्डिंग कम्पनी की स्थापना का प्रस्ताव

3501. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के लिये एक होल्डिंग कम्पनी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). दोनों एयर कारपोरेशनों के बीच समन्वय को अधिक सशक्त करने के प्रश्न की निरन्तर समीक्षा की जाती है । इस प्रक्रिया में, एक नियंत्रक कम्पनी की स्थापना के लिए एक सुझाव का अध्ययन भी किया जा रहा है ।

पूर्वी भारत में पाइपलाइन परियोजना की स्थापना

3502. **श्री बेकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी भारत में पाइपलाइन परियोजना स्थापित करने के लिए कोई निविदायें आमंत्रित की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम क्या है जिसकी निविदा स्वीकार की गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) पूर्वी भारत में निम्नलिखित दो पाइपलाइनों का निर्माण हो रहा है :—

(i) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लक्वा मोरेन पाइपलाइन ।

(ii) भारतीय तेल निगम द्वारा हल्दिया राजबन्ध पाइपलाइन ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने लक्वा मोरेन पाइपलाइन के लिए खुले-टेंडर आमन्त्रित किए थे । हल्दिया-राजबन्ध पाइपलाइन के निर्माण में निम्नलिखित चार कार्य सम्मिलित हैं तथा अन्तिम तीन कार्यों के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा खुले-टेंडर आमन्त्रित किए गए थे ।

(i) मेनलाइन का निर्माण,

(ii) पाइप का प्रबन्ध करने,

(iii) पम्प-स्टेशन का निर्माण,

(iv) विकरणी-चित्रण सम्बन्धी निरीक्षण और कैथोडिक सुरक्षा ।

(ख) (i) **लक्वा मोरेन पाइपलाइन** : मैसर्स डोडसल एण्ड कम्पनी, बम्बई ।

(ii) **हल्दिया राजबन्ध पाइपलाइन** : मैसर्स और बिल्ले इंडस्ट्रीज, कलकत्ता; (पाइप का प्रबन्ध) मैसर्स बी० एम० इंजीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता ; (पम्प स्टेशन का निर्माण) मैसर्स कोरोसियन कन्ट्रोल सर्विसेज, बम्बई (विकरणी-सचित्रण सम्बन्धी निरीक्षण और कैथोडिक सुरक्षा कार्य) ।

(ग) निम्नकारणों से हल्दिया-राजबन्ध पाइपलाइन को मेनलाइन के निर्माण कार्य के लिए टेंडर नहीं मंगवाए गए थे :—

(i) वर्ष 1972 की समाप्ति से पहले बरौनी शोधनशाला तक आयातित कच्चे तेल को पहुंचाने के लिए वर्तमान मौसम का लाभ उठाते हुए, 'क्रैश' आधार पर कार्य को कार्यान्वित किया गया था तथा कलकत्ता क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों को वर्तमान सप्लाई को बनाए रखा गया ।

(ii) यह कार्य एक अधिक विशिष्ट प्रकार है तथा इसमें भारी मशीनों के प्रयोग और विशेषज्ञों की आवश्यकता है । उपर्युक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, भारतीय तेल

निगम और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में चार विख्यात ठेकेदारों को वार्ता के लिए बुलाया गया था तथा एक यथावत गठित समिति द्वारा श्रेष्ठ पार्टी अर्थात् मैसर्स डोडसल प्राइवेट कम्पनी लि० बम्बई को चयन किया गया।

ताप्ती हाई में तटदूर छिद्रण

3503. **श्री बेकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलियाबेट में तटदूर छिद्रण के कार्य में असफलता के पश्चात् सरकार ताप्ती हाई के बारे में फिर से विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ताप्ती हाई के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की क्या योजनाएं हैं और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) क्योंकि ताप्ती अपतट संरचना में व्यधन के लिए चयन किए गए स्थान पर गहरा पानी पर्याप्त है तथा क्योंकि एक चल अपतट व्यधन प्लेट फार्म के लिए आर्डर दिया जा चुका है ; इसलिए चल प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए ताप्ती संरचना पर व्यधन कार्य को प्रारंभ करना लाभप्रद एवं अधिक सस्ता समझा गया है। दिसम्बर, 1972 में चल प्लेटफार्म के भारत में पहुंचने की आशा है। इस प्लेट फार्म का 'बम्बई-हाई' जैसी अरब सागर के गहरे पानी में संरचनाओं पर व्यधन के लिए प्रयोग किया जायेगा और जब इसकी पूर्वोक्त क्षेत्रों में आवश्यकता नहीं होगी तब बाद में मौसम एवं समुद्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसका ताप्ती संरचना पर व्यधन के लिए प्रयोग किया जायेगा।

डेटरजेंट अलकाइलेट और एथिलीन ग्लाइकोल परियोजनाओं की स्थापना के लिए गुजरात सरकार का प्रस्ताव

3504. **श्री बेकारिया :**
श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेटरजेंट अलकाइलेट और एथिलीन ग्लाइकोल परियोजनाओं की स्थापना के बारे में गुजरात सरकार का एक प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) डेटरजेंट अलकाइलेट और एथिलीन ग्लाइकोल प्रायोजनाओं की स्थापना के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त

नहीं हुआ है। किन्तु राज्य सरकार ने इन दोनों प्रायोजनाओं में, जो सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जा रही हैं ; साझेदारी का प्रस्ताव है।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अशोधित तेल के विद्यमान मूल्य का निर्धारण

3505. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 'एस्सो' तथा बर्मा-शैल' की अशोधित तेल की विद्यमान मूल्य-निर्धारित प्रणाली पर आपत्ति की है ; और

(ख) क्या आयातित अशोधित तेल के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में सुझाव मिले थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). विदेशी तेल कम्पनियों ने भारत में अपनी शोधनशालाओं में तेल साफ करने के लिए अपने निजी स्रोत्रों से आयात किए गए कच्चे तेल का मूल्य निर्धारण करने के सम्बन्ध में विभिन्न दावे प्रस्तुत किए हैं, जो कि पूर्णतया स्वीकार नहीं किए गए हैं। एस्सो और बर्मा-शैल ने, उनके द्वारा आयात किए गए कच्चे तेल के मूल्य के निर्धारण के लिए कुछ पद्धतियों का सुझाव दिया था। ये सुझाव उनकी शोधनशाला एवं विपणन संक्रियाओं आदि के विस्तार सम्बन्धी वृहत्तर प्रश्नों से जुड़े हुए हैं। इस मामले से संबंधित विभिन्न वैकल्पिक समस्याओं का विस्तृत अध्ययन प्रारंभ किया गया है और ज्योंहि इन अध्ययनों का कार्य पूर्ण होगा तब ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

इण्डियन एयरलाइन्स के कलकत्ता से बम्बई जाने वाले कैराविल विमान में 27 मई 1972 को बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति

3506. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री इण्डियन एयरलाइंस के कलकत्ता से बम्बई जाने वाले कैराविल विमान में 27 मई, 1972 को बिना टिकट पाये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में 11 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1814 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा की करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों का व्यौरा क्या है जो उक्त विमान में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे ; और

(ख) इस सम्बन्ध में जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं उनके नाम तथा पदनाम क्या-क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) बिना टिकट यात्रा कर रहे आठ यात्री (दो बच्चों सहित) एक बारात के सदस्य थे। क्योंकि उन बच्चों के माता-पिता के पास पहले

से ही टिकट थे, अत: उन दोनों बच्चों को उनके लिये टिकट ले लेने के पश्चात् यात्रा करने की अनुमति दे दी गयी। शेष यात्रियों को उतार दिया गया तथा उनके नाम ये थे :—

1. श्री एन० एम० पारिख
2. मास्टर आशु
3. श्री आर० एच० अमीन
4. श्री के० के० चक्रबर्ती
5. श्री राजन् टौंक
6. श्री एन० एम० पटेल

(ख) एक जांच की जा रही है जो अभी पूरी नहीं हुई है।

व्यापारी कम्पनियों में जीवन बीमा निगम का पूंजी निवेश

3507. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने गत तीन वर्षों में व्यापारी कम्पनियों में कितनी पूंजी लगाई ;

(ख) जीवन बीमा निगम ने उक्त अवधि में 20 बड़े व्यापार गृहों के अधीन कम्पनियों में कितनी-कितनी पूंजी लगाई ; और

(ग) निगम ने अब तक हिन्दुस्तान लीवर एण्ड कम्पनी में कितनी पूंजी लगाई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) :

(क)

	1969-70	1970-71	1971-72
		(रुपये लाखों में)	
सरकारी क्षेत्र	कुछ नहीं	1.36	20.73
सहकारी क्षत्र	152.73	228.36	200.43
निजी सामूहिक क्षेत्र	1217.23	1043.64	994.72
जोड़	1369.96	1273.36	1215.88

(ख)

बड़े औद्योगिक गृह	1969-70	1970-71	1971-72
		(रुपये लाखों में)	
1. ए० सी० सी०	42.76	0.35	19.18
2. एण्ड्रयू यूले	0.11	17.77	0.66
3. बांगड़	3.90	48.28	4.99
4. बर्ड हिल्जर्स	0.02	4.03	0.27
5. बिड़ला	79.98	131.24	42.29
6. गोयन्दका	0.23	6.09	4.37
7. आई० सी० आई०	83.94	8.72	7.18
8. जे० के० (सिंघानिया)	0.08	2.02	9.98
9. किलाचन्द तुलसीदास	–	–	8.47
10. किलिक	41.20	170.24	35.99
11. मफतलाल	10.32	50.21	1.12
12. मार्टिन बर्न	0.14	0.11	201.57
13. साहू जैन	—	—	—
14. साराभाई	—	—	—
15. सिंधिया स्टीम नैवीगेशन	1.56	—	—
16. श्रीराम	0.18	4.02	2.25
17. सूरज मल नागर मल	—	—	—
18. टाटा	205.40	134.16	66.81
19. थापड़	0.08	3.62	0.05
20. बालचन्द	10.62	3.45	0.50
जोड़	480.52	584.31	405.68

(ग) विवरण

	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	खाता मूल्य
		(रु०)	(रु०)
$7\frac{3}{4}$ प्रतिशत के ऋण पत्र—1977-80	—	85,20,000	83,98,821
10 रुपये अंकित मूल्य के सामान्य शेयर	89,286	8,92,860	15,75,809
जोड़	89,286	94,12,860	99,74,630

विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने लाभ विदेश भेजने सम्बन्धी भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिवेदन

3508. **श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि भारत में चल रही विदेशी फर्मों द्वारा हमारे धन की निकासी हो रही है ;

(ख) क्या इन कम्पनियों के लाभ का अधिकांश भाग सीधे या परोक्ष रूप में बाहर भेज दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अनुचित निकासी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभों और लाभांशों के रूप में बाहर भेजी जाने वाली सभी रकमें केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से ही सीधे भेजी जा सकती हैं । 1968-69 से 1970-71 तक भेजी गई ऐसी रकमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लाभ	लाभांश
1968-69	13.0	25.4
1969-70	12.7	27.6
1970-71	13.1	38.7

(ग) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता ।

रक्षा पूर्ति विभाग द्वारा आयातित मदों के स्थान पर स्वदेशी मदों के लिये आर्डर दिया जाना

3509. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री के० लकप्पा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा पूर्ति विभाग ने 12,935 मदों के लिये, जिन्हें पहले आयात किया जाता था भारतीय निर्माताओं को आर्डर दिए थे ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मदों के लिए आर्डर दिए गए तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) 1965 के अन्त में विभाग के प्रारम्भ से मार्च 1972 के अन्त तक भारतीय निर्माताओं को 13,104 मदों के आर्डर दिए गये । आर्डर किए गये मद दो वर्गों में आते हैं (1) जो मूलतः आयात किए जाते थे (2) जो देश में ही विकसित किए जाते हैं और रक्षा सेवाओं में पहली बार सन्निविष्ट की जा रही हैं ।

(ख) क्योंकि आर्डर किए गये मदों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए सूची प्रस्तुत करने में पर्याप्त समय लगेगा । इसके अतिरिक्त, प्राप्त उद्देश्य, प्रयत्नों के अनुरूप नहीं होगा । निम्नांकित कारणों से विदेशी मुद्रा में बचत के यथार्थ आंकड़े देना कठिन होगा :—

(1) कई एक मामलों में, विदेशी मुद्रा कच्चे माल के और उपस्करों के आयात तथा पूंजीगत संतुलन उपकरण के लिए दी जाती है अतः यह राशि आर्डर किए गये मदों के मूल्य से घटानी होगी । यह सूचना मामलेवार एकत्र करनी होगी ।

(2) जैसे कि भाग (द) के उत्तर में बताया गया है, आर्डर किए गए सभी मद मूलतः आयात नहीं किए जाते थे और ऐसे मदों की संख्या अधिक होने के कारण, इनका विदेशी मुद्रा में मूल्य तुरंत उपलब्ध नहीं होगा ।

(3) उन मदों के लिए भी जो मूलतः आयात किए जाते थे, भारतीय निर्माताओं को आर्डर दिए जाते समय विदेशी मुद्रा में उनका मूल्य बहुत से मामलों में उपलब्ध नहीं था । इन मदों की संख्या भी बहुत अधिक है ।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों पर ऋण

3510. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने कुल कितना बाजार ऋण उगाहा है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : जैसाकि 21 अगस्त, 1972 को बाजार ऋणों के संबंध में सभा-पटल पर रखे गए वक्तव्य में बताया गया है वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार लगभग 323 करोड़ रुपये के और राज्य सरकारें लगभग 132 करोड़ रुपये के शुद्ध बाजार ऋण लेंगी ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में मालवीय समिति के सम्पूर्ण प्रतिवेदन का प्रकाशन

3511. **श्री राज राज सिंह देव :**
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में समिति के अध्यक्ष श्री के० डी० मालवीय, संसद-सदस्य के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि समिति के सम्पूर्ण प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जाए जिसमें समिति के निष्कर्षों की गलत जानकारी के कारण आलोचना न हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) सरकार मालविया समिति द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के सारांश को सम्पूर्ण एवं प्रमाणिक समझती है और इस सारांश में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है जो मुख्य रिपोर्ट में निहित निष्कर्षों की गलत जानकारी के कारण आलोचना की जा सके। जहां तक मुख्य रिपोर्ट का सम्बन्ध है यह इस समय सरकार के परीक्षणाधीन है और ज्योंहि इस रिपोर्ट की जांच का कार्य पूर्ण होगा तब सरकार को विभिन्न महत्वपूर्ण सिफारिशों पर अपने विचार, सरकारी उपक्रमों को संसदीय समिति को टीका-टिप्पणी के लिए भेजने पड़ते हैं। सरकारी उपक्रमों की समिति (इस रिपोर्ट पर) टीका-टिप्पणो की प्राप्ति के बाद ही, सरकार रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय ले सकेगो। इन परिस्थितियों में इस रिपोर्ट को प्रकाशित करना जनहित में उचित नहीं समझा गया है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि सरकारी उपक्रमों की समिति ने अभी इस रिपोर्ट के प्रकाशन की अनुमति नहीं दी है।

Work being carried out by O. and N. G. C. on the Western Part of Rajasthan

3512. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the work which was being carried out by the Oil and Natural Gas Commission on the Western part of Rajasthan is at standstill for the last one year ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) and (b). Seismic surveys in the Western part of Rajasthan have been continuing. As regards drilling, the last well completed in that region was at Manhera Tibba and testing of the well was carried out upto the end of October, 1971. Subsequent plans of Oil and Natural Gas Commission were disrupted due to hostilities with Pakistan. With the return of normalcy in that area, the Commission are proceeding with their plan to drill a deep well at Shumarwali Talai. Preparatory steps in this regard are already in progress. These include civil construction works as well as mobilisation of a new heavy Rig which would be used for drilling this well.

Floating of Loan

3513. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government had floated a loan in the market during 1971-72 ;

(b) if so, the amount thereof ;

(c) the amount of interest paid by Government thereon ; and

(d) the total amount of loans which Government had to repay up to 31st March, 1971 ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir. The Central Government had floated market loans thrice-in July, October and December, 1971.

(b) The total subscriptions amounted to Rs. 626.87 crores.

(c) Annual interest on market loans raised last year amounts to Rs. 33.03 crores.

(d) Market loans raised by Central Government outstanding as on 31st March, 1971 amounted to Rs. 4443.71 crores.

Expenditure Incurred on Ashoka Hotel, New Delhi

3514. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred on development, expansion and renovation of Ashoka Hotels Ltd., New Delhi during 1971-72 and current year ;

(b) the total amount of administrative and other expenditure incurred on the said Hotel during 1971-72 ; and

(c) the net income earned by the said Hotel during 1971-72 ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) During 1971-72 and in the current year no expansion of Ashoka Hotel has been made. The expenditure on renovation during 1971-72 was of the order of Rs. 20.84 lakhs and a sum of Rs. 7.91 lakhs has been spent so far during 1972-73 on this account against the programme limit of Rs. 45 lakhs.

(b) and (c). The accounts for the year 1971-72 are under audit. Provisional financial results during 1971-72 are as under :—

Gross Income		Rs. 259.31 lakhs
Administrative and other expenditure (including Development Rebate Reserve of Rs. 2.30 lakhs)	..	Rs. 238.15 lakhs
Profit before tax	..	Rs. 21.16 lakhs

बम्बई में सोने की बिक्री

3515. **श्री पी० के० देव :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत महीने में बम्बई में सोना बेचा गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उसके परिणामस्वरूप सोने चांदी के मूल्यों में भारी कमी हुई ; और

(घ) क्या इस प्रकार की खरीद-फरोख्त का देश की अर्थ-व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). बम्बई के सर्राफा बाजार में मई, 1972 में और जून, 1972 में पहले सप्ताह में जो तेजी से वृद्धि हुई थी, वह मुख्यतः विदेशों में खुले बाजार में सोने के मूल्य के बढ़ने और अंशतः विवाहों के मौसम के दौरान देश में सोने की मांग के सामान्य रूप से बढ़ने के कारण हुई थी। इसके बाद अंशतः देहातों से अधिक आमद होने और अंशतः विदेशों में खुले बाजार में सोने के मूल्य में गिरावट आने के कारण मूल्य कम होने लगे। जुलाई, 1972 में सोने का प्रति 10 ग्राम मूल्य 230.5 रुपये से 235.5 रुपये था और इस महीने में सोने के मूल्यों में जो उतार-चढ़ाव हुआ, वह जून, 1972 में हुए उतार चढ़ाव से कम था।

(घ) सोने के मूल्यों में जो उतार चढ़ाव देखे गए, उनसे देश की अर्थ-व्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा प्रतीत होता है।

ब्रिटेन में रह रहे भारतीय नागरिकों द्वारा अवैध रूप से धन राशि स्वदेश भेजना

3516. **श्री पी० के० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जून, 1972 के इंडियन एक्सप्रेस में "प्लान टु चेनेलाइज स्कीम पोंड" (पोंड को गुप्तरूप से भेजने की योजना) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि देश में अवैध तरीकों से कितनी धनराशि आती है तथा इससे देश को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होती है ;

(ग) क्या ब्रिटेन में भारतीय नागरिकों की एसोशियेशन ने सरकार को एक योजना प्रस्तुत की है जिसके अन्तर्गत भारत को केवल वैध माध्यमों से धनराशि भेजी जाएगी बशर्ते कुछ सुविधायें हो जायें ;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) क्या योजना की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) इस समस्या का स्वरूप ही ऐसा है कि जिसके कारण अवैध लेन-देनों के परिणामस्वरूप देश को होने वाली हानि का कोई अनुमान लगाना कठिन है।

(ग) प्रेस रिपोर्ट में जिस किस्म के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है, उस किस्म का कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को नहीं मिला है।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

एच एस-748 (एवरो) विमान के चलाने से इण्डियन एयरलाइन्स को हुई हानि

3517. **श्री पी० के० देव** :
श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "एवरो के कारण इंडियन एयरलाइन्स को भारी हानि" (हैवी

लोस बाई इंडियन एयरलाइन्स ओन एवरो) शीर्षक के अन्तर्गत 8 जून, 1972 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इंडियन एयरलाइंस को गत दो वर्षों में एच एस-748 के कारण कितनी हानि हुई और उस हानि को किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां। यह ठीक है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिचालन लागतों में वृद्धि के कारण एच० एस०-748 विमान की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन विमानों का निर्माण भारत में ही होता है, अतः इनका पूरा-पूरा उपयोग किया जाना संपूर्ण राष्ट्रीय हित में है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किये जाने वाले परिचालनों की प्रकृति को केवल लाभप्रदता के संदर्भ में ही आंकना उचित नहीं होगा क्योंकि इसे बहुत से मार्गों का यात्री जनता के लिये एक आवश्यक सेवा के रूप में भी परिचालन करना पड़ता है। एच० एस०-748 विमानों का उपयोग आमतौर पर क्षेत्रीय मार्गों पर किया जाता है, जहां किसी भी प्रकार के विमान द्वारा परिचालित किये जाने पर भी प्रायः हानि उठानी पड़ती है।

ईराक द्वारा नेशनल इरानियन कम्पनी के राष्ट्रीयकरण का भारत को अशोधित तेल की सप्लाई पर प्रभाव

3518. **श्री पी० के० देव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान द्वारा नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किए जाने के फलस्वरूप भारत को अशोधित तेल की सप्लाई पर किसी न किसी रूप में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) क्या ईरानियन आयल कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप भारत को विदेशी मुद्रा की बचत होगी और यदि हां, तो कितनी ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) नेशनल इरानियन आयल कम्पनी ईरान में सरकारी क्षेत्र में है। अतः इसके राष्ट्रीयकरण का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति द्वारा की गई सिफारिशें

3519. **चौधरी दलीप सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति ने अपने प्रतिवेदन में संवर्ग बनाने की सिफारिश की थी और कार्यकारी तथा अनुसचिवीय संवर्ग के, अलग-अलग, कृत्य निर्धारित किये थे ;

(ख) क्या इन सभी सिफारिशों को पूरी तरह क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो संक्षेप में उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो अब तक कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ). जी, हां । मांगी गयी सूचना का एक विवरण-पत्र सभापटल पर रख दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3505/72**]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के डिवीजनल कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति

3520. **चौधरी दलीप सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क अनुसचिवीय महासंघ को आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में सभी डिवीजनल कार्यालयों में प्रशासन अधीक्षक के पद अनुसचिवीय पदों पर कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को दिये जायेंगे ;

(ख) क्या यह आश्वासन पूरा किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह आश्वासन कब तक पूरा किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । अधीक्षक (प्रशासन) के सभी पदों को प्रशासन अधिकारी की पद-संज्ञा दे दी गयी है और उनके 75 प्रतिशत पदों को कार्यालयी अधिकारियों के लिये सुरक्षित रखा गया है । शेष 25 प्रतिशत पदों को कार्यकारी अधिकारियों द्वारा भरा जाता है ।

(ख) और (ग). ये सवाल नहीं उठते ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में लेखा परीक्षा पार्टियों का गठन

3521. **चौधरी दिलीप सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग की लेखा परीक्षा पार्टियों का गठन क्या है ;

(ख) क्या लेखा परीक्षा पार्टियों का गठन करते समय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था ;

(ग) क्या लेखा परीक्षण में अनभिज्ञ कार्यकारी अधिकारियों को जो असेसिंग आफिसर भी होते हैं रखा जाता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) लेखा परीक्षा की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के आंतरिक लेखा परीक्षा दलों का पुनर्गठन करते समय भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक से परामर्श किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में लेखा परीक्षा दलों में लेखा-जांचकर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निरीक्षक (सामान्य ग्रेड) तथा (चुनाव

ग्रेड) और कार्यालयी कर्मचारी अर्थात प्रधान लिपिक, अपर श्रेणी लिपिक एवं निम्न श्रेणी लिपिक शामिल होते हैं।

लेखा-जांचकर्ता के 50 प्रतिशत पद केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, के श्रेणी II अधीक्षकों द्वारा भरे जाते हैं। और शेष 50 प्रतिशत पद कार्यालयी अधिकारियों को पदोन्नत करके भरे जाते हैं। दलों की संख्या तथा गठन प्रत्येक समाहर्ता-कार्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार एक समाहर्ता कार्यालय से दूसरे समाहर्ता-कार्यालय में भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) समिति ने लेखा-परीक्षा दलों के गठन के सम्बन्ध में कोई विशेष सिफारिश नहीं की थी। किन्तु, 1966 में आन्तरिक लेखा-परीक्षा दलों का पुनर्गठन करते समय, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के हिसाब-किताब की जांच के लिये समुचित व्यवस्था के निमित्त समिति की सिफारिश को ध्यान में रखा गया था।

(ग) जी, हां।

कार्यकारी अधिकारी इस कार्य से सम्बद्ध होते हैं क्योंकि उत्पादन शुल्क लगने योग्य वस्तुओं के शुल्क-निर्धारण की जांच-पड़ताल का कार्य अत्यन्त पेचीदा होता है और उसमें टैरिफ का पूर्ण ज्ञान तथा कार्यविधि एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। फिर भी, लेखा जांच-कर्ता के 50 प्रतिशत पद कार्यालयीं कर्मचारियों को दिये गये हैं और इसके अतिरिक्त दूसरे कार्यालयी-कर्मचारियों, अर्थात प्रधान-लिपिकों, अपर श्रेणी लिपिकों आदि को भी लेखा-परीक्षा-दलों के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

(घ) लेखा-परीक्षा दलों को अनन्य रूप से सहायक-समाहर्ताओं के नियंत्रण में रखा गया है जिन्हें सीधे समाहर्ताओं के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना पड़ता है।

लेखा परीक्षा के प्रभावकारी कार्य-संचालन के लिये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समाहर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है और उन्हें निर्देश दिये गये हैं कि वे आन्तरिक लेखा-परीक्षा दलों द्वारा उल्लिखित लेखा परीक्षा पैराग्राफों की एवं उनके द्वारा बतायी गयी त्रुटियों की व्यक्तिगत रूप से जांच-पड़ताल करें और शीघ्र एवं समुचित उपचारी उपाय करें। इसके अतिरिक्त, केवल उन्हीं योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों को लेखा-परीक्षा दलों में कार्य करने के लिये चुना जाता है जिन्हें लेखा-परीक्षा कार्य के लिये रुचि हो। ये उपाय स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लेखा परीक्षा की प्राप्ति में पर्याप्त रूप से सहायक सिद्ध होंगे।

(ङ) जी, नहीं।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श नहीं किया गया था, क्योंकि आन्तरिक लेखा-परीक्षा दल मूलतः विभागीय आन्तरिक तंत्र का कार्य करने के लिए होते हैं। तथापि, वह इन दलों के कार्य से अवगत हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखाकारों के अधीन काम करने वाले लेखा-परीक्षा दलों से स्वतंत्र लेखा-परीक्षा करता है।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल का कम आयात और उसका उत्पादन पर प्रभाव

3522. **श्री एम० कतामुतु : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि से सम्बन्धित विदेशी तेल कम्पनियों की मांग

को सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने के निर्णय के बाद भारत स्थित विदेशी कम्पनियों ने अशोधित तेल का कितना कम आयात किया है; और

(ख) इसका तेल शोधक कारखानों के कार्य तथा उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) तीनों विदेशी तेल कम्पनियों की मूल्य में वृद्धि करने सम्बन्धी मांग को सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने के परिणामस्वरूप, तीनों विदेशी तेल कम्पनियां वर्ष 1972 के दौरान कुल मिला कर अनुमानतः 637,000 मीटरी टन कच्चे तेल का कम आयात करेगी।

(ख) विदेशी तेल कम्पनियों की तीन शोधनशालाएं अपने सामान्य स्तरों की तुलना में कम क्रूड थ्रूपुट स्तरों पर कार्य करेंगी, जैसा कि निम्नलिखित है—

शोधनशाला	सामान्य परिचालन स्तर प्रतिवर्ष मिलियन टन क्रूड चालन पर	1972 के लिये क्रूड चालन प्रति वर्ष मिलियन टनों में
बर्मा-शैल	3.75	3.460
एस्सो	2.72	2.486
कोरिल	1.25	1.137

तेल उत्पादों के उत्पादन में इसके तदनुरूप कमी होगी। इसे आयात से पूरा किया जायगा।

विमान दुर्घटनाओं के मामले में शवों की पहचान कार्य के लिए लागू की गई आधुनिक पद्धतियां

3523. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पर्यटन और नगर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में दिल्ली के निकट हुई जापान एयरलाइंस की विमान दुर्घटना में दुर्घटना-ग्रस्त व्यक्तियों के कितने शवों की पहचान कर ली गई है और शेष कितने शवों की पहचान की जानी है ;

(ख) क्या पहचान प्रयोजनों के लिये कोई अपराध-विज्ञान पद्धति लागू की गई है ;

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित अपराध विज्ञान विशेषज्ञों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार विमान दुर्घटना के मामले में पहचान कार्य में सहायता करने के लिये दन्तविज्ञान तथा विज्ञान के अन्य क्षेत्रों से सम्बद्ध अपराध-विज्ञान विशेषज्ञों की कोई तालिका रखती है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मृत 86 व्यक्तियों में से 58 के शव पहचान लिये गये थे।

(ख) यद्यपि शेष शवों की भी शनाख्त करने की हर कोशिश की गयी। उनकी हालत ऐसी थी कि अपराध-विज्ञान विशेषज्ञों (फोरेंजिक एक्सपर्ट्स) को नहीं बुलाया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

हल्दिया-बरौनी-कानपुर तेल पाइप लाइन का पश्चिमी तट तक बढ़ाया जाना

3524. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया-बरौनी-कानपुर तेल पाइपलाइन को पश्चिमी तट तक बढ़ाने की कोई परियोजना लागू की जा रही है ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ख) क्या उत्तर भारत में एक तेल शोधक कारखाने के लिए उत्तर प्रदेश में मथुरा को उपयुक्त स्थान चुनते समय उक्त परियोजना को ध्यान में रखा गया था ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). जी नहीं। कच्छ की खाड़ी से मथुरा तक की प्रस्तावित पाइपलाइन की जरूरत मथुरा स्थित शोधनशाला में शोधन के लिये आयातित कच्चा तेल ले जाये जाने के लिये है। हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाइन का बरौनी-कानपुर खण्ड बरौनी शोधनशाला के उत्पादकों को उपभोग करने वाले केन्द्रों तक ले जाने के लिये उत्पाद पाइपलाइन है।

आयकर विभाग में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारी

3525. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से 1972 के दौरान प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च को प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के आयकर अधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्होंने 1 अगस्त, 1972 को क्रमशः दो वर्ष, पांच वर्ष तथा दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है; और

(ग) 1 अगस्त, 1972 को अधिकारियों के दोनों वर्गों में ला एण्ड एकाउन्टेंसी डिग्री धारी, दो विषयों में स्नातक तथा मास्टर डिग्री धारी व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायगी।

लघु आय वर्ग द्वारा अदा किये जाने वाले आयकर के निर्धारण के लिये योजना

3526. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर विभाग के लेखों का परीक्षण किये बिना लघु आय वर्ग के लिए आयकर निर्धारण की योजना को कब लागू किया था ;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए लघु आय वर्ग की परिभाषा क्या है और क्या इस परिभाषा में समय-समय पर परिवर्तन किया जाता रहा है ; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1971-72 में 15,000 रुपये से 25,000 रुपये और 25,001 रुपये से 50,000 रुपये तक की आय में लेखों के परीक्षण किये बिना कितने आयकर निर्धारण पूरे किये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) लघु आय के मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए जनवरी, 1964 में कार्यकारी अनुदेशों द्वारा एक योजना चालू की गई थी। बाद में, प्राप्त अनुभव के आधार पर, इसे सांविधिक रूप देना उचित समझा गया और एतदनुसार आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 143 (1) में 1 अप्रैल 1971 से संशोधन किया गया जिसके अन्तर्गत एक व्यापक योजना लागू की गई जिसे सामान्यतः संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना के नाम से जाना जाता है।

(ख) लघु आय-कर-निर्धारण योजना पहले 1964 में तैयार की गई थी और 1967 में उसका आगे विस्तार किया गया। इस योजना के अन्तर्गत जिस प्रकार के मामले निपटाये जाते थे, उनका उल्लेख अनुबंध "क" में किया गया है।

जहां तक मौजूदा "संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना" का संबंध है, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ने अनुदेश जारी किये हैं कि ऐसे मामलों को छोड़ कर जो अनुबन्ध "ख" में दिये गये हैं, शेष मामले इसके अन्तर्गत आएंगे।

(ग) लघु आयकर-निर्धारण योजना के स्थान पर "संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना" 1 अप्रैल 1971 से लागू की गई थी। इस "संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना" के अधीन, वित्तीय वर्ष 1971-72 में कर-निर्धारण के 23,11,638 मामले निपटाये गये। संक्षिप्त कर-निर्धारणों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1971-72 में पूरे किये गये कर-निर्धारणों में 15,000 रु० से 25,000 रु० तक और 25,001 रु० से 50,000 रु० तक के आय-वर्ग के संबंध में अलग-अलग संख्या की सूचना खातों की जांच किये बिना उपलब्ध नहीं है और इसे इकट्ठा करने में बहुत अधिक समय लगेगा।

विवरण

"लघु आय कर-निर्धारण योजना" के अन्तर्गत आने वाले मामले :—

(i) जिन मामलों में विवरणी में दिखाई गई आय 10,000 रु० अथवा उससे कम (बम्बई और कलकत्ता नगरों के मामलों में 15,000 रु० अथवा उससे कम) थी। किन्तु, जहां किसी मामले में एक से अधिक कर-निर्धारण अनिर्णीत पड़े थे और इन वर्षों में से किसी वर्ष में विवरणी में दिखाई गई आय, यथास्थिति, 10,000/15,000 रु० से अधिक थी, वहां वह मामला इस योजना की परिधि में नहीं आता था।

(ii) सर्वेक्षण के दौरान प्रकट नये मामले जिनमें सम्पत्ति में निवेश नहीं किया गया था और जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते थे :—

(क) आयकर निरीक्षक द्वारा लगाया गया आय का अनुमान 12,500 रु० से कम था ; और

(ख) नियोजित कुल पूंजी जिसमें उधार ली गई पूंजी भी शामिल थी, 20,000 रु० से अधिक नहीं थी।

(iii) ऐसी पंजीकृत फर्मों के मामले जिनमें चार या चार से अधिक भागीदार थे और जहां वर्ष की विवरणी में दिखाई गई कुल आय 20,000 रु० अथवा उससे कम थी और पिछली निर्धारित आय 20,000 रु० से अधिक नहीं थी तथा जहां अनिर्णीत पड़े कर निर्धारणों में से किसी में भी विवरणी में दिखाई गई आय 20,000 रु० से अधिक नहीं थी।

(iv) भागीदारों के मामले जहां विवरणी में दिखाई गई कुल आय 10,000 रु० (बम्बई और कलकत्ता के मामले में 15,000 रु०) से कम थी।

(v) सरकारी बेतन संबंधी सभी मामले भले ही उनमें विगत समय में विवरणी में आय कुछ भी दिखाई गई अथवा निर्धारित की गई थी।

(vi) गैर सरकारी वेतन संबंधी सभी मामले जिनमें आय 18,000 रु० से कम थी।

निम्नलिखित प्रकार के मामलों पर यह योजना लागू नहीं थी :—

(1) सभी कम्पनी मामले।

(2) हानि दिखाने वाली विवरणियां।

(3) महिलाओं तथा नाबालिग बच्चों द्वारा स्वेच्छा से दाखिल की गई विवरणी संबंधी मामले।

(4) ऊपर (3) से भिन्न मामलों में कर-निर्धारण के प्रथम वर्ष में स्वेच्छा से दाखिल की गई विवरणियां।

(5) ऐसे मामले जिनमें कर-अपवंचन के विशिष्ट आरोप अन्तर्ग्रस्त थे अथवा जिनमें कर-निर्धारण अधिकारी की सूचना के अनुसार कर-अपवंचन का संदेह था ?

"संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना" के अन्तर्गत निम्नलिखित को छोड़कर अन्य मामले शामिल किए जा सकते हैं :—

(i) बम्बई, मद्रास, गुजरात, दिल्ली और कलकत्ता के नगर कार्य-क्षेत्रों के मामलों को छोड़कर, सभी कम्पनी मामले उक्त नगर कार्यक्षेत्रों के मामलों में आयकर आयुक्त अपने विवेकानुसार ऐसे कम्पनी मामलों को छोड़ सकते हैं जिनको वे उचित समझें।

(ii) बम्बई और कलकत्ता के नगर कार्य-क्षेत्रों के मामलों को छोड़कर, श्रेणी 1 के सभी कर-निर्धारण उक्त नगर-कार्य क्षेत्रों में श्रेणी 1 के केवल वे कर-निर्धारण जिनमें चालू वर्ष में अथवा पूर्ववर्ती दो वर्षों में से किसी एक वर्ष में विवरणी में दिखाई गई निर्धारित आय 50,000 रु० और उससे अधिक हो। लेकिन अन्य कार्य-क्षेत्रों के लिए आयुक्तों को 25,000 से 50,000 रु० तक की विवरणी में दिखाई गई। निर्धारित आय वाले श्रेणी 1 के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध में सीमा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ; सुस्पष्ट सीमा इस इंगित कोष्ठक के बीच कहीं भी रखी जा सकती है।

(iii) उनकी श्रेणी का ध्यान रखे बगैर ऐसे सभी मामले जिनमें व्यापार में 10,000 रु० अथवा उससे अधिक की हानि ग्रस्त हो, चाहे अन्य मदों के अन्तर्गत आय में से ऐसी हानि मुजरा करने के बाद कुल आय धनात्मक हो।

(iv) पहले साल के कर-निर्धारण के ऐसे मामले, (प्रत्यक्ष वापसी के मामलों सहित) जिनमें, (वेतनों को छोड़कर अन्य स्रोतों से) आय 2,000 रु० से अधिक हो। इनमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं जिनमें यह जानकारी है कि 25,000 रु० से अधिक की पूंजी नियोजित है।

(v) वे मामले जो ऐसे मामलों के समूह का एक भाग हैं, जिनमें कर-अपवंचन को खोज करने के लिए किसी कारण से विस्तृत जांच-पड़ताल जरूरी समझी गई हैं ।

(vi) वे मामले, जिनमें विशिष्ट आरोप/सूचना इस बारे में प्राप्त हुई थी ।

(क) कर अपवंचन जिसमें 25,000 रु० से अधिक की छिपी आय शामिल है ; और

(ख) अचल सम्पत्तियों, शेयरों प्रतिभूतियों, जमा आदि में 25,000 रु० से अधिक का नया निवेश हुआ हो और जो प्रारंभिक जांच के बाद प्रथम-दृष्ट्या सही प्रतीत हो ।

(vii) ऐसे सभी मामले पुनः कर-निर्धारण के उद्देश्य से धारा 147 के अधीन फिर भी चालू किए गए हैं ।

(viii) न्यासों के सभी मामले ।

(ix) ऐसे मामले जिनमें निर्धारितियों ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35डी और 35ई के अधीन परिशोधन खर्चे का दावा किया हो, और/अथवा नये संस्थापित उपक्रमों अथवा जल-पोतों या होटल व्यवसाय से होने वाले लाभों और प्राप्तियों के सम्बंध में धारा 80 जे० के अधीन कटौती का दावा किया हो ।

(x) ऐसे मामले जहां एक साल में बेची गयी पूंजीगत परिसम्पत्तियों का मूल्य 50,000 रु० से अधिक हो ।

(xi) ऐसे वेतन मामले जिनमें किसी वर्ष के लिए निर्धारिती की आय की विवरणी में दर्शित और पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित वेतनेतर लाभों के मूल्य के बीच 1,000 रु० या उससे अधिक का अन्तर हो ।

Capital of Life Insurance Corporation of India

3527. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of initial capital of Life Insurance Corporation ; and

(b) the number of shares of various kinds purchased by the Life Insurance Corporation and the amount of capital invested thereon during the last three years ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) The Life Insurance Corporation of India was provided with a sum of rupees five crores as original capital by the Central Government under Section 5 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

(b) **Year**	**No. of shares**	**Book Value**
1969-70		Rs.
Preference shares	16,67,497	1,15,40,411
Equity shares	9,54,439	5,04,07,820
Total	26,21,936	6,19,48,231

1970-71		
Preference shares	1,92,223	1,65,20,698
Equity shares	14,98,490	3,80,52,344
Total	16,90,713	5,45,73,042
1971-72		
Preference shares	2,57,604	1,57,69,763
Equity shares	33,77,867	6,21,63,568
Total	36,35,471	7,79,33,331

Violation of Indian Border by Pakistani Troops

3528. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state whether any incident of violation of Indian border or shelling by the Pakistani troops after the Simla Agreement has taken place ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Between 2nd July 1972 when the Simla agreement was signed and 18th August, 1972, there were 5 cases of firings and 16 cases of minor violations by Pak troops along our Western borders.

Working Capacity of Banks

3529. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether working capacity of banks has gone down considerably and indiscipline has increased thereafter their nationalisation ; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). It would not be correct to say that working capacity of banks has gone down considerably, as the banks have been able to open a large number of branches and have done well in mobilising deposits and extending credit to hitherto neglected sectors. Government, however, are aware that there is scope for improvement in the services rendered by nationalised banks and it has been Government's constant endeavour to bring about this improvement by promoting industrial peace and better relations between employees and management of the nationalised banks.

Sharing expenditure of Pak POWs by Bangladesh

3530. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government of Bangladesh have agreed to share a part of the expenditure being incurred by India on Pakistan Prisoners-of-war ; and

(b) if so, the broad outlines of the agreement ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). No discussions have so far taken place between Bangladesh and India on the question of sharing the expenditure being incurred on Pakistani Prisoners of War.

Grant of Agencies of Petroleum Pumps and Gas to unemployed Engineers in Bihar

3531. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the number of unemployed Engineers in Bihar who have applied for agencies of petrol pumps and gas and the number of those who have been granted the agencies ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : The requisite information is being ascertained and will be placed on the Table of the House.

Bungling in the name of student concession by a local booking Agency of Indian Airlines

3532. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Deputy Traffic Manager of the Western Zone of the Indian Airlines (Indore) has lodged a report with the Police about bungling in the name of student concession by a local booking agency of the Airlines ;

(b) the facts of the case ; and

(c) further action taken by Government so far in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The handling agents of Indian Airlines lodged a complaint with the local police against their staff who were alleged to have indulged in undesirable activities.

(b) A complaint was received by the Bombay Regional authorities of Indian Airlines from a passenger that though he had purchased a ticket for a journey from Indore to Delhi from the agent at the full fare, his information was that only half the amount was to be credited to Indian Airlines i. e. at the rate for student concessional fare. The Deputy Commercial Manager of Bombay Region who investigated the matter, met the passenger and also verified from the records that the allegation was correct. An audit team was also sent to Indore to examine the working of the Agency. Their interim report indicated certain malpractices by the agents.

(c) Indian Airlines are conducting a detailed investigation. In the meanwhile Indian Airlines have discontinued business with the agent.

Assessment of Income-tax against Rolling Mills

3533. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7539 on the 26th May, 1972 and state :

(a) the reasons for making Income-tax assessment in respect of two rolling mills in Amritsar and Calcutta while both of them are functioning in Indore and the reasons for not making Income-tax assessment in respect of the remaining two rolling mills and the names of those mills ; and

(b) the time by which Income-tax assessment in respect of these two unassessed rolling mills would be made ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). The two rolling mills belonging to M/s. Hindustan Forgings and M/s. Purshottom Traders (P) Ltd. are assessed at Amritsar and Calcutta respectively as the Head Offices are located at these places.

The other two rolling mills belong to M/s. Steel Industries and M/s. New Shakti Iron and Steel Re-Rolling Mills. The income-tax assessments in their cases will be completed as soon as the investigations of the sources of their investments are completed.

New Scheme for Depositors Formulated by State Bank of India

3534. **Shri Phool Chand Verma ;** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the State Bank of India has formulated a new Scheme according to which the depositor would not have to pay additional service charge for the period for which action is delayed by bank employee ; and

(b) if so an outline of the new scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Allotment of land to Ex-servicemen on Priority basis by States

3535. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state whether there is any State which has not taken any action with regard to the allotment of land to the ex-servicemen on priority basis, and if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Allotment of land is made by State Governments under their respective laws/rules. According to the information available with the Government, except a few newly formed States for which information is not readily available, all States are allowing concessions in some form or other to ex-servicemen for allotment of land. This matter is pursued with the State Governments from time to time so that maximum benefits accrue to ex-servicemen.

Nature and Quantity of War Material Captured during recent War

3536. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the nature and quantity of war material captured by the Indian troops during the recent Indo-Pak war ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : It will not be in public interest to disclose this information.

लुधियाना से नई दिल्ली तक विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव

3537. **श्री मान सिंह भौरा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना से नई दिल्ली तक विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो नई सेवा कब तक आरम्भ कर दी जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइंस ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भटिंडा, पंजाब में हवाई-अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव

3538. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा (पंजाब) में हवाई-अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप-रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भटिंडा (पंजाब) में छावनी के लिए भूमि अर्जन और भू-स्वामियों को दिया गया मुआवजा

3539. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा, पंजाब में छावनी बनाने के लिए भूमि अर्जित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है और मालिकों को किस दर पर मुआवजा दिया गया है ; और

(ग) क्या कुछ भू-स्वामियों की उनकी भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया और यदि हां, तो विलम्ब के क्या करण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

कृषि योजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

3540. **श्री भान सिंह भौरा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने यह शिकायत की है कि कृषि विकास के लिए विश्व बैंक की ऋण संबंधी शर्तें तथा इस ऋण से संबद्ध वित्तीय अनुशासन भारत की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर विश्व बैंक से लिखा पढ़ी की है;और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) कुछ राज्य सरकारों ने विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त

ऋण परियोजनाओं पर लागू होने वाली ऋण संबंधी शर्तों में कुछ संशोधन किए जाने के बारे में सुझाव दिए हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विश्व बैंक ने कुछ सुझाव स्वीकार कर लिए हैं और अन्य विचाराधीन हैं ।

तेल क्षेत्रों से निकाले जा सकने वाले तेल की मात्रा

3541. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में तेल क्षेत्रों में से कुल कितना तेल निकाला जा सकता है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : 1-1-72 को भारत के तेल क्षेत्रों में से कुल लगभग 114.3 मिलियन मीटरी टन तेल निकाले जाने का अनुमान था ।

पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों पर हुए व्यय का पाकिस्तान द्वारा भारत को भुगतान

3542. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री के० सूर्यनारायण :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जेनेवा समझौते के अनुसार पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों पर भारत द्वारा किए गए खर्च का भुगतान उनकी वापसी पर पाकिस्तान द्वारा किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जेनेवा समझौता के अधीन भरण-पोषण तथा चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क देनी होती हैं तथापि, सैनिक और अर्ध सैनिक कार्मिकों को अग्रिम रूप से दिया गया मासिक वेतन युद्ध के पश्चात्, पक्षों के बीच किए गये प्रबन्धों का भाग बन सकता है । जिस समय युद्ध-बन्दियों की स्वदेश वापसी पर विचार होगा तब यह प्रश्न उठाया जायेगा ।

रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति से गुमशुदा सैनिक कर्मचारियों के बारे में सूचना

3543. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति से उन 1,006 गुमशुदा सैनिक तथा पैरा-सैनिक कर्मचारियों के बारे में कोई सूचना मिली है, जिनकी सूचियां इस समिति को पाकिस्तानी प्राधिकारियों की सहायता से जांच-पड़ताल के लिए भेजी गई थीं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : कुल 1,006 कार्मिकों में से 638 की जो कि युद्धबन्दी हैं सूचियां रेडक्रास के अन्तर्राष्ट्रीय समिति के माध्यम से प्राप्त हुई थीं । इस प्रकार से, केवल शेष कार्मिकों को ही खोया हुआ मानना पड़ेगा । रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति को खोए हुए कार्मिकों की स्थिति जानने का अनुरोध किया गया था, परन्तु वे अभी तक कोई सूचना एकत्र तथा भेज नहीं सके हैं ।

बैंकों में जमा राशियों में वृद्धि

3544. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत ढाई वर्षों में, राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशियों में क्षेत्रवार कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सितम्बर 1969 से मार्च 1972 तक की अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशियों में होने वाली क्षेत्रवार वृद्धि का विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3506/72**]

स्टेट बैंक आफ इंडिया जबलपुर की सिविल लाइंस शाखा से लापता धन राशि

3545. **श्री अरविंद नेताम** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, जबलपुर के सिविल लाइन्स शाखा कार्यालय से हाल में 10,000 रुपयों का एक बण्डल लापता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक उसका कोई सुराग मिला है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने सूचना दी है कि 28 जुलाई, 1972 को जबलपुर में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सिविल लाइन्स शाखा के टैलर काउंटर से 10 रुपये के मूल्य के मुद्रा नोटों का एक बण्डल जिनमें 10,000 रुपये थे लापता हो गया था।

(ख) मामले की सूचना पुलिस को दे दी गयी है जो अभी तक जांच कर रही है।

जापान से प्राप्त नौवें "येन" ऋण अवधि बढ़ाने के लिये करार

3546. **श्री अरविंद नेताम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को जापान से प्राप्त नौवें 'येन' ऋण की अवधि बढ़ाने के लिए जापान और भारत के बीच करार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). नौवें येन ऋण करार में ऋण की अन्तिम तारीख 31 जुलाई 1972 निश्चित की गयी थी। चूंकि इस ऋण के अन्तर्गत अधिसूचित दो संविदाओं के अधीन लादानों और भुगतानों को उस तारीख तक पूरा किये जाने की संभावना नहीं थी इसलिए 29 जुलाई 1972 को, भारत और जापान के बीच एक संशोधित ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये जिसके अनुसार उक्त संविदाओं की अन्तिम तारीखें बढ़ा दी गयी हैं।

इन संविदाओं में से एक संविदा, भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम (प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०) द्वारा शक्ति चालित टिलर पैक आयात किये जाने के लिए है। तथा दूसरा, बंगलौर स्थित घड़ी कारखाने का विस्तार करने और कश्मीर में एक नया घड़ी कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से मैसर्स एच० एम० टी० बंगलौर के लिए मशीनों और

उपकरणों के आयात के लिए है। उन दोनों संविदाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले भुगतानों की अन्तिम तारीखें बढ़ाकर क्रमश: 31 दिसम्बर, 1972 और 31 दिसम्बर, 1973 कर दी गयी हैं।

Embezzlement Cases and Loans Written off in Nationalised Banks

3547. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of cases of embezzlement and the number of cases in which loans have been written off by the Nationalised Banks in Gaya District and the loss sustained by Government on this account ; and

(b) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Reasons for not Disposing of Pending Cases of Income-tax

3548. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question 1834 on the 11th August, 1972 regarding the pending cases of Income-tax and state the reasons for which the pending Income-tax cases could not be disposed of ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The Income-tax Department are keeping a close watch over the pendency of Income-tax assessments and constant endeavours are being made to reduce the pendency. The measures taken recently in this behalf have been outlined in the reply given to the Unstarred Question No. 1834 in the Lok Sabha on the 11th August, 1972.

2. The principal reason for large pendency of Income-tax assessments in the past was the inadequacy of the number of Income-tax Officers for coping with the volume of assessments according to the then prevailing procedure of detailed scrutiny with hearing in most cases. This procedure has since been modified with effect from 1.4.1971 to enable the Income-tax Officers to complete the assessments expeditiously in a summary manner in bulk of smaller income cases, without requiring the assessees concerned to be present or to produce accounts etc.

3. As indicated in the above-noted reply to the Unstarred Question No. 1834 in Lok Sabha on the 11th August, 1972, in view of the summary assessment procedure and other measures taken, the disposal of Income-tax assessments in 1971-72 showed considerable improvement over the preceding year's output and the arrear assessments carried forward after 1971-72 were appreciably less than those carried forward after 1970-71.

Proposal to Develop Buddhist Centres in Bihar from Tourist Point of view

3549. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to save religious rocks from decay and to develop the Buddhist centres in Bihar from tourist point of view ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). It

is proposed to develop the Bodhgaya-Rajgir-Nalanda complex in Bihar during the Fourth Plan period. A sum of Rs. 13 lakhs has been released for the acquisition of 22 acres of land around the Mahabodhi Temple at Bodhgaya and a master plan will be prepared for the development of this area as soon as the land is transferred by the State Government. Other facilities proposed are the construction of a cafetaria at Rajgir and Nalanda.

Proposal to Reduce the Age Limit for Recruitment of Pilots in Air India and Indian Airlines

3550. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Birender Singh Rao :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have considered any proposal to reduce the age limit for recruitment of Pilots in Air India and Indian Airlines ; and

(b) if so, the broad outlines of the proposal and the decision of Government thereon ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). In Air-India, the minimum age for recruitment of pilots is 26 years and the maximum 35 years, relaxable in exceptional cases upto 37 years. Indian Airlines advertised for some posts of pilots in January, 1972 and the following age limits were prescribed :

28 years as on 1.1.1972 relaxable by 5 years for Scheduled Castes/Tribes candidates, and by 3 years in the case of candidates continuously employed as pilots during the last three years. On reconsideration, Indian Airlines prescribed the following age limits :

30 years as on 1.1.1972 relaxable by 5 years for Scheduled Castes/Tribes candidates and ex-Defence Services personnel, and by 3 years in the case of candidates continuously employed as pilots during the last three years.

विदेशों में जाने वाले छात्रों को विदेशी मुद्रा का नियतन

3551. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में उच्च अध्ययन प्राप्त करने के लिये विदेशों में गए छात्रों को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने राज्य वार कितनी धन राशि दी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : छात्रों के उच्च अध्ययन के बारे में आकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते। एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अप्रैल, 1970 से मार्च, 1972 तक की अवधि में जारी किये गये कुल अनुज्ञापत्रों की संख्या तथा देशवार जारी की गयी विदेशी मुद्रा का ब्यौरा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, शिक्षा सम्बन्धी कुछ स्थूल मानदण्डों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक आवेदन पत्र पर अलग-अलग विचार करता है और जो छात्र उन अपेक्षाओं को पूरा करते हैं उनके लिए विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी जाती है। शक्षणिक प्रेषणाओं (रेमिटेन्स) से सम्बन्धित नीति का समुचित प्रचार भी समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी करके किया जाता है। शैक्षणिक प्रेषणाओं से सम्बन्धित सामान्य नीति को दृष्टिगत रखते हुए, राज्यवार आंकड़े इकट्ठे करने में जितना प्रयास करना पड़ेगा उसका परिणाम उसके अनुरूप नहीं होगा।

विवरण

विदेशों में अध्ययन करने/प्रशिक्षण करने के लिए विदेशी मुद्रा दिए जाने के सम्बन्ध में जारी किए गए अनुज्ञापत्र तथा दी गयी विदेशी मुद्रा

अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 तक

क्रम सं०	देश का नाम	जारी किये अनुज्ञापत्रों की कुल संख्या	दी गयी कुल विदेशी मुद्रा (हजार रुपयों में)
1	2	3	4
1.	ब्रिटेन तथा यूरोप	1196	6710
2.	संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा	3754	100344
3.	अन्य देश	358	2616
	जोड़	5308	109670

अप्रैल, 1971 से मार्च, 1972 तक

1.	ब्रिटेन तथा यूरोप	1050	5249
2.	संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा	1834	39030
3.	अन्य देश	267	1414
	जोड़	3151	45693

राष्ट्र संघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की बैठक

3552. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र संघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की हाल में हुई बैठक में चिली ने यह सुझाव दिया था कि उन कम्पनियों के कार्यों को नियमित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय आधार संहिता बनाई जाये जिनका कार्य विदेशों में भी फैला हुआ है तथा अपने देशों को छोड़कर अन्य देशों में आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक और सामाजिक परिषद् के 53 वें सत्र में चिली ने यह सुझाव दिया था कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों,

विशेषकर अपने देश से बाहर कारबार करने वाली कम्पनियों के कार्यकलापों का इस प्रकार अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे उनके लिए संभावित विनियमों का एक ढांचा तैयार किया जा सके। संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक और सामाजिक परिषद् ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया था जिसमें चिली द्वारा दिये गये सुझाव को क्रियान्वित करने के लिए विशेषज्ञों का एक अध्ययन दल नियुक्त करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार का अध्ययन दल, चिली द्वारा प्रस्तावित मसले पर उपयोगी सूचना इकट्ठी कर सकेगा।

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती और क्षेत्रीय असंतुलनों तथा जातिगत नामों को हटाना

3553. **श्री समर गुह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969-71 की अवधि में स्थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के लिए राज्य-वार कुल कितनी भर्ती की गई ;

(ख) इस अवधि में स्थल सेना, नौ सेना और वायु सेना में प्रशिक्षणार्थ कितने अधिकारी राज्यवार भर्ती गए ;

(ग) स्थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के भर्ती केन्द्र कौन कौन से हैं तथा इन तीनों सेनाओं के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण केन्द्र कौन कौन से हैं ;

(घ) रक्षा सेनाओं के लिए भर्ती के मामले में क्षेत्रीय असन्तुलनों के क्या कारण हैं और इन्हें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ङ) सेना की विभिन्न यूनिटों के क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक तथा अन्य जातिगत नाम हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता में अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्देशीय हवाई अड्डों की बिगड़ती हुई स्थिति

3554. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने कलकत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्देशीय हवाई अड्डों और एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स की सेवाओं और अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों की सेवाओं की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में उनसे गत मास बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने क्या-क्या प्रश्न उठाये और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार के वाणिज्य, उद्योग और पर्यटन मंत्री श्री तरुण कांति घोष पर्यटन और नागर विमानन मंत्री से दिल्ली में 27 जुलाई, 1972 को मिले तथा उनके साथ नागर विमानन और पर्यटन के मामलों व

कलकत्ता विमान क्षेत्र की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। इस समय एयर-इंडिया कलकत्ता से होते हुये पश्चिमी-दिशा में प्रति सप्ताह दो अन्तर्राष्ट्रीय और पूर्वी-दिशा में प्रति सप्ताह तीन अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन करती है। 29 अक्तूबर, 1972 से पश्चिम और पूर्व दोनों दिशाओं में प्रति सप्ताह कलकत्ता से गुजरने वाली तीन-तीन उड़ानों का परिचालन होने लगेगा। इनके अतिरिक्त, एयर-इंडिया 3 नवम्बर, 1972, से एक नई उड़ान चालू करेगा जोकि कलकत्ता से प्रारम्भ होकर लन्दन में समाप्त होगी। दिल्ली और कलकत्ता के बीच इण्डियन एयर लाइन्स की सेवाओं को सुदृढ़ करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में हल्दिया पत्तन पर पेट्रो-रसायनिक परियोजनाओं के निर्माण तथा विकास की स्थिति

3555. **श्री समर गुह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में हल्दिया पत्तन पर पेट्रो-रसायनिक परियोजनाओं का निर्माण तथा विकास किस स्थिति में है ;

(ख) ये परियोजनाएं कब पूरी हो जायेंगी और चालू हो जायेंगी ; और

(ग) इनकी उत्पादन क्षमता और रोजगार-क्षमता कितनी-कितनी होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). चौथी योजना अवधि में हल्दिया में एक पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु सरकार ने नवम्बर, 1971 में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा हल्दिया पर एक उर्वरक प्रायोजना की स्थापना का अनुमोदन किया था। इस प्रायोजना में प्रति वर्ष 3,79,000 मीटरी टन नाइट्रोफास्फेट उर्वरक, 1,65,000 मीटरी टन यूरिया उर्वरक, 60,000 मीटरी टन सोडा राख और 41, 250 मीटरी टन मेथानोल का उत्पादन निहित है। इस प्रायोजना पर लगभग 88 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस प्रायोजना के कार्यन्वयन से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य हो रहे हैं। इन प्रारम्भिक कार्यों में प्रक्रिया जानकारी के लिए विदेशी पार्टियों के साथ लाइसेन्स करारों तथा डिजायन इन्जीनियरिंग के लिए संविदा का निष्पादन एवं उपकरण और मशीनरी की सप्लाई सम्मिलित है। राज्य सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम को कारखाने के लिए भूमि सौंप दी है और सीमा-दिवार एवं नल कूपों के लिए टैण्डर मांगे गए हैं। प्रायोजना के 1975 के मध्य तक पूरे होने की आशा है। इस प्रायोजना में काम करने के लिए लगभग 1400 व्यक्तियों की नियुक्ति का अनुमान है।

नया छोर में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाना और उससे दो जवानों की मृत्यु

3556. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 1972 के "मदरलैण्ड" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 29 जुलाई, 1972 को नया छोर में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर गोली चलाये जाने से दो जवान मारे गये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् । माननीय सदस्य का ध्यान प्रधान मन्त्री द्वारा 31 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर सदन में बहस के दौरान इस विषय पर टिप्पणी की ओर दिलाया जाता है ।

कलकत्ता से सिलिगुड़ी जाने वाले विमानों की समय-सारणी

3558. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता (दमदम) और सिलिगुड़ी (बागडोगरा) के बीच आने-जाने वाले विमानों द्वारा किसी समय-सारणी का पालन नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मार्ग पर उड़ानों की 15 जून, 1972 को इंडियन एयरलाइन्स द्वारा परिचालित समय-सारणी का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). दुर्भाग्यवश इस मार्ग पर इन्जीनियरी कठिनाइयों, खराब मौसम आदि के कारण विलम्ब हुये हैं । क्योंकि एक ही विमान द्वारा अनेक सेवायें परिचालित की जाती हैं, अतः एक सेक्टर में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप प्रायः सारी की सारी लाइन में विलम्ब हो जाते हैं ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स विलम्ब के कारणों पर कड़ी निगाह रख कर और जहां कहां सम्भव होता है उपचारी कार्यवाही द्वारा स्थिति को सुधारने के समग्र प्रयत्न कर रही है ।

डमडम से बागडोगरा तक की उड़ानें समय-सारणी के अनुसार न होने के कारण दार्जिलिंग और नेपाल जाने वाले यात्रियों को असुविधा

3559. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डमडम से बागडोगरा तक की उड़ानें नवीनतम 15 जून, 1972 की समय-सारणी के अनुसार निर्धारित समय पर न होने के परिणामस्वरूप दार्जिलिंग और नेपाल और अन्य स्थानों को जाने वाले यात्रियों को भारी असुविधा होती है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). यात्रियों को इस सेक्टर पर इंजीनियरी दोषों, प्रतिकूल मौसम आदि के परिणामस्वरूप हुई देरियों से असुविधा का सामना करना पड़ा है । इंडियन एयरलाइंस को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । वह देरी के कारणों पर कड़ी निगरानी रखकर तथा जहां सम्भव हो उपचारी कार्यवाही करके स्थिति में सुधार करने के भरसक प्रयत्न कर रही है ।

एकाधिकार आयोग का कार्यकरण

3560. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने एकाधिकार आयोग के कार्यकरण की इसके गठन से अब तक जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनियमिततायें पाई गई हैं ; और

(ग) इस आयोग के कार्यकरण की त्रुटियों के सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जायेंगे ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत, 1 जून, 1970 से 31 दिसम्बर, 1971 की अवधि तक की वार्षिक रिपोर्ट, संसद के सम्मुख यथा शीघ्र प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे का परीक्षण

3561. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के लेखे की परीक्षा का कार्य कुछ फर्मों के हाथ में केन्द्रित होने के बारे में हुई तीव्र सार्वजनिक आलोचना के बारे में सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का लेखा परीक्षण करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कुछ शास-प्राप्त लेखाकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लेखा-परीक्षा कार्य के कुछ फर्मों के हाथ में संकेन्द्रण के विषय में शिकायत कर रहे हैं ।

सरकारी कम्पनियों के लेखा-परीक्षक नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के सिफारिश पर नियुक्त किये जाते हैं । नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का कथन है कि यह कार्य, अधिक से अधिक सदस्य फर्मों में, उपक्रम की प्रकृति, इसकी स्थिति, शास-प्राप्त लेखाकारों की फर्म के कार्यालय की स्थिति, उनकी संगठनात्मक शक्ति, अनुभव इत्यादि को ध्यान में रखकर वितरित किया जाता है । उन्होंने पुनः कहा है कि सरकारी कम्पनियों और निगमों से कार्यरत शास-प्राप्त लेखाकारों की संख्या बहुत अधिक अर्थात 7418, से उन शास-प्राप्त लेखाकारों, जो इन सरकारी कम्पनियों और निगमों के लेखा-परीक्षक नियुक्त किये जा सकते हैं, की संख्या सीमित है ।

(ख) शास-प्राप्त लेखाकारों की फर्मों के नाम, जो सरकारी कम्पनियों के लेखा-परीक्षक रहे हैं प्रदर्शित करता हुआ एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है ।[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3507/72**]

अजन्ता और एलोरा में पर्यटन सुविधाएं न होना

3562. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजन्ता और एलोरा में बढ़िया भोजन और पर्याप्त आवास सुविधाओं जैसी पर्यटक सुविधाएं नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो मध्यम आय वाले पर्यटकों और देश के तथा विदेशी बौद्ध यात्रियों को आकर्षित करने के लिये अजन्ता और एलोरा में आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिये सरकार क्या कदम उठाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अजन्ता और एलोरा की यात्रा करने वाले पर्यटकों को सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीसरी योजनावधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में अजन्ता में एक कैन्टीन-व-विश्रामगृह का, तथा एलोरा में एक कैन्टीन का निर्माण किया गया। राज्य सरकार ने अजन्ता से तीन मील दूर स्थित फरदपुर में, तथा औरंगाबाद में, जो कि अजन्ता की गुफाओं की यात्रा करने के लिये 'एयरटर्मीनल' एवं 'रेल-हैड' है, पर्यटन बंगलों का निर्माण किया जिसके लिये उसे वास्तविक व्यय का 50% का उपदान भी दिया गया। इसके अतिरिक्त, अजन्ता गुफाओं के लिये रेल द्वारा यात्रा करने वाले उन यात्रियों की सुविधा के लिये जो अजन्ता से 36 मील की दूरी पर स्थित जलगांव में उतरते हैं, केन्द्रीय क्षेत्र में जलगांव में एक स्वागत केन्द्र का निर्माण किया गया।

चौथी योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में अजंता और एलोरा में जल वितरण व्यवस्था में वृद्धि की जायेगी, तथा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अजंता में कैन्टीन-व-विश्रामगृह तथा एलोरा में कैन्टीन का विस्तार एवं नवीकरण किया जायेगा। पर्यटन विभाग औरंगाबाद में एक युवा होस्टल का निर्माण भी करेगा।

छठे वित्त आयोग के मुख्यालय का स्थानान्तरण

3563. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठे वित्त आयोग का मुख्यालय दिल्ली से बाहर ले जाया जाने वाला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उपस्थित ही नहीं होते।

औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अपनी सर्वेक्षण रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्यवाही आरम्भ करना

3564. **श्री सी०चित्तिबाबू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्टों पर पांच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही आरम्भ की है ;

(ख) ये पांच राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र कौन से हैं ; और

(ग) इन सर्वेक्षण रिपोर्टों से कौन से परियोजना सम्बन्धी विचार बने हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). भारतीय औद्योगिक

विकास बैंक ने अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ मिल कर असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और संघीय राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है।

सर्वेक्षण रिपोर्टों में जो परियोजना सम्बन्धी विचार बने हैं वे मुख्यत: सम्बन्धित राज्यों में उपलब्ध साधनों पर आधारित हैं और इसमें कृषि, बागबानी बन, खनिज आदि पर आधारित उद्योग शामिल हैं। कुछ चुनी हुई परियोजनाएं लुगदी और कागज एकक, जूट मिलें, चीनी मिलें, निस्सारण प्रक्रिया एकक, फल प्रसाधन एकक सीमेंट के कारखाने आदि हैं।

नियंत्रण समिति ने जो सर्वेक्षण सम्बन्धी काम का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करती है, असम, बिहार, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं। उपर्युक्त पांच राज्यों में परियोजना सम्बन्धी विचारों को क्रियान्वयन की प्रगति पर नजर रखने के लिए अन्तर्संस्थागत समूह बना दिये गये हैं जिनमें राज्य सरकारों, राज्य वित्तीय निगमों और राज्य उद्योग विकास निगमों जैसी राज्य स्तर की संस्थाओं और बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तकनीकी परामर्शदात्री सेवा की स्थापना

3565. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने प्रत्येक राज्य विशेषकर केरल, आन्ध्र प्रदेश और आसाम में तकनीकी परामर्शदात्री सेवा की स्थापना की है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). केरल सरकार, औद्योगिक वित्त निगम और राज्य के 5 राष्ट्रीयकृत "लीड बैंक", केरल वित्तीय निगम तथा केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 7 फरवरी, 1972 को कोचीन में केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्शदात्री संगठन लिमिटेड नामक एक तकनीकी परामर्शदातृ सेवा केन्द्र की स्थापना की है। असम और आन्ध्र प्रदेश में ऐसे ही संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव विकास बैंक के विचाराधीन हैं।

वाणिज्यिक बैंकों की 'पृथक-पृथक ब्याज-दर योजना' के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लोगों को सहायता

3566. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों में लागू की गई 'पृथक-पृथक ब्याज दर योजना' के अन्तर्गत इस योजना के लागू किये जाने की तारीख से अब तक अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, कुटीर तथा ग्रामोद्योगों में लगे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक निर्धन छात्रों, अनाथालयों तथा नारी-निकेतनों को उच्च बैंकों से किस-किस प्रकार की सहायता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इस योजना के सम्बन्ध में 3 जून 1972 को सूचना दी गयी थी। वे इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये

शाखाओं के चुनाव, शाखाओं आदि को हिदायतें जारी करने जैसे प्रारम्भिक कार्य कर रहे हैं। बैंक हर वर्ष मार्च जून सितम्बर और दिसम्बर में समाप्त होने वाले तिमाहियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। चूंकि पहली रिपोर्ट सितम्बर 1972 को समाप्त होने वाली अवधि से सम्बन्धित होगी इसलिये इस योजना में उल्लिखित चुने हुए कम आय वाले समूहों द्वारा ली गयी सहायता के स्वरूप के बारे में आवश्यक सूचना केवल उस तारीख के कुछ समय बाद ही उपलब्ध होगी।

गुलमर्ग (काश्मीर) की पर्यटन केन्द्र के रूप में घटती हुई लोकप्रियता

3567. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन केन्द्र के रूप में गुलमर्ग (काश्मीर) की लोकप्रियता में तेजी से कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गुलमर्ग के लिए 10 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान पर सरकार कब तक निर्णय ले लेगी ; और

(घ) क्या सरकार को गुलमर्ग से हाल के पर्यटन काल में विदेशी मुद्रा की अधिक आय नहीं हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चौथी योजना में गुलमर्ग में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 3·38 करोड़ रुपए की व्यवस्था विद्यमान है। इनमें ये सम्मिलित है : आकाशीय यात्री रज्जुमार्ग का निर्माण, अन्य प्रकार की लिफ्टों की व्यवस्था, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण तथा स्कीइंग एवं पर्वतारोहण में प्रशिक्षण देने के लिये एक संस्थान की स्थापना, स्की, पर्वतारोहण तथा बर्फ हटाने के उपकरणों की खरीद, एक केन्द्र तापित होटल का निर्माण, टंगमर्ग-गुलमर्ग मार्ग का निर्माण आदि। ऊपर निर्दिष्ट बहुत सी सुविधाओं की पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है, तथा आकाशीय यात्री रज्जुमार्ग तथा होटल का कार्य योजनावधि के दौरान हाथ में ले लिया जायेगा। गुलमर्ग का एक मास्टर प्लान भी, जिसमें भूमि का प्रयोग एवं परिसंचरण प्रदर्शित किया गया है, तैयार कर लिया गया है तथा क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को दे दिया गया है। राज्य सरकार ने भी गुलमर्ग में पानी, बिजली, सड़कों, आवास, आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये राज्य-योजना में 76·50 लाख रुपये की व्यवस्था की है।

(घ) विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान अखिल-भारतीय आधार पर लगाया जाता है, स्थान-वार आधार पर नहीं। देश ने 1970 में लगभग 38.03 करोड़ रुपये की तुलना में 1971 में लगभग 40.38 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की। गुलमर्ग को पाकिस्तान के साथ संघर्ष के कारण पिछले शीतकाल के दौरान शीतकालीन खेलों के लिये नहीं खोला गया था।

प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों को बदलना

3568. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग आयोग के लिये तैयार किये गये अध्ययन में प्राथमिक सहकारी ऋण

समितियों के स्थान पर स्वतन्त्र ग्रामीण बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों और सरकारी बैंकों के संयुक्त स्वामित्व में सहायक बैंक स्थापित करने की सिफारिश की गई है ; और

(ख) वर्तमान प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों के स्थान पर स्वतन्त्र ग्रामीण बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बैंकिंग आयोग ने, प्राथमिक समितियों को ग्रमीण बैंकों में बदल कर या ग्रामीण सहायक बैंकों के रूप में उन्हें वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिला कर 'ग्रामीण बैंक' स्थापित करने की सिफारिश की है।

(ख) सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में भूमि का उपयोग

3569. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में सरकारी भूमि के अनेक खंड रक्षा विभाग के उपयोग के लिये आरक्षित हैं ;

(ख) यदि हां, तो चित्तूर जिले की सीमा में आने वाली बंगलौर मद्रास राष्ट्रीय राजपथ के सन्निकट स्थित ऐसी भूमि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या रक्षा विभाग का उक्त भूमि के प्लाटों को उपयोग में लाने का कोई कार्यक्रम है और यदि हां तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के खर्चे

3570. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक अपने खर्चों में कटौती करने में असमर्थ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा खर्च में कमी के लिये क्या उपाय सुझाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). राष्ट्रीय बैंकों के खर्चे जमा और उधार ली गयी राशियों पर दिए गए व्याज, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा अन्य संचालन-व्ययों के रूप में होते हैं। जमा-राशियों में बृद्धि होने पर नए कार्यालय खोले जाने और उनकी गतिविधियों में विविधता लाने, जिनमें प्राथमिकता-प्राप्त और उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण देना शामिल है, के फलस्वरूप ये खर्चे बढ़ते रहे हैं। बैंक विभिन्न मदों के अन्तर्गत हुए व्यय की समय-समय पर समीक्षा करते हैं और जहां सम्भव होता है, मितव्ययता कराने के लिए कदम उठाते हैं।

राजस्थान को विशेष अनुदान

3571. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार को अपने द्वारा निकाली गई निश्चित राशि से अधिक राशि का निबटारा करने और अपनी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिये लिये विशेष अनुदान देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे ही अनुदान अन्य राज्यों को भी दिये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने, चालू वर्ष में अपने बजट सम्बन्धी घाटे को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दिये जाने के लिए प्रार्थना की है। फिर भी किसी राज्य में घाटा होने से ही वह विशेष सहायता के लिए पात्र नहीं बन जाता। चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में, भारत सरकार राजस्थान सहित, उन राज्यों को विशेष सहायता (ऋण के रूप में) दे रही है, जिनके संबंध में आयोजना आयोग ने यह अनुमान लगाया कि उनके साधनों में अन्तर होना अनिवार्य है। हर वर्ष राज्य सरकार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा, अनिवार्य आयोजना-भिन्न वायदों, आयोजना-भिन्न खर्च में किफायत की संभावना राज्य सरकार द्वारा राजस्व तथा कर संग्रह और बजट सम्बन्धी अन्य सामान्य साधनों को जुटाने के प्रयत्नों में सुधार तथा पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर ही निर्धारित की जाती है।

बंगलौर उर्वरक परियोजना को पूरा किया जाना

3572. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर बन्दरगाह की योजना के पूरा होने में, विलम्ब होने के कारण मंगलौर उर्वरक परियोजना को पूरा करने में भी विलम्ब होगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उर्वरक परियोजना को अनुमानतः कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) मंगलौर बन्दरगाह परियोजना के पूरा होने के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, मंगलौर उर्वरक परियोजना को पूरा करने में विलम्ब होने की इस समय कोई संभावना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में पुनरीक्षण की समस्याओं को समन्वित करने के लिये तन्त्र की स्थापना

3573. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के पुनरीक्षण जैसी समस्याओं के सम्बन्ध में परामर्श तथा समन्वित दृष्टिकोण के लिये किसी तन्त्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तन्त्र के गठन सहित प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). इस प्रयोजन के लिए, किसी तन्त्र की स्थापना का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अतिकर के स्थान पर 'कैपिटल लैवी' लगाना

3574. **श्री एन० के० पी० साल्वे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अतिकर के स्थान पर कैपिटल लैवी लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में अतिकर को समाप्त करने और कम्पनियों की पूंजी पर एक कर लगाने की सिफारिश की है । सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

पाकिस्तान द्वारा हथियारों की क्षतिपूर्ति

3575. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि दिसम्बर, 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने किस सीमा तक हथियारों की क्षतिपूर्ति की है ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस विषय पर सरकार के पास सूचना है परन्तु इसे प्रकट करना जनहित में नहीं होगा ।

(ख) ऐसी क्षतिपूर्ति का हमारी सुरक्षा और हमारी रक्षा तैयारी पर संघात का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है ।

वर्ष 1962-63 से पूर्व तथा बाद में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कार्य और अल्प देशों में आरम्भ किये गए उपक्रम

3576. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार की सेवाओं, तेल की खोज और स्वदेशी अशोधित तेल के उत्पादन के संबंध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) विभिन्न कार्यों पर व्यय की गई राशि तथा उसके परिणाम और खोदे गये कुंए तथा अशोधित तेल के उत्पादन की मात्रा और उसकी कीमत के संबंध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1962-63 से पूर्व तथा बाद के तुलनात्मक कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अन्य देशों में किस प्रकार के उपक्रम आरम्भ किये हैं, और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को अपने हिस्से का कितना तेल उनसे मिला तथा क्या उस तेल का भारत के तेल शोधक कारखानों में प्रयोग किया गया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) 1962-63 से पूर्व तथा बाद में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विभिन्न कार्यों पर व्यय की गई राशि निम्न प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

	1959-60 से 1962-63* तक	**1963-64 से 1971-72 तक**
(i) भूगर्भीय सर्वेक्षण	1.37	2.04
(ii) भूभौतिकी सर्वेक्षण	2.79	16.81
(iii) व्यधन	19.60	203.39

उसी अवधियों के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की इसके मुख्य परिचालनों में उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

	1959-60* से 1962-63 तक	**1963-64 से 1971-72 तक**
(i) **भूगर्भीय सर्वेक्षण**		
(क) विस्तृत तथा अर्ध-विस्तृत सर्वेक्षण (वर्ग-किलोमीटर)	84,131	55,691
(ख) प्रारंभिक सर्वेक्षण (वर्ग-किलोमीटर)	शून्य	42,105
(ii) **भूभौतिकीय (भूकम्पीय)** सर्वेक्षण (लाइन किलोमीटर)	17,201	85,463
(iii) **ड्रिलिंग**		
(क) कुंओं की संख्या	118	828
(ख) मीटरेज (मीटर)	2,27,763	17,16,888
(iv) **मालूम किये गये तेल/गैस युक्त क्षेत्र**	4	26
(v) **तेल का उत्पादन तथा प्रेषण (मिलियन मीटरी टन)**	0.49	22.62
(vi) **प्राकृतिक गैस की सप्लाई बिक्री से (मि० घन मीटर)**	शून्य	1919.11
(vii) **तेल तथा प्राकृतिक गैस की बिक्री से प्राप्ति (करोड़ रुपयों में)**	3.84	259.33

*तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की इसके वर्तमान रूप में सांविधिक निगम के तौर पर 1959-60 में स्थापना हुई थी ।

(ग) विदेशों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का केवल एक उद्यम है ; अरब की खाड़ी के अपतटीय क्षेत्र में तेल के अन्वेषण तथा उत्पादन के लिए यह एक संयुक्त उद्यम है। इसमें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का प्रतिनिधित्व इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी, हाइड्रोकार्बन्स इंडिया प्राइवेट लि० (एच० आई० पी० एल०), जिसके पास साम्य पूंजी का $\frac{1}{6}$ हिस्सा है, द्वारा किया जाता है। यू० एस०ए० की फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी तथा इटली के ए० जी० आई० पी०, दोनों में से प्रत्येक के पास साम्य पूंजी का $\frac{1}{6}$ हिस्सा है, और ईरान की एन० आई० ओ० सी०, जिसके पास साम्य पूंजी का आधा हिस्सा है, इसके अन्य साझेदार हैं। साम्य पूंजी में अपनी-अपनी साझेदारी के अनुपात में आधा उत्पादित तेल एन० आई० ओ० सी० के हिस्सों में जाता है और शेष आधा तेल एच० आई० पी० एल० फिलिप्स तथा ए० जी० आई० पी० द्वारा बराबर बांट लिया जाता है।

16-7-72 तक संयुक्त उद्यम में उत्पादित तेल में से एच० आई० पी० एल० के साम्य शेयर को 10,000,542 बैरल (लगभग 1.45 मिलियन मीटरी टन) प्राप्त हुए। खरीदार ढूंढ़ने की समस्या और कई कारणों से भारतीय शोधनशालाओं में इस तेल के प्रयोग के संभव न हो पाने के कारण एच० आई० पी० एल० अपने साम्यशेयर के प्रति अब तक केवल 6,912,603 बैरल (लगभग 0.92 मिलियन मीटरी टन) ले पाई है। तथापि, एच० आई० पी० एल० को आगामी वर्षों में इस कमी को पूरा करने की छूट है और इसने जनवरी, 72 में ऐसा करना शुरू कर दिया है।

एच० आई० पी० एल० द्वारा ली गयी कुल मात्राओं में से, अब तक कोचीन रिफाइनरीज लि० को परीक्षण आधार पर 233,464 बैरल (लगभग 31,000 मीटरी टन) बेचे थे। शेष मात्राएं विदेशों में बेची जा रही हैं।

Financial Assistance to States due to Drought

3577. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri C. K. Jaffer Sharief :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether certain State Governments have asked the Central Government for funds to face the drought situation ;

(b) if so, the names of the States and the amounts asked for ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT. 3508/72].**

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण में कमी

3578. **डा० एच० पी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋण में भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में जनवरी से जून और जुलाई से दिसम्बर, 1970-71 और 1972 (पूर्वार्द्ध) के तुलनात्मक आंकेड़े क्या हैं ;

(ग) इस कमी के क्या मुख्य कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। कृषि के लिये दिये गये अग्रिमों का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में दिये गये अग्रिमों का है। निम्नलिखित सारिणी में यह दिखाया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने दिसम्बर 1969 से लेकर दिसम्बर 1971 तक किसानों को जो कृषि सम्बन्धी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की है, उसकी बकाया (सबसे ताजा छमाही की उपलब्ध) राशियां क्या हैं। इसको दृष्टिपात करने से यह पता चलेगा कि इस क्षेत्र में अग्रिम देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

(करोड़ रुपयों में)

	दिसम्बर 69	**जून 70**	**दिसम्बर 70**	**जून 71**	**दिसम्बर 71**
किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता	57.91	93.48	127.16	129.64	150.32

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Nationalisation of Banks in U. P.

3579. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the banks whose Headquarters are located in Uttar Pradesh and the names of the Scheduled Banks which have not been nationalised so far and the number of those having their branches outside the state ;

(b) the extent of financial burgling in each of the said Scheduled Banks about which Government or the Reserve Bank have received informations and the action taken in this regard ; and

(c) whether Government propose to nationalise these banks ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a)

(i) Names of the functioning commercial banks whose headquarters are located in Uttar Pradesh are as under :

S. No.	**Name of the Bank**	**Place of Headquarter**
1.	The Bareilly Corporation (Bank) Ltd.	Bareilly
2.	The Benares State Bank Ltd.	Varanasi
3.	The Hindustan Commercial Bank Ltd.	Kanpur
4.	The Kashi Nath Seth Bank (P) Ltd. ..	Shahjahanpur
5.	The Naini Tal Bank Ltd.	Naini Tal

(ii) None of the above banks has been nationalised so far.

The following are scheduled :

1. The Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
2. The Benares State Bank Ltd.
3. The Hindustan Commercial Bank Ltd.

(iii) Of the above mentioned banks only the following two have branches outside the state of Uttar Pradesh.

1. The Benares State Bank Ltd.

2. The Hindustan Commercial Bank Ltd.

(b) On the basis of the information furnished by the banks concerned, a few financial irregularities have come to the notice of the Reserve Bank and the banks concerned are taking further action in the matter.

(c) The Government have no proposal, at present, to nationalise scheduled commercial banks in the private sector. The reasons for this have been indicated to the Parliament on more than one occasion.

ध्यान आकर्षण सूचना और स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. CALLING ATTENTION NOTICE AND MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री बालतण्डायुतम (कोयम्बतूर) : महोदय, मुझे एक निवेदन करना है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं ।

श्री बालतण्डायुतम : महोदय, आपको सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करनी ही चाहिये । मंत्री महोदय अल्प-सूचना प्रश्न भी स्वीकार नहीं करते तथा वक्तव्य भी नहीं देते । आप भी न ध्यान दिलाने वाली सूचना स्वीकार करते हैं, न स्थगन प्रस्ताव । अब आप ही बताइए हम रेल मंत्री से रेल दुर्घटना के प्रश्न पर किस प्रकार विचार-विमर्श करें ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये । अब हम ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा करेंगे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैंने स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : हमारे देश के बड़े भाग में बैंकों का कार्य लगभग ठप हो गया है । केन्द्रीय सरकार को इसका समाधान करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : सचिव को मैंने बता दिया था कि वह आपको इस बात की सूचना दे दे कि मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना की अनुमति दे दी है । खेद है मैंने स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : सत्र के आरम्भ से ही मैं एक ध्यान दिलाने वाली सूचना देने का प्रयत्न करता रहा हूं । अंत में मुझे आपके कार्यालय से एक पत्र मिला जिसमें बताया गया कि चूंकि इस विषय पर 10-12 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जिसमें से एक मौखिक उत्तर के लिए भी था, इसलिये उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नामंजूर करने का यह कोई न्यायसंगत कारण नहीं है । भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई भारी गोलमाल के बारे में मैं लिखित उत्तर में विश्वास नहीं रखता क्योंकि उनमें आधा झूठ बोला जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता की स्थिति का उल्लेख श्री मुकर्जी ने किया है। हमें तार मिला है कि कलकत्ता तथा अन्य स्थानों की आर्थिक स्थिति अस्त-व्यस्त हो गई है। अन्य राज्यों में भी हड़ताल होने की आशंका है। अतः मेरा निवेदन है कि स्थगन प्रस्ताव को गृहीत किया जाए तथा यदि हमें वक्तव्य संतोषजनक प्रतीत नहीं हुआ तो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होने दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपको तर्क संगत बात कहनी चाहिये।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

रिजर्व बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता के कर्मचारियों की मांगें तथा इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : श्रीमन्, मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"रिजर्व बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता के कर्मचारियों की मांगें तथा इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : श्रीमान, अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने, कलकत्ता में, गैर-बैंककारी कम्पनी विभाग के कार्य की समीक्षा के पश्चात्, उस विभाग के अभिलेख लिपिक (रेकार्ड क्लर्क) के एक अस्थायी पद को 29-7-1972 से दफ्तरी के पद के रूप में बदल दिया है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कलकत्ता कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी (अधीनस्थ कर्मचारी) संघ ने चाहा कि गैर-बैंककारी कंपनी विभाग में अभिलेख लिपिक का पद फिर से बना दिया जाए। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने इस बात को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उक्त पद का दर्जा उनके निरीक्षण स्कंध द्वारा गैर-बैंककारी कंपनी विभाग के काम के बोझ की समीक्षा किए जाने के बाद ही घटाया गया था।

2. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कलकत्ता कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी (अधीनस्थ कर्मचारी संघ) ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की इस कार्रवाई के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिये 7 अगस्त, 1972 से एक आन्दोलन शुरू कर दिया है। 7 अगस्त, 1972 से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक घंटे से चार घंटे तक की विभिन्न अवधियों में काम नहीं कर रहे हैं और खजाना, फाइलें आदि लाने का काम नहीं किया जा रहा है। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप 10 अगस्त, 1972 से बैंक में समाशोधन (क्लीयरिंग) का काम बंद करना पड़ा जिसके कारण कलकत्ता में व्यापार और वाणिज्य के लिए असुविधा हुई।

3. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के वरिष्ठ अधिकारीगण, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सेण्ट्रल इण्डस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी) तथा पश्चिम बंगाल के प्राधिकारियों की उपस्थिति में उक्त संघ के साथ बातचीत कर रहे हैं। विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत अब भी जारी है और आशा की जाती है कि सौहार्द्रपूर्ण समझौता शीघ्र ही हो जाएगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : सर्व प्रथम मैं वित्त मंत्री श्री चह्वाण के इस व्यवहार पर असंतोष प्रकट करना चाहता हूं कि पांच मिनट पहले तक वे यहां उपस्थित थे किन्तु इस महत्वपूर्ण विषय पर उत्तर दिये जाने के समय उन्होंने यहां उपस्थित रहना आवश्यक नहीं समझा ।

मंत्री महोदय के उत्तर से विदित होता है कि यह मामला केवल एक ही कर्मचारी से सम्बद्ध है । इस बैंक में एक मान्यता प्राप्त यूनियन के अतिरिक्त अन्य यूनियनें भी हैं किन्तु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले का सभी यूनियनों ने मिलकर समर्थन किया है । किसी कर्मचारी को पदावनत करने अथवा उसका स्तर घटाने का अर्थ उसको दण्डित करना है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त कर्मचारी को दण्डित करने से पूर्व क्या प्रबन्धकों ने यूनियनों से परामर्श किया था ?

कुछ समय पूर्व रिजर्व बैंक की बम्बई यूनिट में भी इसी प्रकार का मामला हुआ था । उस मामले में भी प्रबन्धकों का रवैया अच्छा नहीं था । अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसियेशन, पश्चिम बंगाल समिति के मंत्री श्री सुधीर घोष ने भी यह वक्तव्य दिया है कि वहां के प्रबन्धक इस मामले को सुलझाने में बाधा डाल रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले को निपटाने का प्रयत्न किया है तथा डा० गोपाल दास नाग ने कुछ सुझाव भी दिये हैं । क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने यह सुझाव दिया है कि पूर्व स्थिति लाकर कर्मचारी तथा प्रबन्धक शांति से इस मामले पर विचार करें कि भविष्य में क्या कदम उठाए जाएं ? क्या उन्हें पता है कि कर्मचारियों ने उक्त सुझाव को स्वीकार कर लिया है किन्तु प्रबन्धकों ने उसे स्वीकार नहीं किया ? मंत्री महोदय का केवल यह कहना कि बात चीत चल रही है, पर्याप्त नहीं है । क्या वह स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे अथवा नहीं ? खेद है कि साधारण सी समस्या को इतना जटिल बना दिया जाता है कि उसका समाधान होना कठिन हो जाता है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : पहले मैं वित्त मंत्री श्री चह्वाण द्वारा किये गये सभा के अवमान के बारे में आप का निर्णय जानना चाहता हूं । वह प्रश्न काल समाप्त होते ही, बिना कुछ कहे उठकर चले गए जबकि उनकी उपस्थित में यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : पहले भी इस प्रकार के प्रश्न उठाए गये हैं तथा उनका यही उत्तर दिया गया है कि राज्य मंत्री द्वारा ऐसे मामलों का निपटान किया जा सकता है ।

श्री के० आर० गणेश : विश्व बैंक से एक प्रतिनिधि मण्डल आया हुआ है तथा वित्त मंत्री को उससे भेंट करनी है । माननीय सदस्य को ज्ञात है कि मैं हड़तालों से सम्बन्धित मामलों का निपटान करता रहा हूं । यद्यपि मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिंता का अनुभव कर रहा हूं, फिर भी मैं उनमें पूछना चाहता हूं कि हड़ताल होने के कारण क्या हैं । औद्योगिक श्रमिक वर्ग के प्रति जहां सरकार का कुछ उत्तरदायित्व है, वहीं उनका भी अपने कार्य के प्रति कोई उत्तरदायित्व है । वास्तव में हुआ यह गैर-बैंककारी कम्पनी के एक अस्थाई रिकार्ड क्लर्क को दफ्तरी बना दिया गया तथा यह कदम कार्य की समीक्षा करने वाली यूनिट की सिफारिश के अनुसरण में उठाया गया ।

क्या माननीय सदस्य समझते हैं कि साधारण सी बात पर श्रमिकों द्वारा उठाया गया यह कदम, जिससे कलकत्ता की औद्योगिक गतिविधियां ठप्प हो गईं, राष्ट्र और श्रमिक वर्ग के हित में है ? माननीय सदस्य का कहना है कि पद का घटाया जाना दण्ड देने के बराबर है । रिजर्व बैंक की कार्य समीक्षा यूनिट ने गैर-बैंककारी कम्पनियों के कार्य की समीक्षा करके यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त पद

बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा उसने इस पद को दफ्तरी के पद में बदलने की सिफारिश की।

वर्तमान स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, श्रम मंत्री, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर परस्पर विचार-विमर्श कर रहे हैं तथा उन्होंने समझौता कराने की स्थिति उत्पन्न करली है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या पदावनति दण्ड के समान है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सारी समस्या एक क्लर्क से सम्बन्धित है ?

श्री के० आर० गणेश : जी हां। इस मामले का केवल एक क्लर्क से सम्बन्ध है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह सिद्धान्त का प्रश्न है।

श्री माधुर्य्य हालदार (कथुरापुर) : खेद है मंत्री महोदय ने वक्तव्य में पूर्वी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का उल्लेख नहीं किया। 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचारों के अनुसार चैकों और ड्राफ्टों को भुनाने में भारी कठिनाई के परिणामस्वरूप व्यापारियों को अत्यंत चिंता है तथा पूर्वी क्षेत्र में नोटों और रेजगारी की भारी कमी हो गई है। छोटे व्यापारियों तथा आम जनता को सबसे अधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

इस सम्बन्ध में मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब उक्त दफ्तरी को रिकार्ड क्लर्क बनाया गया था तो क्या रिजर्व बैंक ने इसकी सिफारिश की थी अथवा नहीं, यदि हां, तो उसे कब पदोन्नत किया गया तथा उक्त पद को कितने समय बाद अनावश्यक घोषित किया गया ?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री डा० गोपाल नाथ ने रिजर्व बैंक के प्रबन्धकों को यह सुझाव दिया था कि पूर्व स्थिति कायम की जाय किन्तु प्रबन्धकों ने उक्त सुझाव को स्वीकार नहीं किया तथा प्रबन्धकों की हठधर्मी से कोई समझौता नहीं हो सका।

रिजर्व बैंक के चीफ मैनेजर श्री अहलूवालिया बातचीत करने के लिये कलकत्ता गये और वहां से लौट आये। उन्होंने कर्मचाकियों के समक्ष क्या प्रस्ताव रखे।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि केन्द्रीय श्रममंत्री अथवा वित्त मंत्री ने इस समस्या का समाधान कराने के लिये मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया जबकि कुछ समय पहले रिजर्व बैंक की बम्बई शाखा में दो कर्मचारियों को मुअत्तिल किये जाने से उत्पन्न समस्या में उन्होंने ऐसा कदम उठाया था ?

श्री के० आर० गणेश : उक्त अस्थाई पद 1967 में बनाया गया था तथा यह विचार किया गया था कि इसकी समीक्षा की जायेगी। 1972 में कार्य समीक्षा यूनिट ने इस मामले की जांच की तथा उस पद को फालतू बताया। अतः उक्त रिकार्ड क्लर्क को दफ्तरी बना दिया गया।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा श्रम मंत्री इस मामले में रुचि ले रहे हैं तथा उन्होंने विभिन्न प्रस्ताव रखे हैं। अतः उनके विचाराधीन भिन्न प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मामले पर अधिक चर्चा नहीं करना चाहता।

माननीय सदस्य के इस प्रश्न के उत्तर में कि वित्त मंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, मेरा निवेदन है कि रिजर्व बैंक एक सांविधिक निकाय है तथा वह मान्यता प्राप्त यूनियनों के

साथ इस सम्बन्ध में बात-चीत कर रहा है। इस मामले में कई ठोस प्रस्ताव किये गये हैं जिनमें से एक प्रस्ताव यह भी है कि उक्त कर्मचारी को रिजर्व बैंक के अन्य विभाग में बनाये गये एक नये पद पर नियुक्त कर दिया जाय।

दूसरा प्रस्ताव यह है कि कुछ कनिष्ठ कर्मचारियों को, जिनका इधर-उधर तबादला किया गया था, पुनः उन्हीं पदों पर लाया जाय।

अब प्रश्न यह है कि हड़ताल की अवधि को क्या समझा जाय। रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की रियायतें दी हैं किन्तु कर्मचारियों को तत्सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हैं।

मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि एक सामान्य-सी समस्या को इतना जटिल बना देना जिससे कलकत्ता की औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधियां समाप्तप्राय हो गईं, अनुचित है। या तो मजदूर संघ का सिद्धान्त ही सदोष है अथवा इसके लिये कोई अन्य उत्तरदायी है। समस्याओं के समाधान के लिये अनेक रास्ते हैं तथा मेरे विचार से हड़ताल का हथियार ऐसी छोटी-छोटी बातों के लिये नहीं अपनाया जाना चाहिये।

श्री माधुर्य हालदार : यह मामला सामान्य नहीं है जैसा कि मंत्री महोदय बार-बार कह रहे हैं। इस मामले का सम्बन्ध एक निम्न वेतन भोगी कर्मचारी से है। यदि मंत्री या उपमंत्री आदि से सम्बन्धित होता तो हमें कोई दुःख नहीं था।

श्री समर गुह : महोदय, एक प्रगतिशील मार्क्सवादी मंत्री की प्रगतिवादी चेतना की अभिव्यक्ति से मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ है (**व्यवधान**)। उन्होंने एक ऐसे नौकरशाह प्रबन्धक को बचाने का प्रयास किया है जिसने पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने से इंकार कर दिया। उन्होंने ऐसे हठी और घमण्डी अधिकारी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। एक समय था जब वह गर्व से स्वयं को मार्क्सवादी कहते थे।

श्री के० आर० गणेश : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य द्वारा मूल प्रश्न के साथ मेरे मार्क्सवादी न कहने को जोड़ना असंगत है। (**व्यवधान**)

श्री समर गुह : मैंने ऐसा किसी राजनीतिक दल के सन्दर्भ में नहीं कहा। इस शब्द का आशय भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय इस बात पर विरोध प्रकट करते हैं तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री समर गुह : उनका कहना है कि यह एक सामान्य सी समस्या है। किन्तु मेरे विचार से यह सिद्धान्त का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उक्त कर्मचारी को रिकार्ड क्लर्क से दफ्तरी बना दिया गया। मेरे विचार से जिस व्यक्ति में आत्म सम्मान की भावना होगी, वह इस प्रकार के अपमान के प्रति अवश्य विरोध प्रकट करेगा। साथ ही यदि कोई मजदूर संघ ऐसी कार्यवाही का विरोध नहीं करती तो वह मजदूर संघ कहलाने का अधिकारी नहीं है। यह सामान्य मामला नहीं है। यह किसी कर्मचारी की चाहे स्थाई हो या अस्थाई, प्रतिष्ठा और सम्मान का मामला है, सिद्धान्त का मामला है।

मंत्री महोदय ने कार्यभार का उल्लेख किया है। हमें ज्ञात है सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी कितना कार्य करते हैं। किन्तु केवल इसी कर्मचारी के लिये कार्यभार की कसौटी इतनी दृढ़ता से

अपनाई गई। इसके अतिरिक्त, ऐसी कार्यवाही भविष्य में किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध की जा सकती है। अतः मजदूर संघ का कर्तव्य है कि वह ऐसी कार्यवाही का विरोध करे।

आज हड़ताल को 18 दिन व्यतीय हो गये। पश्चिम बंगाल राज्य के श्रममंत्री, भारत चेम्बर आफ कामर्स के चेयरमैन तथा अन्य व्यक्तियों ने केन्द्रीय मंत्री के पास तार भेजे हैं तथा निवेदन किया है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। लगभग 400 करोड़ रुपयों के मूल्य के चैकों का भुगतान नहीं किया गया है जिससे उद्योग और व्यापार अस्त-व्यस्त हो गया है। कच्चे माल के लाने ले जाने पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई है। यदि मंत्री महोदय इसे सामान्य सी बात मानते हैं तो उन्हें विमान से कलकत्ता क्यों जाना पड़ा ?

क्या मंत्री महोदय को पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से लगभग एक सप्ताह पूर्व तार नहीं मिला जिसमें अनुरोध किया गया है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय वहां के बैंक प्रबन्धक से इस बात का स्टष्टीकरण मांगेंगे कि उसने पश्चिम बंगाल के श्रममंत्री द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने से क्यों इंकार किया ? क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व स्थिति बनाने का सुझाव दिया था जिससे समस्या का समाधान किया जा सके।

मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री के किस सूत्र को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

बैंक कर्मचारियों ने चेकों का भुगतान करने से इन्कार नहीं किया, बल्कि बैंक ने ही चैकों की अदायगी रोक दी। हड़ताल 7 तारीख अथवा 10 तारीख को शुरू हुई थी। चैकों का भुगतान स्टेट बैंक से क्यों नहीं कराया गया ?

क्या सरकार की गड़बड़ी के कारण जिन कम्पनियों को क्षति हुई है, उन्हें हर्जाने की अदायगी की जायेगी ?

श्री के० आर० गणेश : यह एक अस्थायी पद था और रिजर्व बैंक ने जान-बूझकर इसे अस्थायी पद वर्ग में रखा था, क्योंकि रिजर्व बैंक भी इस बारे में आश्वस्त नहीं थी कि यह पद आवश्यक होगा अथवा नहीं।

माननीय सदस्य ने दफ्तरी और रिकार्ड क्लर्क के काम में अन्तर जाने बिना ही "आत्म सम्मान" शब्द का प्रयोग किया है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्तिपूर्वक सुन।...**(व्यवधान)**

श्री के० आर० गणेश : मैं इस शब्द का विरोध करता हूं। उन्हें यह शब्द वापस लेना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं था। कल आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री समर गुह : मैं भी उस गरीब आदमी के प्रति उत्तरदायी हूं। क्या मैं जनता का प्रतिनिधि नहीं हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये।

श्री के० आर० गणेश : रिजर्व बैंक में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में चपरासी, दफ्तरी और रिकार्ड क्लर्क होते हैं।...**(व्यवधान)** रिजर्व बैंक में दफ्तरी और चपरासी का कार्य सभी चालू फाइलों

को बदलना हैं और रिकार्ड क्लर्क का काम गैर चालू फाइलों का रख रखाव करना है रिकार्ड क्लर्क सहित ये सभी पद चतुर्थ श्रेणी के हैं। रिकार्ड क्लर्क का बेतन 491 रुपये है, जबकि चपरासी को 306 रुपये मिलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि अगर यह हड़ताल नहीं होती, तो आप उसे जिन्दगी भर वेतन दे सकते थे।

श्री के० आर० गणेश : मैं इस बात से सहमत हूं कि हड़ताल नहीं होनी चाहिये थी। प्रबन्धकों को कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए था, तो दूसरी और मजदूर संघों को भी नकारात्मक और गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाना चाहिए था।

श्री समर गुह : *

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : मंत्री महोदय ने कहा है कि निरीक्षण और सभीक्षा के पश्चात कर्मचारी की पदावनति कर दी गई। मजदूर संघों से परामर्श नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने कहा है कि यथा स्थिति कायम रखी जानी चाहिए। उस व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है और मजदूर संघ ने उसका समर्थन किया।

पश्चिम बंगाल की सारी अर्थ व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो चुकी है। हम मंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि शान्तिपूर्ण और सम्मानजनक समाधान किया जाना चाहिए। अगर कर्मचारियों की मांगें न्यायोचित हैं, तो सौहार्द्रपूर्ण समझौता किया जा सकता है। मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि वह कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रुख अपनायें।

श्री के० आर० गणेश : पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर में विस्तृत बातचीत हुई है और अब विवाद का विषय सिर्फ यह है कि हड़ताल के दिनों के वेतन के बारे में क्या हल ढूंढा जाय। इस विषय में आगे बातचीत हो सकती है। अतः क्या अब हड़ताल समाप्त नहीं कर देनी चाहिए ? रिजर्व बैंक ने मुख्य मंत्री के समक्ष इस बारे में नया फार्मूला प्रस्तुत किया था। मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री ने नया फार्मूला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के सामने पेश किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि चूंकि विवाद के विषय अब कम हो गये हैं, इसलिये हड़ताल समाप्त हो जानी चाहिए और विवादास्पद प्रश्नों को समझौता अधिकारी के समक्ष पेश किया जा सकता है अथवा उन पर न्याय निर्णय कराया जा सकता है। वे श्रम न्यायालय में भी विवादास्पद विषय पेश कर सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के बजाय शीघ्र से शीघ्र इस का हल ढूंढा जाना चाहिए।

रिजर्व बैंक के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण व्यापार पर कितनी मात्रा में असर पड़ा है और अगर इसका शीघ्र हल नहीं ढूंढा जाता, तो यह हड़ताल सारे देश में फैल सकती है। इसलिये सरकार को पहल करके शीघ्र से शीघ्र इसका समाधान ढूंढना चाहिए।

श्री के० आर० गणेश : व्यापार पर कितनी मात्रा में असर पड़ा है, इस बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। शीघ्र से शीघ्र समाधान ढूंढने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

दक्षिण रेलवे पर काडायानल्लूर के निकट रेल-दुर्घटना के बारे में
RE : RAILWAY ACCIDENT NEAR KADAYANALLUR ON SOUTHERN RAILWAY

श्री बालवण्डायुतम (कोयम्बतूर) : कडायानल्लूर के निकट रेल-दुर्घटना का प्रश्न उठाने की आपने मुझे अनुमति दी थी। एक खड़ी हुई गाड़ी से एक्सप्रेस गाड़ी की टक्कर हुई थी। मन्त्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने इन्हें इस बारे में सूचना दे दी है और हम उन्हें फिर से याद दिला देंगे।

सभा के कार्य के बारे में
Re. BUSINESS OF THE HOUSE

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : में एक महत्वपूर्ण विषय उठाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। यह अब पेश होने वाली मांग से सम्बन्धित है और हम मांग के बारे में कोई निर्णय कैसे कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब यह बाद में आयेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह भूतपूर्व शासकों के अन्तरिम भत्तों से सम्बन्धित हैं। कोई निश्चय करने से पूर्व हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्री मिर्धा ने कहा था कि अनुदान की अनुपूरक मांगें पेश की जाने वाली हैं और तब विस्तृत सूचना दी जायगी। इस समय कोई जानकारी नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पत्र भेज दिया है और यह या तो आज बहुत बाद में आयेगा अथवा कल। तब तक मेरे पास जानकारी होगी।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : कल के लिए हमने भारतीय राज्य शासक (विशेषाधिकार समापन) विधेयक रखा है। इस पर विचार होगा, तब पूरी जानकारी दी जायगी।

अध्यक्ष महोदय : यह विधेयक पहले आना चाहिए था और अनुपूरक अनुदान की मांगें बाद में।

श्री राजबहादुर : पहले विधेयक ही पारित किया जायगा, अनुदान की मांगें बाद में पारित होंगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल प्रक्रियागत आधार पर कार्यवाही में रुकावट डालने के पक्ष में नहीं हूं। विधेयक पहले पेश किया जायगा और अनुपूरक मांगें बाद में पारित होंगी।

बिहार में सूखे के बारे में
RE: DROUGHT IN BIHAR

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : Sir, you might be aware that there is devastating drought in Bihar...

Mr. Speaker : You should at least send some letter to me or seek my permission.

Shri R. P. Yadav (Madhepura) : The People are not getting food....

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। जब तक मेरे पास कोई प्रस्ताव न हो अथवा सदस्यों को मैं अनुमति न दे दूं, तब तक कोई भी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जायगी। (**व्यवधान**)**

Mr. Speaker : The Members should not get up all of a sudden and say whatever they like, otherwise what is the need of these rules... (**Interruptions**)... Nothing is being recorded... (**Interruptions**).

———

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं श्री जगजीवन राम की ओर से नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नौसेना औपचारिकताएं, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (तीसरा संशोधन) विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 196 में प्रकाशित हुए थे।

(2) नौसेना औपचारिकताएं, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (चौथा संशोधन) विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 222 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3494/72]

सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सा० का० नि० 440 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जून, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

(2) सा० का० नि० 931, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3495/72]

एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

कम्पनी कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (तीसरा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 321 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3496/72]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने 22 अगस्त, 1972 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 अगस्त, 1972 को पास किये गये संविधान (30वां संशोधन) विधेयक, 1972 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार, किसी शंशोधन के बिना पास कर दिया है।

(दो) कि लोक सभा द्वारा 18 अगस्त, 1972 को पास किये गये कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(तीन) कि राज्य सभा 23 अगस्त, 1972 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 अगस्त, 1972 को पास किये गये पंजाब नई राजधानी (परिवृत्त) नियंत्रण (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1972 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) उच्चतम न्यायालय (दांडिक अधिकारिता का विस्तारण) संशोधन विधेयक, 1972 ।

(2) भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1972।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

सातवां प्रतिवेदन

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं सभा को बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति विधेयक
ANTIQUITIES AND ART TREASURES BILL

अध्यक्ष महोदय : अब सभा प्रो० एस० नुरूल हसन द्वारा 23 अगस्त, 1972 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगी :

"कि पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति का निर्यात व्यापार विनियमित करने, पुरावशेषों की तस्करी के कारबार तथा उनमें कपटपूर्ण संव्यवहार के निवारण, सार्वजनिक स्थानों में पुरावशेषों तथा बहूमूल्य कलाकृति के रखे जाने के लिए उनके अनिवार्य अर्जन और उनसे सम्बन्ध अथवा तत्संसक्त या तदानुषंगिक कतिपय अन्य विषयों के बारे में उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री रुद्र प्रताप सिंह अपना वक्तव्य जारी रखें ।

Shri Rudra Pratap Singh (Barabanki) : The history of India reveals that the aggressors damaged and plundered her cultural heritage. The same activities were indulged in by foreign rulers. Now some capitalists are behaving in the same way. They steal antiquities or purchase these at a very low price and then make profit out of this deal. Also, they use these as decorative pieces at their residences. The time demands that the Government should take over all antiquities and art treasures from private hands. They are our national wealth and cannot remain in the hands of a few people. I congratulate the Government for bringing forward such a Bill to protect our culture.

In the end, I will appeal to the hon. House to make every effort to protect our cultural heritage. We have love and respect for our culture and we should take up this matter at the national level. The Bill envisages the ways to curb stealing of antiquities and its smuggling. Also, there is a provision to take over antiquities from the private hands by the Government and provision has been made to punish those who act against the spirit of this Bill. With these words, I support the Bill.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : The cultural heritages of India are scattered all over the country. Since written documents regarding these heritages are less, so only these can speak of our past culture.

With the active help of the first director of our National Museum, antiquities and art treasures found their way out of the country. She got help from important persons in this deal. At present she is carrying on this business. The Government should keep an eye on her. Many items of the Jaipur City Palace museum have gone outside.

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : इस कथन पर मुझे आपत्ति है । पैलेस म्यूजियम से कोई भी वस्तु बाहर बिक्री हेतु नहीं गई है । कुछ समय पूर्व यहां चोरी हुई थी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है । यह एक संग्रहालय है, जिसकी न्यास के रूप में स्थापना 1958 में हुई थी ।

Shri Jharkhande Rai : The Government should take note of the statement of hon. Member and my doubt about that. Many big persons are involved in this matter. Investigation should also be made regarding disappearance of many antiquities from the Palace of Murshidabad. The Government should stop all export trade of these items. If this is not possible, then at least trade with America, Britain and other European Countries should be stopped.

My submission is that centres of trade in antiquities should not be opened in villages. Many people in villages have stolen idols from the temples which are situated in far-flung places. No security arrangements exist there and thefts can easily take place. People caught in such nefarious trade should be black-listed.

The Government should take over museums belonging to formers rulers. Now they are not in a position to maintain them. They are selling items of these museums outside the country for the sake of money. There are some firms in Delhi which are operating in trading the antiquities. Their licences should be cancelled. Also differences in the rate of licence fees must be removed and there should be uniformity in their rates.

Regarding the provision in respect of arbitrations, my suggestion is that a permanent panel may be constituted. A single person will not be able to carry on this duty. As for provision of maintaining registers, this will not serve any useful purpose, there must be some rules regarding issue of licences. Persons dealing in art treasures of particular age should not be allowed to participate in other trade of similar items. Also, the punishment should be made stricter for the defaulters. Provision should be made to safeguard against imitators of art treasures. The Government should either take over private museums or the records of art treasures must be compiled by the Government.

Delhi has become a centre of all nefarious deals. The Government and the Intelligence department should keep an eye on it. Transfer of ownership of antiquities should be effected within the same period.

In the name of sanctity of religious places, all types of nefarious activities are being carried on and there is no fear of search. I am not in favour of this. If there is suspicion, then there should be no hesitation in searching the religious places.

The expression 'Market Value' is quite vague and variable. Therefore, compensation should be fixed after very careful consideration.

I would suggest a Central Standing Committee consisting of a legislator, an expert and a police official, to look after art objects in the country.

Though there are certain flaws in the Bill, yet its object is laudable and I, therefore, support it but I would like a more comprehensive Bill to be brought later to ensure better care of antiquities.

Shri M. C. Daga (Pali) : This Bill has been brought 25 years after the parent Act has been passed and only in the last three years, as many as 2182 art objects had been stolen valued at 100 crores of rupees.

It appears that this Bill has been brought in much hurry. In almost every clause you find 'as may be prescribed'.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

This is objectionable and may lead to bureaucratic oppression of the people. Supreme Court and High Court judgements are full of comments on such excessive delegation. What is the purpose behind all this ?

The provisions of this Bill are most cumbersome and difficult to follow as well as to implement. This Bill seeks to treat art objects as commodities and it is apprehended that politics and materialism will kill out in India.

I now conclude in deference to your wishes but I will speak in detail during clause-by-clause discussion.

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा सभी प्रकार की कलाकृतियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये क्योंकि इनका निर्यात हमारी प्राचीन कला और संस्कृति को दूसरों के पास बेचने के समान है।

27 मार्च, 1970 को प्रस्तावित विधेयक के बारे में समाचार पत्रों में छपा था और तब से 2272 बहुमूल्य कलाकृतियों की चोरी हो चुकी है। गत वर्ष तमिलनाडु के शिवपुरी स्थान पर 'नटराज' की एक मूर्ति मिली जिसे एक स्थानीय व्यक्ति ने पाया, और इसकी सुन्दरता को देखते हुए इसकी एक प्रतिलिपि तैयार करके, पुरातत्व विभाग को दे दी। मूल मूर्ति बिकते-बिकते अन्त में एक अमरीकी को 75 लाख में बेची गई। राज्य सरकार ने मामला दर्ज किया हुआ है और मैं आपके माध्यम से उन्हें निवेदन करूंगा कि वह राज्य सरकार को वह मूर्ति ढूंढने में पूरा सहयोग दें। यदि यह विधेयक 2½ वर्ष पूर्व ही पास हो जाता तो इतनी अधिक चोरियां और तस्करी न होती।

1965 में एक समिति बनाई गई थी और 1966 में भी एक पुनर्विलोकन समिति बनाई गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि इनकी सिफारिशें सरकार ने कहां तक लागू की हैं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पुरातत्व के महा निदेशक, श्री बी० बी० लाल के अकस्मात त्यागपत्र के क्या कारण हैं ?

सरकार को तमिलनाडु सरकार द्वारा शिलालेख शास्त्र अध्ययन संस्थान को सफल बनाने के लिए हर संभव सहायता देनी चाहिये।

जून, 1970 में 'यूनेस्कों' के तत्वावधान में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कलाकृतियों की तस्करी रोकने पर विचार किया गया था। यदि भारत ने भी 80 देशों के साथ उसमें भाग लिया था तो सरकार द्वारा उसकी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई ?

आशा है यह विधेयक पास हो जाने से कलाकृतियों की तस्करी, जो इस समय बड़े व्यवस्थित ढंग से हो रही है, रोकी जा सकेगी।

तमिलनाडु में सैकड़ों पुराने मंदिर आदि हैं जिनकी रक्षा का भार केन्द्र सरकार के पुरातत्व विभाग पर है, परन्तु वास्तव में उनकी रक्षा न यह विभाग कर पाता है और न ही राज्य सरकार को इसकी अनुमति देता है। यदि केन्द्र सरकार प्रभावी ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाती तो इतनी अधिक कलाकृतियों की चौरी कदापि न हो पाती। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह इन पुराने भवनों आदि के संरक्षण का कार्य राज्य सरकारों को सौंप दे, यह अधिक प्रभावी सिद्ध होगा।

अन्त में मैं एक बार फिर माननीय मंत्री से अनुरोध करुंगा कि कुछ विदेशी सिक्कों के बदले भारत की यह अमूल्य निधि कलाकृतियों के रूप में देश से बाहर जाने से रोकी जाये और आने वाली पीढ़ियों के लिए इनकी रक्षा की जाये।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : सबसे पहले मैं शिक्षा मंत्री का इतना व्यापक विधेयक लाने के लिये धन्यवाद करता हूं।

सबसे पहले 1894 में एक अधिनियम इस विषय पर बना था। बाद में 1904 में लार्ड कर्जन जो बड़े कलाप्रेमी थे, ने एक अधिनियम बनाया था।

अधिक अच्छा होता यदि कलाकृतियों के आयात के विनियमन के स्थान पर उनके परिरक्षण पर अधिक बल दिया जाता। पता लगा है कि संग्रहालयों के कर्मचारी भी इन कलाकृतियों की चोरी में साथ देते हैं। उन्हें कठोरतम दण्ड दिये जाने चाहिये।

खण्ड 3 के अनुसार, यह कानून विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न तारीखों को लागू होगा। यह ठीक नहीं है। इससे बेईमान लोगों को गड़बड़ी करने का अवसर मिलेगा। अतः यह कानून सभी राज्यों में एक ही तारीख को लागू होना चाहिये।

खण्ड 2 (5) में पुरानी वस्तुओं का 100 वर्ष पुराना होना आवश्यक है जबकि बाद के खण्डों में इन्हें कम से कम 75 वर्ष पुराना होना चाहिये। मेरा सुझाव है कि पाण्डुलिपियों की भांति इनके लिए भी 50 वर्ष का समय पर्याप्त होगा।

कुछ मामलों में पुरातत्व महा निदेशक को सर्वाधिकार दिए गए हैं परन्तु चित्रों आदि के मामले में वह बिना विशेषज्ञों के निर्णय नहीं कर पायेंगे। अतः इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ समिति उन्हें सलाह देने के लिए बनाई जानी चाहिये।

खण्ड 8 में 10 वर्ष पहले दण्डित व्यापारियों आदि को छूट दी गई है। यह नहीं होनी चाहिये। दण्डित व्यक्तियों को कभी भी विमुक्त नहीं किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय प्रत्येक खण्ड पर चर्चा अनियमित है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : विधेयक में केवल सरकारी संग्रहालयों का ही उल्लेख है। नगरपालिकाओं और अन्य पंजीकृत समितियों द्वारा चलाये जा रहे संग्रहालयों को भी बराबर संरक्षण मिलना चाहिये और उन्हें भी कलाकृतियां आदि अर्जित करने की अनुमति होनी चाहिये।

निर्यात के विनियमन के लिए कतिपय वस्तुओं, पुरानी चीजों, कलाकृतियों आदि के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिये।

अन्त में मैं चाहता हूं कि पुरानी वस्तुओं की खरीद के लिए विक्रेता और अधिकारी के गलत लेन-देन को रोकने के लिए मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जानी चाहिये।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : It will have to be admitted that this Bill is a belated measure. Already, many rare antiquities have found their way abroad. Even now many art objects are lying scattered and in a neglected state e. g. in Kolhapur, at Khiddarpur. Government has so far done nothing except displaying warnings.

Government has also been showing apathy in bringing back rare historic antiquities like the Kohinoor and Shivaji's Sword which lies in the British Museum.

Certain individuals who have taken great pains to collect rare art and antique objects, should be registered as art collectors and facilities like free railway pass etc. extended to them.

Lastly, I want Government to come out boldly against the smugglers of such rare art objects.

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं यद्यपि यह काफी विलम्ब से लाया गया है ।

जैसा कि श्री जोशी ने अभी कहा, सरकार नोटिस बोर्ड लगाकर अपना कर्त्तव्य समाप्त समझती है और इसीलिए उड़ीसा में हीरापुर गांव में एक मंदिर में से चौसठी जोगिनियों की कई प्रतिमाएं चोरी चली गई हैं यद्यपि यह मंदिर भारत सरकार के संरक्षणाधीन है। इसी प्रकार चौरासी नामक गांव में 84 मंदिर हैं जिनमें 84 प्रतिमाएं हैं, परन्तु केवल एक मंदिर ही संरक्षित है। यह मंदिर भी जर्जर अवस्था में है और किसी भी समय गिर सकता है ।

इसी प्रकार प्राची घाटी में कुछ लाख रुपये व्यय करके अनेक छोटी छोटी मूर्तियां निकाली गई थीं परन्तु पर्याप्त संरक्षण न होने से इनकी भी चोरी हो रही है । रत्नगिरि में श्रीमती देवाल मित्रा द्वारा खुदाई की गई थी परन्तु अब वहां पर कोई वस्तु नहीं मिलती है । इसी प्रकार अलाला नाथ नामक मंदिर से भी सभी ताम्र पत्र आदि गुम हैं । सरकार को ऐसे स्थानों पर अजायबघर बनवाने चाहिए जहां पर पुरानी वस्तुओं को सुरक्षित रखा जा सके ।

पुरातत्व विभाग के अधिकारियों द्वारा पुराने स्मारकों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए ताकि इनका संरक्षण किया जा सके । पूर्वी सर्किल बहुत बड़ा है । उड़ीसा के लिए भुवनेश्वर में एक पृथक सर्किल बनाया जाना चाहिए । पुराने स्मारकों आदि के फोटो लेकर जिला अधिकारियों को उनकी कापियां दी जानी चाहिए ताकि वे उन स्थानों की अच्छी तरह देख भाल कर सकें । भुवनेश्वर में राजरानी नामक एक मन्दिर है । इसके साथ की सारी भूमि पट्टे पर दे दी गई है जिस कारण यह मन्दिर अपनी सुन्दरता खो बैठा है। कुछ मूर्तियों की चोरी भी हो गई है। ऐसा संरक्षण न होने के कारण ही हुआ है । राजा धर्मकरण के महल में मुगलों के जमाने की अनेक तस्वीरें पड़ी हैं । वह इन को पुरातत्व विभाग को देना चाहते थे । अब उसमें से भी कुछ चीजें गुम हो गई हैं । जगन्नाथपुरी के मन्दिर को अभी प्राचीन स्मारक घोषित नहीं किया गया है ।

इसका प्रबन्ध इस समय राज्य सरकार चला रही है । इसमें कुछ दरारें पड़ गई हैं । उसके अन्दर देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनकी भी एक सूची तैयार की जानी चाहिए । जगन्नाथ के महलपानी की फोटो सभी संग्रहालयों को वितरित की जानी चाहिए । इसमें बताया गया है कि किस प्रकार गुरु नानक तथा शंकराचार्य ने यहां पूजा की । अंग्रेजी शासन में अनेक कलाकृतियां गुम हो गई थीं ।

पुरी के संस्कृत संस्थान में अनेक दुर्लभ पुस्तकें पड़ी हैं । डा० राघवन ने उनको प्रकाशित करने की सिफारिश की थी । यह विधेयक त्रुटिपूर्ण हैं । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें ।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद करता हूं । माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, सरकार उनको क्रियान्वित करने का भरसक प्रयत्न करेगी ।

राजा राममोहन राय के जन्मस्थान राधानगर गांव में उनके मकान का निरीक्षण करने पर पता लगा है कि वहां पर एक आधुनिक ढंग का मकान बना हुआ है और उसका नाम राममोहन स्मृति मन्दिर है । रघुनाथपुर में उनके मकान की कुछ दीवारें ही शेष बची हुई हैं । कलकत्ता स्थित उनके

मकान के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ पत्राचार हो रहा है। आशा है कोई मार्ग निकल आयेगा।

मुर्शिदाबाद स्थित हजरवाली महल को सरकार ने अपने अधोन लेने का निर्णय किया है। इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जायेगा।

कलाकृतियों की चोरी तथा तस्करी को रोकने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे।

यह कहना ठीक नहीं है कि कलाकृतियों की चोरी स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई है। वास्तव में लन्दन तथा यूरोप के अन्य नगरों में स्थित संग्रहालयों में पाई जाने वाली कलाकृतियां स्वतंत्रता से पूर्व भी वहां पर थीं। उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान के कुछ नगरों में अकबर के शासनकाल के कुछ दस्तावेज मिलते हैं परन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जयपुर में अकबर से सम्बन्धित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यह ठीक है कि कुछ राजाओं ने पुराने रिकार्डों तथा कलाकृतियों को सम्भाल कर रखा हुआ है।

कुछ माननीय सदस्यों ने शंका प्रकट की है कि पंजीकरण में कठिनाई होगी। मैं आश्वासन देता हूं कि नियम बनाते समय हम इस बात को ध्यान में रखेंगे और पंजीकरण को सुविधाजनक बनायेंगे।

श्री झारखण्डे राय ने भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक तथा अन्य अधिकारियों के बारे में कहा है। यदि कोई विशिष्ट शिकायत हो, तो मैं उस पर ध्यान दे सकता हूं। परन्तु सामान्यरूप से कोई आरोप लगाना उचित नहीं है। मुझे इस विभाग के अधिकारियों पर पूरा विश्वास है। वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत कलाकारों को लाने का कोई प्रश्न नहीं है।

फीस और कर में महत्वपूर्ण अन्तर है। फीस को कर नहीं कहा जा सकता। यूनेस्को पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अतः इसके निर्यात का प्रश्न यहां नहीं उठाया जाना चाहिए। यह ठीक है कि धन के लिए पुरातत्व वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार भी एक विशेष प्रक्रिया को अपनाये बिना अब इनका निर्यात नहीं कर सकेगी। इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि विधेयक को यथासम्भव शीघ्र पास किया जाये। विधेयक में सभी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

मेरे मित्र द्वारा वृहद्देश्वर मन्दिर का प्रश्न उठाया गया था। मैंने तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री को एक समिति बनाने का सुझाव दिया था ताकि आधुनिक मूर्ति लगाने के लिए उचित स्थान का चयन किया जा सके।

व्हीलर समिति की सिफारिशों को यथासम्भव शीघ्र लागू करने का प्रयास किया जायेगा।

प्राधिकार के प्रश्न को नियमों द्वारा निर्धारित किया जायेगा। मूल्यों के बारे में निर्णय लेने के लिए पहले ही विशेषज्ञों की एक समिति विद्यमान है। मैं इस बात से सहमत हूं कि सुरक्षित स्मारकों के वास्तविक संरक्षण के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। इन स्मारकों की देखरेख के लिए भारत सरकार ने हाल में बड़ी संख्या में चौकीदार नियुक्त किये हैं। हम इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से भी सहयोग प्राप्त कर रहे हैं।

श्री मनोरंजन हाज़रा : मैंने कोहेनूर का प्रश्न उठाया था।

प्रो० एस० नूरुल हसन : यदि इसको लाना इस सदन की शक्ति में होता तो मैं स्वयं लन्दन जाकर इसे ले आता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या एक मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 1 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति का निर्यात-व्यापार नियमित करने पुरावशेषों के तस्करी के कारबार तथा उनमें कपटपूर्ण संव्यवहार के निवारण, सार्वजनिक स्थानों में पुरावशेषों तथा बहुमूल्य कलाकृति के रखे जाने के लिए उनके अनिवार्य अर्जन और उनसे सम्बन्धित अथवा तत्संसक्त या तदानुषंगिक कतिपय अन्य विषयों के बारे में उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड-वार चर्चा होगी।

खण्ड 2

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2,—पंक्ति 9 और 10 के स्थान पर "for the purposes of this Act, which has been in existence for not less than one hundred years ; and" इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जोकि एक सौ वर्षों से कम अवधि का नहीं है, और) शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।

(प्रो० एस० नूरुल हसन)

श्रीमती गायत्री देवी : मैं अपना संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 13 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 as amended, was added to the Bill

खण्ड 3

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 3 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4 से 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 4 to 7 were added to the Bill.

खण्ड 8

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 5 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 9 to 11 were added to the Bill.

खण्ड 12

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 से 17 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 12 से 17 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 12 to 17 were added to the Bill.

खण्ड 18

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 24—

("archive") (पुरातत्व) **के स्थान पर**

("archive; or") (पुरातत्व ; अथवा) शब्द प्रतिस्थापित किये जायें ।

(संख्या 11)

पृष्ठ 6;— पंक्ति 24 **के पश्चात्** निम्नलिखित शब्द अन्त: स्थापित किये जायें—

"(iv) in an educational or cultural institution," [(चार) किसी शैक्षिक अथवा सांस्कृतिक संस्था में,]

(संख्या 12)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 8 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 24—

("archive") (पुरातत्व) **के स्थान पर** "archive; or" (पुरातत्व ; अथवा) शब्द **प्रतिस्थापित किये जायें** ।

(संख्या 11)

पृष्ठ 6 ;— पंक्ति 24 **के पश्चात्** निम्नलिखित शब्द अन्त: स्थापित किये जायें—

"(iv) in an educational or cultural institution," [(चार) किसी शैक्षिक अथवा सांस्कृतिक संस्था में,]

(संख्या 12)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 19

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपने संशोधन संख्या 9 और 10 प्रस्तुत करता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9 और 10 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 9 and 10 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि **खण्ड 19 से 33, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।**"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 19 से 33, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 19 to 33, Clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill.

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक

MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह बहुत ही महत्वपूर्ण परन्तु सरल विधेयक है । देश में खानों के विकास हेतु 1957 में यह अधिनियम पास किया गया था । इस अवधि के दौरान देश ने बहुत प्रगति की है । कोयले का उत्पादन 1955 में 390 लाख टन था जो 1971 में 950 लाख हो गया है इसी प्रकार लौह अयस्क के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है । इन पर आधारित उद्योगों में भी भारी वृद्धि हुई है । अब खोज, विकास और उत्पादन में तथा इन खनिजों पर आधारित उद्योगों में उचित तालमेल रखने की आवश्यकता

है। खनिज उद्योगों के तेजी से विकास के लिए एक साधन बनाने की आवश्यकता है। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में खनिजों के विकास और विनियमन की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर डाली गई है। केन्द्र तथा राज्यों में उचित समन्वय इस अवधि के दौरान बना रहा है। राज्य सरकारों ने खनिजों के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है।

देश में बिजली, इस्पात, उर्वरक, अल्यूमिनियम और तांबे के लक्ष्यों को पांचवीं तथा छठी योजना में तभी पूरा किया जा सकता है जबकि खानों का विकास भी बहुमुखी हो।

खनिज सलाहकार बोर्ड की जिसमें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों तथा वाणिज्यिक संघ के प्रतिनिधि हैं, वर्ष में एक बार सलाह मशिवरों के लिए बैठक होती है। समस्याओं पर विस्तृत रूप में विचार किया जाता है। इनसे मिलने वाली जानकारी तथा सुझावों का लाभ उठाया जाता है। सम्बन्धित नियमों के बारे में समेकित दृष्टिकोण अपनाने के लिए राज्य सरकारों के सम्बन्धित मंत्रियों की प्रति वर्ष बैठक बुलाई जाती है।

खनिज सलाहकार बोर्ड में किये गये विचार-विमर्श से यह निष्कर्ष निकाला गया कि खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम में ऐसा सुधार किया जाना चाहिए जिससे विकास की नयी दिशा के अनुरूप उक्त अधिनियम में नये उपबन्ध जोड़े जा सकें और उसमें विद्यमान दोषों को दूर किया जा सके। विभिन्न राज्यों में भूमि-सुधार के उद्देश्य को लेकर जो कानून बनाये गये हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भी उच्च कानून में संशोधन करना आवश्यक है। विधेयक के खण्ड 9 में ऐसी व्यवस्था की गई है। खनन पट्टों के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निर्धारित करने के संदर्भ में भी यह आवश्यक है कि उक्त नियम में कुछ सुधार किये जायें। कुछ संशोधनों का सम्बन्ध उन खनिज भंडारों के अधिकार से है जो भारत की समुद्र-सीमा में है अथवा महाद्वीपीय मग्नतट में कहीं पर भी विद्यमान हैं। समुद्र स्थित खनिज के खोज और विदोहन के नये तरीके विकसित हो जाने के कारण भी यह विधेयक लाना आवश्यक हो गया था। इस विधेयक के द्वारा सरकार को यह अधिकार भी दिया जा रहा है कि वह उन क्षेत्रों में भी खनिज-भंडारों के बारे में अनुमान लगा सके जहां के लिए किसी व्यक्ति विशेष को खनिज निकालने का पट्टा दिया हुआ है अथवा जहां का खनन पट्टा दिया हुआ है। विधेयक के खंड 2 में यह व्यवस्था की गई है कि लोक हित में केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर राज्य सरकारें पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही पट्टों को समाप्त कर सकेंगी और सम्बन्धित क्षेत्र को सरकारी निगम को सौंप सकेंगी। इन शब्दों के साथ मैं उक्त प्रस्ताव करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम): श्रीमान मैं संशोधनों का सामान्य रूप से समर्थन करता हूं। खान तथा खनिजों के कार्यकरण में जो दोष थे उन्हें दूर करने में 14 वर्ष का समय लगा। किसी व्यक्ति विशेष को दिये गये खनन पट्टे और खनिज निकालने के लाइसेंस पर अधिकतम सीमा लागू करने; खनन पट्टेधारी को, खानों से उनके एजेन्टों आदि द्वारा निकाली गई खनिजों के सम्बन्ध में रायल्टी की राशि का भुगतान अनिवार्य करने; किराये की मरी हुई राशि को आकलन के लिए सांविधिक आधार की व्यवस्था करने; समुद्रगत खनिज-भंडार के विदोहन आदि से सम्बन्धित नियमों को लागू किये जाने; और पत्थर की खानों पर लघु खनिज नियम लागू करने आदि जैसी मुख्य बातों का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। खनन पट्टों को अवधि से पूर्व समाप्त करने के उपलब्ध का भी मैं स्वागत करता हूं। खनिज निकालने के लिए दिये गये लाइसेंस को 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तथा खनन पट्टों को 10 वर्ग किलोमीटर तक सीमित किये जाने के उपबन्ध भी तर्कसंगत हैं। पूरे देश की प्रगति और खानों के विकास की दृष्टि से मैं यह चाहता हूं कि देश में सभी खानों का

राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। प्रस्तुत विधेयक द्वारा भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग को सर्वेक्षण करने का जो अधिकार दिया गया है, उसका उपयोग ठीक ढंग से किया जाना चाहिए ताकि खड़ी फसलों को अधिक हानि न हो। खान सम्बन्धी सर्वांगीण विकास में श्रमिकों के हितों की रक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर आगे चर्चा अगले दिन होगी। अब हम गैर सरकारी-सदस्यों का कार्य लेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

17 वां प्रतिवेदन

श्री माधुर्य्य हालदार (कथुरापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 17वें प्रतिवेदन से, जो 23 अगस्त, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 17वें प्रतिवेदन से, जो 23 अगस्त, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

पश्चिम बंगाल की आर्थिक गतिरोध सम्बन्धी अविलम्बनीय समस्याओं के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: URGENT PROBLEMS OF ECONOMIC STAGNATION OF WEST BENGAL

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री इन्द्रजीत गुप्त के निम्नलिखित संकल्प पर आगे विचार करेगी।

"यह सभा मांग करती है कि सरकार पश्चिम बंगाल के आर्थिक गतिरोध सम्बन्धी अविलम्बनीय समस्याओं के समाधान के लिये अपने वचनों और उत्तरदायित्वों को अविलम्ब तथा बिना शैथिल्य निभाये।"

श्री बी० के० दासचौधरी अब अपना भाषण पूरा कर लें।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) श्रीमान, देश की पंचवर्षीय योजनाओं के बनाये जाने और उनकी क्रियान्विति में आरम्भ से ही दोष रहे हैं और यही कारण है कि गरीब तथा अमीर के बीच अन्तर बढ़ा है और क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है। भारत का पूर्वी भाग यद्यपि प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है किन्तु उनकी महत्ता दिन पर दिन घटती जा रही है। इस क्षेत्र के सामान्य रूप से सभी

राज्य पश्चिम बंगाल आसाम बिहार और उड़ीसा तथा त्रिपुरा और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में पिछड़ते जा रहे हैं। इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई नितियां जिम्मेदार हैं।

कृषि उपजों में इस क्षेत्र में जूट प्रमुख है। इसके सम्बन्ध में मूल्य-नीति का उदाहरण देखिये। वर्ष 1965 में पटसन का मूल्य 190 रुपये और चीनी का मूल्य 160 रुपये था। वर्ष 1970-71 में पटसन का मूल्य घटकर 160 रुपये रह गया और चीनी का मूल्य बढ़कर 239 रुपये हो गया। इस प्रकार इस क्षेत्र को पटसन के कम मूल्य के कारण 3000 करोड़ रुपये की हानि हुई जिसमें बड़ा भाग पश्चिम बंगाल का है। अत: भारत सरकार को मूल्य-नीति में आर्थिक सर्वेक्षण के निदेशों के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। जब तक कुछ मूल नीतियों में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प को सरकार सिफारिश के रूप में न लेकर चेतावनी के रूप में ले। चाहे केन्द्रीय सरकार इस आरोप का कितना ही खंडन करे कि वह पश्चिम बंगाल के प्रति उदासीन नहीं है, किन्तु यह है तथ्य। अत: यदि वर्तमान व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन शीघ्र ही नहीं किया जाता तो देश में एक ऐसी अशान्ति उत्पन्न होगी जिससे दिल्ली में बैठे हुए शासक भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। मेरे विचार से पिछले तीन दशकों से पश्चिम बंगाल में तनाव चला आ रहा है। सन् 1943 में दुर्भिक्ष से लेकर वर्ष 1971 में शरणार्थियों के दबाव से यहां तनाव रहा है। अब यहां की स्थिति उबाल-बिन्दु पर पहुंच गई है और किसी भी दिन उसमें उफान आ सकता है।

पश्चिम बंगाल को समय-समय पर आश्वासन दिये जाते हैं किन्तु उनको पूरा नहीं किया जाता। फरक्का बांध अथवा हुगली नदी पर दूसरे पुल के बारे में दिये गये आश्वासनों को पूरा न किये जाने के उदाहरण उपरोक्त कथन को सिद्ध करते हैं। अदूरदर्शितापूर्ण योजना और प्रशासनिक स्तर पर मतिमन्दता ने पश्चिम बंगाल के देहाती लोगों की परेशानियों को और अधिक बढ़ाया है। ऐसा लगता है मानों पश्चिम बंगाल में 'कांस्य-युग' के निवासी रह रहे हों। वहां पर भूमि-सुधार ठीक से नहीं किये गये। वहां के पटसन-उत्पादकों को ठगा गया। अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बहुत अधिक है।

कलकत्ते के जीर्ण-शीर्ण हवाई अड्डे की ओर मैं पर्यटन और नागर विमानन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं। उसकी हालत में सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत के पूर्वी भाग के राज्यों में यही एक हवाई अड्डा महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के पोषण के लिए भी यह आवश्यक है। पश्चिम बंगाल राज्य की जो उपेक्षा की जा रही है उससे वहां पिछड़ापन बढ़ रहा है और वहां के लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। यदि पश्चिम बंगाल के विकास और प्रगति के लिए कोई ठोस कार्यवाही तत्काल नहीं की गई तो वहां से कुछ ऐसा धमाका होगा जिससे सम्पूर्ण देश और देश की सरकार हिल उठेगी।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में ही मैं इस आरोप का खंडन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार नागर विमानन के मामले में कलकत्ते की उपेक्षा कर रही है। कलकत्ते के हवाई अड्डे के विकास के लिए पर्याप्त राशि खर्च की जा चुकी है और की जा रही है। वहां दो करोड़ रुपये की लागत से टरमिनल बिल्डिंग बनाई गयी ; 1.2 करोड़

रुपये की लागत से एयरपोर्ट होटल बनाया गया ; 0.5 करोड़ रुपये की लागत से कंट्रोल टावर बनाया गया ? इससे सिद्ध होता है कि सरकार कलकत्ते के हवाई अड्डे के प्रति उदासीन नहीं है।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का सम्बन्ध है, इनके बारे में निर्णय विभिन्न देशों की अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां वाणिज्यिक आधार पर लेती हैं। वहां पर निश्चित रूप से यात्रियों की संख्या कम हुई होगी, तभी उन्होंने कलकत्ता से होकर जाने वाली उड़ानें बन्द की हैं। जहां तक पर्यटन विभाग का सम्बन्ध है, वह पर्यटकों को कलकत्ता जाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देता है। कलकत्ता और पूरे पश्चिम बंगाल के बारे में प्रचार करने के लिए सरकार ने पर्यटन विभाग और एयर इंडिया के सभी कार्यालयों को निदेश दे रखे हैं। इसके अतिरिक्त, 3 नवम्बर से एयर इंडिया द्वारा कलकत्ता-लन्दन-कलकत्ता सेवा आरम्भ की जा रही है। जैसे ही हमारी जम्बो विमान सेवा टोकियो के लिए आरम्भ होगी वैसे ही यह सेवा कलकत्ते से होकर जाया करेगी। अन्त में, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हमारा विभाग कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा जिससे पश्चिम बंगाल राज्य या कलकत्ते के हितों को ठेस पहुंचती हो, क्योंकि यह भारत का एक महत्वपूर्ण भाग है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं पश्चिम बंगाल की सभी समस्याओं का उल्लेख तो नहीं करूंगा। मैं केन्द्रीय सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का उल्लेख करना चाहता हूं, जिससे पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले मैं सेना में भर्ती से सम्बन्धित नीति को लेता हूं। सेना में उत्तरी राज्यों की तुलना में पश्चिमी बंगाल या अन्य पूर्वी राज्यों के कम लोग भर्ती किये जाते हैं। वर्ष 1970-71 में सेना में आसाम के 1038, उड़ीसा के 523, बिहार के 2300, पंजाब के 7353, हरयाणा के 3780, उत्तर प्रदेश के 7460, जम्मू तथा काश्मीर के 1375 व्यक्ति थे जबकि पश्चिमी बंगाल के केवल 1114 व्यक्ति थे। इनमें से भी अधिकतर गैर-बंगाली गोरखा थे। इसका मतलब यह है कि पश्चिमी बंगाल से केवल 2% लोग भर्ती किये गये जबकि हरयाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे देशों से 60 प्रतिशत भर्ती किये गये। इससे न केवल बंगालियों की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है बल्कि इससे राज्य के औद्योगिक विकास, कृषि विकास और उसकी आर्थिक क्षमता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। एक विद्वान लेखक के अनुसार, 1971 में हरयाणा और पंजाब के जवानों की वार्षिक बचत 200 करोड़ रुपये थी। यह राशि उन राज्यों के उद्योगों और कृषि-क्षेत्र में लगती है और इसका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सेवाओं में तीसरी श्रेणी में 10 प्रतिशत और चौथी श्रेणी में 20 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक रखे जाने चाहिएं। इससे उन राज्यों को अधिक लाभ होगा जिनका प्रतिनिधित्व सेना में अधिक है। अतः केन्द्रीय सेनाओं में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसाम को उनका उचित शेयर मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल रक्षा के लिए 200 करोड़ रुपये का राजस्व देता है। किन्तु सेना में वहां के व्यक्ति कम भर्ती किये जाते हैं। भर्ती के मामले में यह भेदभावपूर्ण नीति समाप्त की जानी चाहिए। इस क्षेत्र में रोजगार-क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। थल सेना, वायु सेना और नौसेना में भर्ती सम्बन्धी इस नीति का बंगाल के नौजवानों के स्वाभिमान पर कुठाराघात ही नहीं होता बल्कि इसका परोक्ष रूप से पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एवं कृषि विकास की क्षमता और रोजगार की स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। देश के विभाजन से पूर्व समस्त भारत में पूर्वी बंगाल में मध्य दर्जे के लोगों की संख्या सर्वाधिक थी। इन लोगों में 90 प्रतिशत लोग अब पश्चिम बंगाल में आ गये हैं और इन्हीं लोगों के कारण अब पश्चिम बंगाल में विस्फोटक स्थिति है। यदि सरकार ने इस समस्या को हल

करने के लिये कोई उचित कार्यवाही नहीं की तो पश्चिम बंगाल में वास्तव में विस्फोट हो जायेगा। इसलिये पश्चिम बंगाल की समस्याओं के साथ निपटने के लिये भावुक और आदर्शवादी मध्य दर्जे के बंगालियों को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती करने हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : जहां तक फरक्का बांध से पानी छोड़े जाने का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही एक लम्बा विवरण सभा-पटल पर रख दिया है। पश्चिम बंगाल के बहुत ही प्रतिष्ठित मुख्य इंजीनियर श्री मान सिंह और एक और मुख्य इंजीनियर श्री मजुमदार ने मिल कर इस मामले की जांच की थी और विचार विमर्श किया था और कहा था कि कलकत्ता पत्तन को सुचारु रूप से चलाने के लिये लगभग 20,000 क्यूसेक्स पानी पर्याप्त होगा। इसके बाद हमने प्रोफेसर हुसेन के साथ परामर्श किया वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि 20,000 क्यूसेक्स पानी पर्याप्त नहीं होगा बल्कि 40,000 क्यूसेक्स पानी की आवश्यकता होगी और उन्होंने एक परिचालन कार्यक्रम भी दिया है। हमने उसी को स्वीकृति प्राक्कलन में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार 10 महीनों के लिये 40,000 क्यूसेक्स पानी के लिये और मार्च से मई के मध्य तक 20,000 क्यूसेक्स पानी के लिये परिचालन कार्यक्रम बनाया गया।

श्री बी० के० दास चौधरी ने कहा था कि प्राक्कलन समिति के विचार में 40,000 क्यूसेक्स पानी होना चाहिये था। प्राक्कलन समिति ने परियोजना का केवल विवरण दिया था और उन्होंने केवल इतना कहा था कि परियोजना पूरी हो जाने के बाद गंगा से भागीरथी को 40,000 क्यूसेक पानी दिया जा सकेगा हमारा भी यही विचार है। लगभग दो महीने के लिये 20,000 क्यूसेक पानी दिया जायेगा। प्राक्कलन समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। यह पूछा गया था कि इस बारे में गंगा-ब्रह्मपुत्र आयोग के साथ विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया है। वस्तुतः इस आयोग की स्थापना इस लिये की गई थी कि वे उन परियोजनाओं के बाढ़ नियंत्रण पहलू पर विचार करे जिनमें बाढ़ आने से एक से अधिक राज्यों पर प्रभाव पड़ता हो। इस आयोग की स्थापना किसी सिंचाई या अन्य परियोजनाओं के लिये नहीं की गई थी। अतः उसके साथ परामर्श नहीं किया गया था।

जहां तक जंगीपुर में तालों के आकार का सम्बन्ध है, वस्तुस्थिति यह है कि मूल प्राक्कलन में तालों की कोई व्यवस्था नहीं थी। जंगीपुर और भागीरथी के मुहाने पर जो कुछ हुआ है जहां यह पद्मा नदी से अलग होती है, और जिस क्षेत्र में रेत जमा होती रहती है, उसका कारण यही है। उस स्थिति में पानी का बहाव केवल तीन महीने तक रहता था। शेष महीनों में पानी सूख जाता है। इसलिये तालों का कोई उपयोग नहीं समझा जाता था। फिर हमने यह सोचा कि एक बड़े ताल की व्यवस्था करना ठीक होगा जिससे वे फीडर नहर से हो कर गंगा में जायें। इस लिये मूल प्राक्कलन में इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। परन्तु मेरे आग्रह पर सम्पूर्ण मामले पर फिर विचार किया गया और हमें परामर्श दिया गया कि देहाती नावों के स्थानान्तरण के लिये इन तीन महीनों में भी ताला लगाया जाना चाहिये। यह छोटा नहीं है, यह 234 फुट लम्बा और 42 फुट चौड़ा है और यह तीन महीनों तक काम करेगा। शेष अवधि में नावें फीडर नहर से हो कर गंगा या पद्मा में जाती हैं।

गंगा-ब्रह्मपुत्र की समस्याओं के बारे में हम पूर्णतया जागरूक हैं। गंगा में 4000 लाख एकड़ फुट पानी है। दुर्भाग्य से यह पानी सारा वर्ष नहीं चलता है। दो महीनों में बहुत कम पानी आता है। हमें 20-30 लाख एकड़ फुट की आवश्यकता होगी और इस प्रयोजन के लिये गंगा को ब्रह्मपुत्र के साथ जोड़ना बहुत लाभप्रद होगा। परन्तु ऐसा करने के लिये हमें बंगला देश के साथ विचार-

विमर्श करना होगा। इन दो महीनों में विभिन्न परियोजनाओं की मांगें पूरी करने के लिये नलकूपों के माध्यम से भूमिगत पानी की सप्लाई करने की सम्भावनाओं तथा अन्य बहुत से तरीकों पर विचार करना होगा। मेरे विचार में कुछ परियोजनाएं आरम्भ करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

हम इसके लिये दृढ़प्रतिज्ञ हैं कि कलकत्ता पत्तन सुचारु रूप से कार्य करता रहे और वह अधिक से अधिक सुन्दर बने। जैसे ही प्रोटोटाइप परियोजना का परिणाम सामने आयेगा, हम आगे कार्यवाही करेंगे। पानी के अन्तर को पूरा करना कोई कठिन कार्य नहीं है।

यह कहना गलत है कि पश्चिम बंगाल में सिंचाई की प्रतिशत कम है। पश्चिम बंगाल में खेती वाला क्षेत्र 16,50,000 एकड़ है। वहां की 450 लाख जनता के लिये गहन खेती की जानी चाहिये। अतः हमें सिंचाई को व्यवस्था का प्रसार करके उसे कम से कम दुगना कर देना चाहिये। परन्तु यह बात गलत है कि बंगाल की उपेक्षा की गई है।

दामोदर घाटी निगम में अनेक बांध हैं। हमने माइथोन और पंचेट क्षेत्र में पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिये पूरी भूमि अर्जित नहीं की है, मैंने इस मामले की जांच करने के लिये इंजीनियरों की एक समिति नियुक्त की थी। वे चाहते थे कि उन क्षेत्रों का अर्जन किया जाना चाहिये। बिहार सरकार ने भी गया और हजारीबाग में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये कहा है। अतः हम ने एक अन्य समिति नियुक्त की थी जिसने इसी प्रकार की सिफारिश की है। मैंने दोनों समितियों के प्रतिवेदन मुख्य मंत्रियों को भेज दिये हैं और उन्हें कहा है कि वे मेरे साथ बातचीत करें। दोनों मुख्य मंत्रियों ने मेरी उपस्थिति में इस मामले पर चर्चा की थी। उन्होंने एक कार्यकारी दल बनाया था। कार्यकारी दल का प्रतिवेदन मिलने पर इस सम्पूर्ण मामले पर फिर चर्चा की जायेगी और मुझे विश्वास है कि कोई न कोई मित्रतापूर्ण समझौता हो जायेगा।

पश्चिम बंगाल में बिजली की अधिष्ठापित क्षमता लगभग 1700 मेगावाट है। वहां लगभग 1100 मेगावाट का भार है और 1700 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता 1100 मेगावाट की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त से अधिक है। दामोदर घाटी निगम में भार अधिक है और बिजली बार-बार बन्द हो जाती है। यदि 50 मेगावाट की और व्यवस्था हो गई तो बिजली बन्द नहीं हुआ करेगी। परन्तु इसके लिये हमें नई परियोजनाओं के पूरा हो जाने तक प्रतीक्षा करनी होगी। संथालडीह और चन्द्रपुर यूनिट शीघ्र तैयार हो जायेंगे। इनके पूरा हो जाने पर हम कलकत्ता को और बिजली दे पायेंगे। मुझे आशा है कि हम एक वर्ष भीतर इन कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे। योजना आयोग ने बंदेल विस्तारण और घालकोला परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है। भविष्य में और परियोजनाओं की भी मंजूरी दी जायेगी।

यह ठीक है कि पश्चिम बंगाल में ग्राम्य विद्युतीकरण की स्थिति बहुत खराब है। परन्तु अब हम इस को 10 प्रतिशत कर रहे हैं। ग्राम्य विद्युत निगम पश्चिम बंगाल में लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहा है। पारेषण लाइनों के लिए एक करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इतनी राशि प्रत्येक राज्य के लिये मंजूर नहीं की जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम पश्चिम बंगाल की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि सभी विभाग इसकी ओर अधिक से अधिक ध्यान दे रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): मैं एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता था कि श्री इन्द्रजीत

गुप्त के संकल्प में "आर्थिक गतिरोध" के बाद "और बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति" शब्द और जोड़ दिये जाये। आर्थिक गतिरोध के साथ-साथ हमें बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

कानून और व्यवस्था की समस्या कोयला खान क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षत्रों में भी है। टेकसमाको और जय इंजीनियरिंग में गुण्डों के कारण, जो पुलिस के साथ सांठ-गांठ रखते हैं, सैकड़ों श्रमिक काम पर नहीं जा सकते। आर्थिक विकास के लिये कोई भी उपाय किये जायें परन्तु जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं किया जाता तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। कलकत्ता के लिये वृत्ताकार रेलवे की व्यवस्था के बारे में रेलवे मंत्री ने ही नहीं बल्कि अन्य मंत्रियों ने भी आश्वासन दिये थे परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या मंत्री महोदय श्री डी० पी० धर आश्वासन देंगे कि हावड़ा-आमदा और हावड़ा-शरटाला लाइट रेलवे को दुबारा खोला जायेगा। 24 परगना में डिब्बे बनाने वाले कारखाने की स्थिति बहुत शोचनीय है और उसके प्रबन्धक भ्रष्ट हैं। एक समिति ने इस कारखाने के बारे में प्रतिवेदन भेजा है कि इस कारखाने का प्रबन्धक सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिये। परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि रामपुरिया कॉटन मिल्स और लक्ष्मीनारायण कॉटन स्पिनिंग मिल्स के बारे में जांच पूरी हो गई है और उनका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये कार्यवाही की जा रही है। अब पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार इन कारखानों को अपने हाथ में लेने के लिये 2 लाख रुपये की मंजूरी दी है। केवल रामपुरिया मिल से श्रमिकों की 24 लाख रुपये की भविष्य निधि की राशि ली जानी है। फिर अब यह उदारता दिखाई जा रही है कि वे इस कारखाने को दुबारा खोल रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल सरकार कहती है कि केन्द्रीय सरकार को अनुमति मिलने पर 20 लाख रुपये और दिये जायेंगे। केन्द्रीय सरकार कहती है कि आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और जांच की जा रही है। स्थिति यह है कि न कारखाने खोले जा रहे हैं और न उनको अपने नियंत्रण में लिया जा रहा है। अब भी लगभग 400 कारखाने बन्द पड़े हैं। यदि इन कारखानों को दुबारा खोला जाये तो 1 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कानून और व्यवस्था की स्थिति की जांच करें और ऐसे स्थिति बनायें जिसमें जनता के विभिन्न वर्गों के लोकतंत्रात्मक संगठन निर्भय होकर अपना कार्य कर सकें और श्रमिक काम पर जा सकें।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : केन्द्रीय सरकार की योजनाओं और केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से पता चलेगा कि अन्य राज्यों की तुलना में योजनाबद्ध विकास का अधिक लाभ पश्चिमी बंगाल को पहुंचा है। डा० बी० सी० राय के दस वर्षों के कार्यकाल में कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में अनेक कारखाने स्थापित किये गये थे। परन्तु डा० राय के निधन के बाद श्रमिकों को उकसाया जाने लगा, नियोजकों का घेराव करने और उनको डराने धमकाने की नीति अपनाई जाने लगी। आज उसी का परिणाम यह गतिरोध है। इस प्रकार की कार्यवाही के परिणामस्वरूप कम से कम 5000 कारखाने बन्द हो गये थे।

श्रमिकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये। परन्तु श्रमिक संघों का यह भी कर्तव्य है कि वे उत्पादन की ओर ध्यान दें, उद्यमकर्ताओं और सरकार की सहायता करें ताकि वे और उद्योग

स्थापित करें जिससे उत्पादन बढ़े। विश्व में कहीं भी घेराव और हत्या करने से औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। इस प्रकार की कार्यवाहियों के लिए साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) जिम्मेदार है।

हमारा देश एक विकासशील देश है। हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए। आज एक एक उद्योग में अनेक श्रमिक संघ बने हुए हैं और कोई न कोई संघ हड़ताल करता रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि देश में उत्पादन कम होता है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने को जबरदस्त हानि उठानी पड़ी है। यदि ये संघ सहयोग करते तो दुर्गापुर कारखाने की क्षमता को दुगना किया जा सकता था और देश को आत्म निर्भर बनाया जा सकता था। केवल सरकार की आलोचना करने से कोई समस्या हल नहीं हो सकती। जापान, जर्मनी तथा अन्य देशों में श्रमिक संघ एक वर्ष का करार कर लेते हैं और फिर पूरा वर्ष कोई गड़बड़ नहीं होती। परन्तु यहां यदि आज कोई करार किया जाता है तो दूसरे दिन उसे तोड़ दिया जाता है। जब तक इस स्थिति में सुधार नहीं किया जाता तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता।

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर): जहां तक फरक्का बांध और कलकत्ता पत्तन तथा कलकत्ता हवाई अड्डे की एयर इण्डिया द्वारा उपेक्षा किये जाने के आरोप का सम्बन्ध है, नगर विमानन मंत्री तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री ने अपने-अपने विषयों के बारे में बता दिया है। फिर भी जहां तक कलकत्ता पत्तन के भविष्य का सम्बन्ध है, यह केवल पश्चिम बंगाल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पश्चिम बंगाल के लिये इसका इतना ही महत्व है कि यह वहां पर स्थित है। समस्त देश की अर्थ व्यवस्था कलकत्ता पत्तन के उचित एवं दक्षतापूर्ण कार्यकरण से सम्बद्ध है। मुझे विश्वास है कि डा० राव के विस्तृत वक्तव्य के बाद फरक्का बांध और पानी की मात्रा के बारे में माननीय सदस्यों के मन में जो शंकाएं थीं, वे दूर हो गई होंगी।

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज के बारे में वस्तुस्थिति यह है कि बोदरा नामक स्थान पर ड्रिलिंग द्वारा तेल का पता लगाने के लिये हमें उपलब्ध किये गये आंकड़ों के आधार पर हमने कार्यवाही की है। हमें पता चला है कि तेल निकलने की सम्भावना लगभग समाप्त हो गई है। हमने स्थिति की फिर समीक्षा की है। अब तेल या गैस के प्रमुख स्थानों का पता लगाने के लिये आधुनिकतम औजारों से आधुनिक भूकम्पीय अध्ययन आरम्भ किया गया है। यह तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों के विचार में ही नहीं बल्कि रूसी विशेषज्ञों के विचार में भी यह आवश्यक है। मैं इस संकल्प के प्रस्तावक, उनके सहयोगियों और पश्चिम बंगाल की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि उन्हें हमारे इरादों पर सन्देह नहीं करना चाहिये। जैसे ही यह कार्य समाप्त होगा, हम खोज का काम तीव्र गति से आरम्भ करेंगे।

जहां तक विद्युत की कमी का सम्बन्ध है, डा० राव ने बता दिया है कि पश्चिम बंगाल में विद्युत प्रजनन के बारे में क्या उपाय किये जा रहे हैं। जहां तक तात्कालिक समस्याओं का सम्बन्ध है, हमें अधिष्ठापित क्षमता का जो अप्रयुक्त पड़ी रहती है, उपयोग करने के लिये समुचित उपाय करने चाहिये। पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण में कुप्रबन्ध की ओर श्री इन्द्रजीत गुप्त ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मुझे भी इस बारे एक शिकायत मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने विद्युत प्रजनन और वितरण में कुछ दोषों और त्रुटियों की शिकायत की है। मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करें जिसमें केन्द्रीय सरकार के तथा अन्य

विशेषज्ञ सम्मिलित किये जायेंगे जो इस बात का पता लगायेगी कि (क) हम कैसे और कितनी जल्दी पश्चिम बंगाल में विद्युत प्रजनन के लिये उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग करने की स्थिति में होंगे और (ख) कम से कम हानि और अधिकतम दक्षता के साथ बिजली वितरण कार्य को संगठित कर सकेंगे। मुझे आशा है कि लगभग दो महीनों में इस रोग का और इसके इलाज का सही स्वरूप सामने आ जायेगा।

मैं आये दिन मिलने वाली इन खबरों से परेशान हो गया हूं कि अमुक स्थान पर दंगे हो गये हैं और अमुक स्थान पर किसी बैठक में अव्यवस्था फैलाई गई है। मैंने कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में भी काफी कुछ सुना है और उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। परन्तु विगत घटनाओं के लिये मैं किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं करना चाहता। यदि हम पश्चिम बंगाल में क्रमबद्ध और शान्तिपूर्ण विकास चाहते हैं और अपनी अर्थ व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं तो अव्यवस्था की स्थिति समाप्त करनी होगी। यदि अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों को पनपने न दिया जाये तो हम विकास कर सकते हैं। हमें हिंसा का परित्याग कर देना चाहिये।

पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का आधार औपनिवेशिक था, यद्यपि यह राज्य स्वतंत्रता पूर्व उद्योगों की स्थापना में अग्रणी रहा था। पटसन और कोयला उद्योग इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, दुर्भाग्यवश कई कारणों से दोनों उद्योगों को हानि उठानी पड़ी।

छठे दशक में इंजीनियरिंग उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, दुर्भाग्यवश मंदी के कारण इसको भी संकट का सामना करना पड़ा था। इस मंदी के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। वस्तु तथ्य यह है कि इंजीनियरिंग उद्योगों को मन्दी के कारण भारी हानि उठानी पड़ी है जिससे पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ा है।

मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि वहां कृषि विकास की प्रगति बड़ी धीमी रही है, मैं विवाद में पड़े बिना इसके निवारण हेतु सुझाव दूंगा।

औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में उद्योगों का विविधीकरण तथा उसमें पूंजी निवेश अत्यन्त आवश्यक है। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो आश्वासन दिया है, उसे वह पूरा करेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह आश्वासन क्या है ?

श्री डी० पी० धर : परम्परागत उद्योगों के स्थान पर नए-नए उद्योगों की स्थापना की जाएगी जैसे पेट्रोलियम-रसायन उद्योग, इस्पात-मिश्रधातु उद्योग आदि।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या आपको पता है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए 55 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला है ?

श्री डी० पी० धर: यह कृषि का विषय है, मैं अभी उद्योगों की बात कर रहा हूं। जहां तक इंजीनियरिंग उद्योगों का संबंध है, यह एक फैशन सा बन गया है कि प्रत्येक उद्योग का पूर्ण लाभ उठा-कर उसे बाद में संकटग्रस्त घोषित कर दिया जाता है और अंततोगत्वा सरकार से उसे अपने नियंत्रण में लेने को कहा जाता है। अब तो अच्छे-खासे उद्योगों को भी संकटग्रस्त घोषित किया जा रहा है।

मुझे भय है कि यदि ऐसा चलता रहा तो एक समय ऐसा आयेगा जब सरकार को इन्हें अपने अधिकार में लेने की क्षमता समाप्त हो जाएगी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने जो योजना बोर्ड बनाया है, वह अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति से हमने यह निश्चय किया है कि औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की सहायता की जाये अथवा कतिपय मिलों, उपक्रमों के कार्य की पूर्णत: जांच करने के लिए नई व्यवस्था बनाई जाये।

गत दो-तीन वर्षों से हमने उद्योगों के लिए ऋयादेश बढ़ाने हेतु प्रयास किये हैं। हमें आशा है कि पश्चिम बंगाल के उद्योगों को अपेक्षित वित्तीय सहायता, बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था आदि देकर उन्हें सक्षम बनाया जा सकता है। हम वहां इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक पटसन का संबंध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि उनके मूल्य में वृद्धि की जानी चाहिए, परन्तु यह अधिक महत्वपूर्ण है कि मूल्यों में जो भी वृद्धि की जाये वह अन्ततः उत्पादक को मिले, न कि बिचौलियों के जेब में चला जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पटसन जांच समिति के प्रतिवेदन को दबाव में आकर प्रकट करने नहीं दिया जा रहा है।

श्री डी० पी० धर: ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अथवा सरकार किसी के दबाव में नहीं है। सरकार पश्चिम बंगाल में जो उपाय अपनाना चाहती है उसकी सूची बहुत लंबी है जैसे उद्योगों को सहायता देना, उसका विविधीकरण तथा विस्तार, रोजगार के अवसर उपलब्ध करना आदि कृषि के मामले में युक्तियुक्त प्रगतिशील भूमि कानून बनाए जा रहे हैं जिससे किसान अधिकाधिक उत्पादन करने में समर्थ हो सके। इसके अलावा एकमुश्त कार्यक्रम बनाया जा रहा है जिससे न केवल बड़े अपितु छोटे किसानों को उत्तम बीच, उर्वरक, कीटाणुनाशक औषधियां सुलभ हो सकें। हमारा यह देखना कर्त्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार की सुविधाएं जरूरतमंदों के पास पहुंचे, पश्चिम बंगाल सरकार और उसके योजना बोर्ड ने जो कार्यक्रम बनाया है, वह निःसंदेह प्रशंसनीय है। इसको क्रियान्वित करने से वहां का संपूर्ण चित्र ही बदल जायेगा।

पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या बड़ी जटिल है। वहां की अर्थव्यवस्था में तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता, जब तक इन बेरोजगारों की समस्या को हल नहीं किया जाता। पश्चिम बंगाल सरकार और उसके योजना बोर्ड ने इस संबंध में जो कार्यक्रम बनाए हैं, वे थोड़े समय में लाभ पहुंचाने वाले हैं।

सरकार सहित हम सब इस बात से सहमत हैं कि पश्चिम बंगाल की समस्या का निराकरण करने हेतु इसके साथ अन्य राज्यों से भिन्न व्यवहार किया जाये। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इस राज्य में एक से एक मुसीबत आती रही है और अभी हाल में उसने भारी संख्या में शरणार्थियों को संभाला है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इस राज्य की समस्याओं को सुलझाने में प्राथमिकता देगी। मुझे आशा है कि इस संकल्प के प्रस्तावक अपने सुझावों पर पुनर्विचार करेंगे और पश्चिम बंगाल की आर्थिक प्रगति के अवरोधों को दूर करने में हमें अपना सहयोग देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मुझे इस बात को प्रसन्नता है कि कई मंत्रियों ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं नए योजना मंत्री को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस मामले में विशेष दिलचस्पी दिखाई है तथा इस राज्य के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा दिया है।

मैं योजना मंत्री से इस बात पर सहमत हूं कि उन्हें सभा से पश्चिम बंगाल के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मुझे आशा है कि वहां की स्थिति के बारे में सभा में कभी विस्तार से चर्चा होगी।

फरक्का की समस्या के निराकरण के लिए यह अंतरिम समाधान निकाला गया है कि कम से कम 5 वर्षों के लिए हमें 40,000 क्यूसेक पानी मिलेगा। परन्तु मंत्री महोदय और वहां के मुख्य मंत्री के बीच रातों रात हुए इस समाधान से स्थिति रहस्यमय बन जाती है। यह समस्या बहुत पहले ही सुलझाई जा सकती थी। डा० के० एल० राव ने इस सभा में कहा था। कि पहले की परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार गंगा से भागीरथी को जल वर्ष में 10 महीने 40,009 क्यूसेक दिया जायेगा और झगड़ा केवल 2 महीने का रह जाता है। परन्तु बाद को उनके यहां दिये गये वक्तव्य के अनुसार 40,000 क्यूसेक केवल वर्ष के 6 महीने के लिए दिया जायेगा। यह भ्रमित कर देने वाला वक्तव्य है।

मैंने अपने भाषण में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमानों द्वारा डमडम हवाई अड्डे पर न उतरने की कोई शिकायत नहीं की थी क्योंकि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं जबकि एयर इंडिया ही इसके प्रति उदासीन है। मुझे मंत्री महोदय द्वारा आज दिये गये इस वक्तव्य से प्रसन्नता हुई है कि एयर इण्डिया डमडम से अपनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा आरम्भ करेगा।

इसके साथ मेरा यह भी कहना है कि बम्बई और दिल्ली से होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में जो 20 प्रतिशत की छूट मिलती है, वह कलकत्ता से होने वाली ऐसे उड़ानों में नहीं दी जाती है। ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

एयर इण्डिया द्वारा डमडम हवाई अड्डे से चार्टर्ड विमानों की उड़ानें आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ? क्या कारण है कि फोकर फ्रेंडशिप और डकोटा विमानों की उड़ानें डमडम हवाई अड्डे से होती हैं जबकि बोइंग और कारविले विमानों की उड़ानें दिल्ली अथवा बम्बई से होती हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए।

पटसन हमारे राज्य की मुख्य नकदी फसल है। पश्चिम बंगाल के योजना बोर्ड ने सर्वेक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला है कि शेष भारत में औसतन 40 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता की श्रेणी में आती है जबकि पश्चिम बंगाल में यह संख्या 70 प्रतिशत है। इस आंकड़े के अन्तर्गत बंगालियों के अतिरिक्त वे गैर-बंगाली भी आते हैं जो हमारे राज्य में आजीविका के लिए आए हैं। अभी बिहार के मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि बिहार में 90 से 95 प्रतिशत रोजगार बिहारियों के लिए सुरक्षित हैं। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा है, मेरा आरोप है कि सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ा देती है और कुछ के घटा देती है। वर्ष 1961-62 से वर्ष 1970-71 के दौरान कपास के मूल्य में 109 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इसी अवधि में पटसन के मूल्य में केवल 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे कपास का उत्पादन करने वाले राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है जबकि पटसन का उत्पादन करने वाले राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे सामान्य निर्धनता आदि का प्रश्न जुड़ा हुआ है।

भारतीय पटसन निगम के अध्यक्ष पद पर की गई नियुक्ति पक्षपातपूर्ण है। उन्हें पटसन के बारे में कोई ज्ञान नहीं हैं। यह एक महत्वपूर्ण निगम है परन्तु नियुक्ति में अपेक्षित अर्हताओं पर ध्यान नहीं दिया गया है, इस निगम में पश्चिम बंगाल का कोई प्रतिनिधि नहीं है जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारतीय पटसन निगम उत्तरी बंगाल के जिलों से पटसन खरीद कर उन्हें बोरी बनाने हेतु कलकत्ता के आस-पास के मिलों में भेजेगी और फिर वापिस उन्हें उत्तरी बंगाल भेजा जायेगा। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि उत्तरी बंगाल में पटसन की दो-तीन मिलें स्थापित की जायें। इससे अन्य लाभ के साथ-साथ वहां के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा।

कलकत्ता बंदरगाह की गोदी का तलकर्षण कार्य ठेका सम्बन्धी विवाद के कारण रुका पड़ा है। इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि हाल्दिया में निर्माण कार्य कब पूरा होगा। हाल्दिया में शिपयार्ड का निर्माण करने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है।

पश्चिम बंगाल में विद्युत की कमी के कारण औद्योगिक तथा कृषि विकास की गति रुकी पड़ी है। इस समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि विद्युत की कमी का निवारण करने के लिए उच्च अधिकार समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए। विद्युत की इस कमी को दूर करने के लिए हमें भारी प्रयास करने की आवश्यकता है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे मेरा संकल्प स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। मैंने अपने संकल्प में यह मांग की है कि सरकार को समय समय पर इस सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों को पूरा करना चाहिए। यदि सरकार इसका आश्वासन देती है तो ठीक है अन्यथा इसके जो परिणाम निकलेंगे, उससे सरकार तो अवगत होगी।

श्री डी० पी० धर : यह संकल्प हमारे लिए एक प्रकार का स्मरण पत्र है जो सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के बारे में हमें याद कराता है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि हम सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में जो आश्वासन दिये हैं, उनको देखते हुए मैं इस प्रश्न पर सभा में मत विभाजन नहीं कराना चाहता हूं, अतएव मैं अपना संकल्प मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं करता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को सभा से अपना संकल्प वापिस लेने की अनुमति प्राप्त है ?

माननीय सदस्य : जी हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।
The Resolution was, by leave, withdrawn.

बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में संकल्प
RESOLUTION RE: PROBLEM OF UNEMPLOYMENT

श्रीमती माया राय (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"इस सभा की केन्द्रीय सरकार के बेरोजगारी को समाप्त करने के प्रयत्नों की प्रशंसा करते

हुए, राय है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से देश की बेरोजगारी की भयानक समस्या के समाधान हेतु एक समयबद्ध और चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करे तथा इस समस्या के समाधान के लिए तुरन्त रचनात्मक और ठोस पग उठाए।"

इस संकल्प को लाने का मेरा अभिप्राय सभी सम्बन्धित व्यक्तियों का ध्यान बेरोजगारी की जटिल समस्या पर केन्द्रित करना है। इस समस्या के समाधान में और अधिक विलम्ब की गुंजाइश नहीं है। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि सरकार समस्याओं से परिचित नहीं है अथवा वह तत्काल उनके बारे में कार्यवाही नहीं करना चाहती। वास्तव में किसी भी सरकार ने इस प्रश्न पर उतनी व्यापकता और तत्परता से कार्यवाही नहीं की, जितनी कि वर्तमान सरकार ने की है। भगवती समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन के निष्कर्षों से इस बात की पुष्टि होती है। सरकार ने दांतवाला समिति की स्थापना की है तथा सामुदायिक विकास और पंचायती राज के बारे में संयुक्त सलाहकार परिषद की स्थापना भी की है।

इन कार्यवाहियों से ज्ञात होता है कि सरकार इस समस्या को सुलझाने में पर्याप्त रुचि रखती है।

मैं बेरोजगारी से सम्बन्धित आंकड़ों के विस्तार में नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि किसी के पास सही आंकड़े उपलब्ध हैं। अतः हमारे समक्ष पहला कार्य यह है कि हम इस समस्या के आकार को जानें। यह कार्य हम देश के सभी रोजगार कार्यालयों के नमूना सर्वेक्षण द्वारा कर सकते हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रोजगार कार्यालयों के वर्तमान रजिस्टरों में वास्तव में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं। इस सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि सभी बेरोजगार व्यक्ति विभिन्न कारणों से रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज नहीं कराते।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य में बेरोजगारों का जिलावार तथा खण्डवार सर्वेक्षण करना चाहिए। यदि खण्डवार सर्वेक्षण कराया जाय तो बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकती है। बेरोजगारी की समस्या देश के प्रत्येक भाग में परिव्याप्त है तथा यदि इसको सोद्देश्यपूर्ण ढंग से तथा दृढ़ता से हल नहीं किया गया तो हमारा देश संकट में पड़ सकता है।

हमारे राष्ट्र के नवयुवक देश के निर्माण कार्य में हाथ बंटाने के लिये उत्सुकता से अवसरों की प्रतीक्षा करते रहे हैं। यदि उनकी इस उत्सुकता तथा शक्ति को देश के निर्माण में लगाने का अवसर नहीं दिया गया और इस महान राष्ट्र के विकास के लिये उनका सहयोग प्राप्त न किया गया तो यहां निराशा, दुःख और क्रान्ति की लहर दौड़ पड़ेगी। आज हम ऐसी स्थिति में हैं जबकि हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मुझे अपने देश के नवयुवकों पर भरोसा है कि वे धैर्य से हमारे उन कार्यक्रमों की क्रियान्विति की प्रतीक्षा करेंगे जिनसे प्रत्येक राज्य में अच्छे परिणाम निकलने की आशा है। किन्तु यदि ये कार्यक्रम असफल तथा अप्रभावकारी सिद्ध हुए तो जनता हमें कभी क्षमा नहीं करेगी।

बेरोजगारी की समस्या पर नियंत्रण रखने के लिये यह आवश्यक है कि ग्राम्य तथा शहरी बेरोजगारी का वर्गीकरण किया जाये। एक ओर बेरोजगारों का सर्वेक्षण चलता रहे तथा दूसरी ओर यथासम्भव रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये तत्काल तथा अविलम्ब उपाय किये जायं।

सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी मौसमी तथा कुछ विशेष अवधि के लिये होती है। इसका उन्मूलन करने के लिये वर्ष में दो या तीन फसलें उगाई जानी चाहिए। दूसरी मुख्य बात यह है कि गांवों में बिजली लगानी चाहिए। आसाम, त्रिपुरा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार जैसे राज्यों की ओर, जहां ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रय को प्रभावी ढंग लागू नहीं किया गया, केन्द्रीय सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के अन्य तरीके भी अपनाये जाने चाहिए। सिंचाई और कृषि पर आधारित छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण परमावश्यक है।

छोटी सिंचाई योजनाओं तथा कृषि पर आधारित उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिए वित्तीय संस्थाओं को आगे आना चाहिए और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली गारंटी पर इन्हें पर्याप्त मात्रा में ऋण देने चाहिए। मेरे विचार से छोटी सिंचाई योजनाएं तथा बिजली सम्बन्धी योजनाएं कभी घाटे में नहीं जायेंगी तथा वित्तीय संस्थाओं को कोई हानि नहीं होगी। ऐसे क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना से जिनमें पूंजी की कमी है, उस क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार मिलेगा तथा इसके परिणाम स्वरूप इन लघु उद्योगों से बड़े उद्योगों को आवश्यक सामग्री प्राप्त हो सकेगी।

कृषि पर आधारित उद्योगों, लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना से स्वनियोजन के अवसरों में वृद्धि होगी तथा लोग रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मारे-मारे नहीं फिरेंगे।

बेरोजगारी की समस्या को हल करने का एक उपाय यह भी है कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिये व्यापक कार्यक्रम बनाया जाये तथा अधिक से अधिक बेरोजगारों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा के कार्य में खपाया जाय।

प्रत्येक गांव में चिकित्सा, प्रारम्भिक शिक्षा, बिजली, एक लघु उद्योग तथा एक सामुदायिक भवन सम्बन्धी सुविधाएं अवश्य प्रदान की जायं।

मैंने जो कुछ कहा है वह कोई नई बात नहीं है। मेरा अभिप्राय यह है कि अब इन कार्यक्रमों तथा योजनाओं को दृढ़ता तथा प्रभावकारी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। वास्तव में कोई हितकर कार्यक्रम आर्थिक कठिनाइयों अथवा उत्साह की कमी के कारण असफल नहीं होता। उनकी असफलता का मूल कारण भ्रष्टाचार है। अतः सरकार को हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा। साथ ही हमें अपने वायदों का निर्वाह करना चाहिए। तथा मुझे आशा है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें इस समस्या को दूर करने में अवश्य सहायता मिलेगी।

जहां तक नगरीय बेरोजगारी का प्रश्न है, मेरे विचार से हमें रोजगार सम्बन्धी धारणाओं में मौलिक परिर्वतन लाना होगा। रोजगार का अर्थ केवल कार्यालयों में लिखा-पढ़ी करना नहीं है वरन इसका आशय शारीरिक श्रम भी है। अधिकतर व्यक्ति लिखा-पढ़ी के कार्य का महत्व देते हैं तथा शारीरिक श्रमिकों की समाज में उतनी प्रतिष्ठा नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमें समाज में तकनोकी क्रान्ति लानी होगी तथा शारीरिक श्रम तथा तकनीकी रोजगार पर बल देना होगा। आज हमारे समाज में वह स्थिति नहीं आई है जिसमें न्यायाधीश तथा सफाई कर्मचारी को समान आदर मिल सके तथा दोनों प्रकार के व्यक्ति एक स्थान पर मिल बैठ कर आनन्द उठा सके।

इस स्थिति को लाने के लिये हमें शिक्षा में भी मौलिक परिवर्तन लाने होंगे। मेरा सुझाव है कि कालेजों में उच्चतर शिक्षा पाने के लिए केवल अत्यन्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्रवेश दिया जाए

जिनको अनुसंधान आदि कार्य में जुटाया जाय। माध्यमिक शिक्षा में मौलिक परिवर्तन करने की अत्यन्त आवश्यकता है तथा इस स्तर पर व्यवसाय की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे स्कूल से निकल कर युवकों को रोजगार की खोज में दर-दर न भटकना पड़े।

वर्तमान स्थिति यह है कि कालेज से निकल कर कोई युवक शारीरिक श्रम करने में संकोच करता है। इस स्थिति में इस गम्भीर समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

तकनीकी प्रशिक्षण में तेजी लाने के लिये उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए तथा छोटे उद्योगों और बड़े उद्योगों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। मेरे विचार से यदि सामाजिक विचारधारा में परिवर्तन लाने के लिये उपयुक्त मार्गदर्शन किया जाए तथा इसका प्रचार किया जाए तो इस दृष्टि से हमें पर्याप्त सफलता मिल सकती है। इस दिशा में सरकार के साथ-साथ विपक्षी दल के सदस्य भी सहायता कर सकते हैं।

आज हमारी औद्योगिक प्रगति केवल लगभग 1·8 प्रतिशत है तथा हमारे लिये इसे बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना अनिवार्य है। हमें अपने निर्यात व्यापार पर अधिक बल देना चाहिए जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में हमारा अधिक माल पहुंच सके।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकती हैं। अब सभा में आधे घंटे की चर्चा होगी।

---

*नगरों तथा कस्बों का दर्जा बढ़ाना

*UPGRADATION OF CITIES AND TOWNS

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : The replies given by the hon. Minister to Question No. 1187 in Rajya Sabha and to question No. 1953 in Lok Sabha regarding classification of some towns are contradictory and confusing. The hon. Minister should come out with a clean explanation.

The hon. Minister has stated in his reply that he wants to reclassify certain cities on the basis of 1971 census, but on the other hand he has enforced that decision from 1st February as well as from 1st August. We should like to know the basis on which the said decision has been enforced from 1st Feburary. Were the census figures available to them at that time and if not how far the upgradation of certain cities can be said to be justified? If it is essential to do so there are other cities and towns population of which can be ascertained on the basis of census figures and they can be upgraded. I, therefore, demand that the cities with a population of more than 50,000 should be upgraded.

It is astonishing why cities like Gwalior, Ratlam, and Khandwa in Madhya Pradesh and Beawar and Tonk in Rajasthan are not upgraded. If the Government have taken population as the criterion of upgradation of cities. these cities should be upgraded. After all, what is the criterion for this classification of cities?

I would also like to point out that Government are concealing the real figures of price index because they will have to give dearness allowance to their employees. The fact is that the figures of price index in retail have crossed 240 while Government say that it is not more than 237.6.

---

*आधे घंटे की चर्चा।

*Half-an-hour Discussion.

In this context, I suggest that the classification or upgradation of cities and towns should be based not only on population but also on the local condition and the price level in those cities and towns.

I am opposed to the idea that the people living in bigger cities are affected by the price rise more than those living in smaller cities. The price of sugar in Delhi is Rs. 3.50 per kilo while sugar in small cities is available at the rate of Rs. 4 or Rs. 4.50 per kilo. Therefore, the employees stationed at small towns should also get some relief. It is unfair that employees working in big cities only should get relief against the rising prices. The entire question should be reconsidered in view of all these facts. The hon. Minister may say that since they have not received the Interim Report of the Pay Commission, nothing can be done in this matter. But it will not solve the problem.

There are no cogent reasons for not upgrading Nazirabad where the population has increased on account of the army stationed there. The argument, that there are a few Central Government colonies, is not cogent and convincing.

Sir, the list of classification of cities and towns produced in Rajya Sabha does not give a clear picture as to which cities have been classified as B-1 and B-2 class cities. Besides, there are certain variations in the lists produced in this House and the other House in this regard. Certain cities have not been included in the list and I want to know whether Government intend to amend the critaria adopted by them in this matter.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : रुपये का मूल्य अब केवल 10 पैसे रह गया है। अत: हम कुछ भी कर लें, सब व्यर्थ ही होगा। पिछले दिनों स्वयं वित्त मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया था कि रुपये का मूल्य आधा रह गया है किन्तु वास्तव में उसका मूल्य अब 10 पैसे भी नहीं रहा है।

भिन्न नगरों तथा क्षेत्रों के लिए विशेष भत्ता निर्धारित करते समय सरकार को जनसंख्या का प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिये। वास्तव में थोक के मूल्यों का, जिसके आधार पर सरकार मूल्य सूचनांक एकत्र करती है, परचून के मूल्यों से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। आंकड़े एकत्र करने का कार्य जनता को मात्र धोखा देना है। पर्वतीय क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये, चाहे वहां की जनसंख्या कुछ भी हो।

आसाम में उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक है। अत: ऐसे क्षेत्रों के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए, चाहे वहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हों अथवा नहीं।

अन्त में मैं बताना चाहता हूं कि जब तक वेतन आयोग का प्रतिवेदन आएगा, तब तक उसका कोई महत्व नहीं रहेगा क्योंकि रुपये का मूल्य दिन प्रतिदिन घटता जा रहा हैं। यदि वेतन आयोग कुछ दिन और बना रहना चाहता तो दूसरी बात है अन्यथा उसके प्रतिवेदन का जनता को कोई लाभ नहीं होगा।

सभापति महोदय : यह कहना अनुचित है कि वेतन आयोग कुछ दिन और बना रहना चाहता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अन्यों की अपेक्षा मुझे भूखी जनता की कठिनाइयों की अधिक चिंता है। यदि सरकार अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी तथा वेतन नहीं दे सकती तो उसके सभी वायदे तथा बड़े-बड़े वचन व्यर्थ हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : नगरों तथा कस्बों का दर्जा बढ़ाए जाने के बारे में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णामाचारी ने जनसंख्या की कसौटी में सुधार किया था। 20 लाख के बजाय 16 लाख की जनसंख्या का मानदण्ड रखा था जिसके परिणामस्वरूप मद्रास का दर्जा

बढ़ाया गया था तथा कानपुर को भी सी० श्रेणी से बी० एक श्रेणी में लाया गया था। इससे सिद्ध होता है कि जन संख्या का आधार इस सम्बन्ध में अधिक उपयुक्त नहीं है। इस बारे में जीवन निर्वाह की लागत में वृद्धि का आधार अपनाना चाहिये। मूल्य सूचक अंक 238 हो गया और इस आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आंतरिक राहत मिलनी चाहिये।

अम्बरनाथ में, जो बम्बई के निकट ही है, वस्तुओं के मूल्य अधिक हैं किन्तु उसका दर्जा नहीं बढ़ाया गया। मुझे काकीनाडा से भी तार मिले हैं तथा वहां भी वस्तुओं के मूल्य अधिक हैं। लुधियाना का भी जनसंख्या के आधार पर दर्जा नहीं बढ़ाया जा रहा है तथा मुझे वहां से भी तार मिले हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इन नगरों के बारे में भी कुछ किया जाएगा अथवा नहीं क्योंकि वहां जनता भी बढ़ते हुये मूल्यों से दुःखी है।

अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि नगरों का दर्जा बढ़ाने के मामले में जनसंख्या को आधार न मान कर जीवन निर्वाह लागत को आधार माना जाए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं भी उक्त मांग का समर्थन करता हूं। चिकित्सा व्यय को प्रतिपूर्ति के बारे में छोटे नगरों तथा बड़े नगरों में रहने वाले कर्मचारियों के प्रति भेदभाव बरता जाता है। मैंने इस सम्बन्ध में 1963 में एक प्रश्न भी उठाया था। अतः इस भेदभाव को दूर किया जाए।

बड़े नगरों की तुलना में छोटे नगरों में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य अधिक हैं। दिल्ली में अण्डा 30 पैसे में मिलता है किन्तु गाजियाबाद में 35 पैसे से कम में नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं छोटे नगरों में मकान किराये की दरें भी अधिक हैं।

मुझे विशाखापतनम से एक ज्ञापन मिला है जिसे वहां की नगर पालिका तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संगठनों ने पारित किया है। उसमें कहा गया है कि विशाखापतनम का दर्जा बढ़ाया जाना चाहिये अन्यथा वहां कर्मचरियों को मकान किराया भत्ते आदि से वंचित रहना पड़ेगा। कलकत्ता की तुलना में दुर्गापुर अधिक मंहगा है किन्तु उसका दर्जा नहीं बढ़ाया गया। अतः मेरा सुझाव है कि नगरों का पुनर्वर्गीकरण किया जाए तथा उसका आधार जीवन निर्वाह की लागत माना जाए।

मूल्य सूचक अंकों में 10 अंकों की वृद्धि के कारण सरकार को बढ़े हुये भत्ते की घोषणा करनी चाहिये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मेरे विचार से माननीय सदस्य डा० पांडेय को राज्य सभा तथा इस सभा में सरकार द्वारा दिये गए उत्तरों के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। राज्य-सभा में दिये गये मध्यावधि जनगणना सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस सभा में दिये गये आंकड़ों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

जैसा कि सभा को ज्ञात है केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को समान दर पर भत्ता जिया जाता है। इसके उपरांत मकान किराया भत्ता तथा प्रति पूर्ति भत्ता नगर पालिकाओं, निगमों तथा अधिसूचित क्षेत्रों आदि की जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। इसी आधार पर वर्तमान नगरों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है तथा उनका दर्जा बढ़ाया गया है। क्या किसी स्थान के मंहगापन का पता लगाने के लिये जनसंख्या एक सही सूचकांक है ? आज इसी मामले पर देश में चर्चा हो रही है। इस मामले पर लोगों के विभिन्न विचार हैं।

पहले तथा दूसरे वेतन आयोग ने इस प्रश्न का अध्ययन किया था। इस बात पर पूरी तरह विचार करने के पश्चात वेतन आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि जनसंख्या ही केवल एक युक्तिसंगत

फार्मूला है। निस्संदेह कुछ छोटे-छोटे मामले उठ खड़े होंगे जिन पर सरकार उनके गुण-दोषों के आधार पर निर्णय कर सकती है। किन्तु जहां तक वर्तमान फार्मूले का सम्बन्ध है, इसे दूसरे वेतन आयोग ने तैयार किया था।

अब तीसरा वेतन आयोग कार्यरत है तथा उसके सामने भी यह मामला है। कर्मचारियों के सभी संगठनों तथा निकायों ने इस वेतन आयोग को इस विशेष मामले से अवगत कराया है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। वहां एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है जो इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा तथा देखेगा कि भारत जैसे विशाल देश में किसी अन्य फार्मूले से कितनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार सदैव स्थिति पर विचार कर सकती है।

उक्त अधिसूचना वर्तमान सूत्र के आधार पर जारी की गई है तथा कई शहरों का पुनर्वर्गीकरण भी उसी आधार पर किया गया है। यदि हमने तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की होती तो इन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता न मिलता जिनके वे हकदार हो गए थे। अतः जनगणना के आंकड़े मिलते ही सरकार ने शहरों का तत्काल पुनर्वर्गीकरण करने तथा उनका दर्जा बढ़ाए जाने का कार्य आरम्भ कर दिया।

इसके पश्चात लोक-सभा शनिवार, 26 अगस्त, 1972/4 भाद्र, 1894 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, August 26, 1972/ Bhadra 4, 1894 (Saka).

Tej Kumar Press (P) Ltd., Lucknow—30-10-72—490